

निविदा आमंत्रण सूचना Notice Inviting Tender

"वैनगंगा मंडल, केंद्रीय जल आयोग, नागपुर के अंतर्गत पेनगंगा उपमंडल, यवतमाल के पी जी ब्रिज, कन्हेरगाँव एवं भिश्रुर में विट्रिफाइड टाइल्स उपलब्ध कराना और बिछाना की ई-निविदा"/E-tender of Providing & Laying of Vitrified Tiles at site Kanhargaon, Bhishnur & P.G. Bridge under Penganga Sub Division, Yavatmal under Wainganga Division, CWC, Nagpur"



एनआईटी संख्या: <u>डब्लूडी/सीडब्लूसी/2023-24/02 तारीख:12.09.2023</u> NIT No.WD/CWC/2023-24/02 date:12.09.2023

ऑनलाइन प्रस्तुत करने की तारीख: 22.09.2023 (12.00 बजे तक)

तकनीकी बोली को खोलने की तारीख :23.09.2023 (15.00 बजे)

प्रबोधन मध्य संगठन, नागपुर अधिशासी अभियंता वैनगंगा प्रभाग, नागपुर

अनुक्रमणिका /INDEX

क्र.सं.	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1	ई-निविदा के लिए सूचना	3-7
2	बोलीदाता के लिए सामान्य निर्देश	8-13
3	निविदा घोषणा	14-15
4	निविदाकार की प्रोफ़ाईल	16
5	सामान्य नियम और निर्देश	17-19
6	अनुबंध की शर्ते	20-40
7	प्रमुख घटनाएं और तिथियां	41-42
8	निष्पादन गारंटी बांड का प्रपत्र	43-44
9	बोली सुरक्षा घोषणा का प्रपत्र	45-47
10	सुरक्षा जमा की वसूली	48-49
1 1	अनुसूची ए, बी, सी, डी, ई और एफ	50-52
12	बिल की मात्रा	53-62
13	विशेष निर्देश के लिए बोलीदाताओं के लिए ई निविदा पर सीपीपी पोर्टल	63-79
1/1		70-73
14	सीपीडब्ल्यूडी फॉर्म 7/8 और निविदा स्वीकृति पत्र	/0-/3

Sl.No.	Title	Page Nos.
1	NOTICE FOR E-TENDER	3-7
2	GENERAL INSTRUCTIONS TO BIDDER	8-13
3	TENDER DECLARATION	14-15
4	TENDERER PROFILE	16
5	GENERAL RULES AND DIRECTIONS	17-19
6	CONDITIONS OF CONTRACT	20-40
7	KEY EVENTS AND DATES	41-42
8	PERFORMANCE GUARANTEE	43-44
9	FORM OF PERFORMANCE GUARANTEE BOND	45-47
10	RECOVERY OF SECURITY DEPOSIT	48-49
11	SCHEDULE A, B, C, D, E & F	50-52
12	INTEGRITY PACT	53-62
13	SPECIAL INSTRUCTIONS TO BIDDERS FOR E-TENDERING ON CPP PORTAL	63-79
14	CPWD form 7/8 & Tender Acceptance Letter	70-73

भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग केन्द्रीय जल आयोग वैनगंगा मण्डल, नागपुर



Government of India Ministry of Jal Shakti Dept. of Water Resources, RD&GR Central Water Commission Wainganga Division, Nagpur

एनआईटी संख्या: <u>डब्लूडी/सीडब्लूसी/2023-24/02 तारीख:12.09.2023</u> NIT No.WD/CWC/2023-24/02 date:12.09.2023

ई- निविदा आमंत्रण सूचना/ E-Notice Invite Tender

"वैनगंगा मंडल, केंद्रीय जल आयोग, नागपुर के अंतर्गत पेनगंगा उपमंडल, यवतमाल के स्थल पी जी ब्रिज, कन्हेरगाँव एवं भिश्रुर में विट्रिफाइड टाइल्स उपलब्ध कराना और बिछाना की ई-निविदा"/E-tender of Providing & Laying of Vitrified Tiles at site Kanhargaon, Bhishnur & P.G. Bridge under Penganga Sub Division under Wainganga Division, CWC, Nagpur"

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से, अधिशासी अभियंता, वैनगंगा मंडल, केंद्रीय जल आयोग, नागपुर निम्नलिखित कार्य के लिए केंद्र / राज्य सरकार के पंजीकृत ठेकेदारों से ई-निविदा द्वारा बोली आमंत्रित किये गये है।

For and on behalf of the President of India, Executive Engineer, Wainganga Division, Central Water Commission, Nagpur invites bid by E-tendering from registered contractors of Central/State Government for the following work:

1.	नाम का काम/Name of	"वैनगंगा मंडल, केंद्रीय जल आयोग, नागपुर के अंतर्गत पेनगंगा उपमंडल, यवतमाल के स्थल कन्हरगाँव, भिश्रुर एवं पी जी ब्रिज में विट्रिफाइड टाइल्स उपलब्ध कराना और बिछाना की ई-निविदा"/ E-tender of Providing & Laying of Vitrified Tiles at site Kanhargaon, Bhishnur & P.G. Bridge under Penganga Sub Division, Yavatmal under Wainganga Division, CWC, Nagpur
2.	अनुमानित लागत/ Estimated Cost	रु. 5,40,856/- (रुपये पांच लाख चालीस हजार आठ सौ छप्पन) केवल सभी करों, जीएसटी आदि सहित/ Rs 5,40,856/- (Rupees Five Lakh Forty Thousand Eight Hundred Fifty Six) only including all the Taxes, GST etc.
3.	अग्रिम राशि/ Earnest Money	अनुबंध मूल्य का 5 % होगी। 5% of the contract value of the work.
4.	प्रदर्शन गारंटी / Performance Guarantee	कार्य के निविदा और स्वीकृत मूल्य का 3% होगी/ 3% of the quoted and accepted value of the work.
	सुरक्षा जमा / Security Deposit	बिल की राशि का 5% हर महीने सुरक्षा जमा के रूप में काटा जाएगा जब तक कि सुरक्षा जमा कार्य के स्वीकृत और स्वीकृत मूल्य के 5% के बराबर राशि तक नहीं पहुंच जाती। / 5% of the billed amount would be deducted every month towards security deposit until the security deposit reaches an amount equal to 5% of the tendered and accepted value of the work.
6.	अनुबंध अवधि /Contract Period	: 2 महीने (Two Months)

7.	निविदा डाक्यूमेंट की	: निरंक(Nil)
	लागत /Cost of	
	Tender	
	Document	

ई-निविदा सी.पी.पी.पी. वेबसाइट यू.आर.एल. https://www.eprocure.gov.in/eprocure पर दिनांक:12.09.2023, 14:30 बजे से दिनांक:22.09.2023, 12:00 बजे तक उपलब्ध है। ई-निविदा सी.पी.पी. वेबसाइट के माध्यम से दिनांक 22.09.2023 को 12:00 बजे तक ऑनलाइन जमा की जानी चाहिए और दिनांक 23.09.2023 को 15:00 बजे ऑनलाइन खोली जाएगी।

E-tender is available on CPPP website URL https://www.eprocure.gov.in/eprocurefrom date:12.09.2023 14:30 hrs to date 22.09.2023, 12:00 hrs. E-tender should be submitted online through CPPP website upto 12:00 hrs on date:22.09.2023 and will be opened online at 15:00 hrs of date:23.09.2023.

1.0 निविदाकारों के लिए पात्रता एवं शर्तों / ELIGIBILITY CONDITIONS FOR THE TENDERERS

- (i) ठेकेदार को केंद्र/राज्य सरकार के किसी विभाग में पंजीकृत होना चाहिए/ The contractor should be Registered with any Central/State Government Department.
- (ii) उनके पास वैध पैन नंबर होना चाहिए /They should have a Valid PAN No.
- (iii) फर्म को कम से कम तीन समान कार्य पूरे करने चाहिए, जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% के बराबर राशि से कम नहीं होनी चाहिए। या (ii) दो समान पूर्ण किए गए कार्य जिनकी लागत अनुमानित लागत के 50% के बराबर राशि से कम न हो। या (iii) एक समान पूरा किया गया कार्य जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% के बराबर राशि से कम न हो। निविदा स्वीकार करने वाले/कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए कार्य आदेश और संबंधित कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की जा सकती है।/The Firm should have completed at least three similar works each costing not less than the amount equal to 40% of the estimated cost. OR (ii) Two similar completed works costing not less than the amount equal to 50% of the estimated cost. OR (iii) One similar completed work costing not less than the amount equal to 80% of the estimated cost. Copy of Work Orders and corresponding Completion Certificates of Work sissued by the Tender Accepting/Executing Authority may be appended.
- (iv) समान कार्यों का अर्थ होगा सिविल/फ़ेबरीकेशन/निर्माण संबंधित कार्य है/ Similar works shall mean work of Civil/Fabrication/Construction related work.
- (v) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी की औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार को समाप्त होने वाले 31 मार्च की पिछले वित्तीय वर्ष (2020-21, 2021-22, और 2022-23)में कम से कम कुल अनुमानित लागत का 50% के बराबर होना चाहिए। इस संदर्भ में, पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2020-21, 2021-22, और 2022-23) के लिए लेखा परीक्षित बैलेंस शीट और आयकर रिटर्न की प्रतियां संलग्न की जाएंगी/ The Average Annual financial turnover of the firm during the last three financial years, ending 31st March of the previous financial year (2020-21, 2021-22 & 2022-23) should be at least equal to 50% of total estimated cost. In this context, the audited balance sheet and copies of Income Tax Return for last three financial years (2020-21, 2021-22 & 2022-23) shall be appended.
- (vi) पूर्व टर्नओवर और पूर्व अनुभव की शर्त को नीति परिपत्र संख्या 1 (2) (10/2016-एमए दिनांकित)

के अनुसार पंजीकृत सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) के लिए उपर्युक्त खंड (iii) और (v) के 50% तक की छूट दी जाएगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के 17.03.2016 इस खंड के तहत छूट का लाभ उठाने के इच्छुक किसी भी कंपनी को बोली दस्तावेज के साथ इस सीमा तक विशेष रूप से आवेदन जमा करने की आवश्यकता होगी/ The condition of prior turnover and prior experience will be relaxed up to 50% of the above-mentioned clause(iii) & (v)for Micro and Small enterprises (MSEs) registered as per the policy circular No. 1(2) (10/2016-MA dated 10.03.2016 of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise, Government of India. Any company desirous of availing the relaxation under this clause shall be required to specifically submit an application to this extent with the bid document.

- 2.0 विवरण का सत्यापन/Verification of Details: अधिशासी अभियंता, वैनगंगा डिवीजन, सी.डब्ल्यू.सी.,नागपुर स्वतंत्र रूप से निविदाकार द्वारा प्रस्तुत विवरण को सत्यापित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। निविदाकार द्वारा प्रस्तुत किसी भी जानकारी गलत साबित, होने के बाद में उसकी / उसके अग्रिम राशी /कार्य प्रदर्शन राशी जब्त कर ली जाएगी और वह भविष्य में सी.डब्ल्यू.सी. का काम करने के लिए वह निविदा से वंचित किया जाएगा/Executive Engineer, Wainganga Division, CWC, Nagpur reserves the right to verify the particulars furnished by the Tenderer independently. If any information furnished by the Tenderer is found to be incorrect at a later stage, his/her Earnest Money/Performance Guarantee shall be forfeited and he / she shall be debarred from tendering for the works of CWC in future.
- 3. अनुबंध/Agreement: सफल निविदाकर्ता के साथ निर्धारित प्रपत्र संख्या सी.पी.डब्ल्यू.डी.7/8 (संलग्न) पर अनुबंध तैयार किया जाएगा। निविदाकर्ता उक्त प्रपत्र के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार अपनी दरें उद्धृत करेगा, जो अनुबंध का भाग होगी/Agreement shall be drawn with the successful tenderer on prescribed Form No CPWD7/8 (enclosed). The tenderer shall quote their rates as per terms and conditions of the said form, which shall form part of the agreement.
- 4. **अवधि के अनुबंध/Period of Contract:** अनुबंध की अवधि 60 दिनों की अवधि के लिए होगी, जिसे कार्य की आवश्यकता के आधार पर संशोधित या बढ़ाया जा सकता है/The duration of the Contract shall be for a period of 60 days which can be revised or extended depending upon the exigency of work.
- 5. **कार्य स्थल की उपलब्धता/ Availability of Work Place** :वैनगंगा डिवीजन, सी.डब्ल्यू.सी., नागपुर के अधिकार क्षेत्र में पेनगंगा उपमंडल, यवतमाल के स्थल कन्हरगाँव, भिश्रुर एवं पी जी ब्रिज साइट पर कार्य होंगे/The workplace would be sites Kanhargaon, Bhishnur and P G Bridge under Penganga Sub Division, Yavatmal under the jurisdiction of Wainganga Division, CWC, Nagpur.
- 6.0 निविदाकर्ता द्वारा कार्य स्थल का दौरा/ Visit to Work Place by Tenderer: निविदाकारों को कार्यस्थलों और उसके आस-पास के निरीक्षण और जांच के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और काम की प्रकृति, पहुंच के साधनों के रूप में खुद को संतुष्ट / अवगत कराया जाता है और सामान्य तौर पर, जोखिम, आकस्मिकताओं और अन्य परिस्थितियों के बारे में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। जो प्रभावित कर सकते हैं या अपनी निविदा जमा करने से पहले उनकी निविदा और दरों को प्रभावित करते हैं। एक निविदाकार को कार्यस्थल का पूरा ज्ञान माना जाएगा कि वह साइट का निरीक्षण करता है या नहीं और किसी भी गलतफहमी/गलत होने या अन्यथा के परिणामस्वरूप कोई अतिरिक्त भुगतान/मुआवजा की अनुमित नहीं दी जाएगी। जब तक अनुबंध दस्तावेजों में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया जाता है, तब तक निविदाकार अपने कर्मियों के लिए सभी सामग्रियों, उपकरणों और पौधों, पहुंच, सुविधाओं और कार्य को निष्पादित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी सेवाओं की व्यवस्था और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा/ Tenderers are encouraged to inspect and examine the workplaces and its surroundings and satisfy / apprise themselves as to the nature of the work, the means of access and in general, shall obtain themselves all necessary information as to risks, contingencies and other circumstances which may influence or affect their tender and rates, before submitting their tenders. A tenderer shall be

deemed to have full knowledge of the workplace whether he/ she inspects the site or not and no extra payment / compensation consequent upon any misunderstanding / mishappening or otherwise shall be allowed. The tenderer shall be responsible for arranging and maintaining all materials, tools & plants, access, facilities for his personnel and all other services required for executing the work at his / her own cost unless it is specifically mentioned in the contract documents.

- 7.0 निविदा की स्वीकृति/ Acceptance of Tender: सक्षम प्राधिकारी सबसे कम या किसी अन्य निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। सक्षम प्राधिकारी के पास निविदा को पूर्ण या उसके किसी भाग को स्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित है और निविदाकर्ता उद्धृत दर पर इसे निष्पादित करने के लिए बाध्य होगा/The Competent Authority does not bind himself to accept the lowest or any other tender and reserves right to accept or reject any or all of the tenders received without assigning any reason. The Competent Authority also reserves the right of accepting the whole or any part of the tender and the tenderer shall be bound to perform the same at the quoted rate.
- 8.0 निविदाएं, जिनमें निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है या किसी भी तरह से पूर्ण नहीं हैं, वह अस्वीकार कर दी जा सकती हैं/Tenders, in which the prescribed conditions are not fulfilled or are in complete in any respect, are liable to be rejected.
- 9.0 निविदा के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार करना सख्त वर्जित है और एक निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा जो प्रचार का सहारा लेती है, अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है/Canvassing whether directly or indirectly, in connection with tender is strictly prohibited and the tender submitted by a Tenderer who resorts to canvassing is liable to rejection.
- 10.0 निविदाकर्ता को कार्य के लिए निविदा देने की अनुमित नहीं दी जाएगी यदि उसका कोई निकट संबंधी कार्यपालक अभियंता, वैनगंगा संभाग, सीडब्ल्यूसी, नागपुर या अन्य सीडब्ल्यूसी कार्यालयों में लेखा अधिकारी/मंडल लेखाकार के रूप में या एक अधिकारी के रूप में तैनात है। किनिष्ठ अभियंता और उससे ऊपर के स्तर से कोई भी क्षमता। निविदाकर्ता उन व्यक्तियों के नाम भी सूचित करेगा जो वर्तमान में उनके साथ काम कर रहे हैं और किसी सीडब्ल्यूसी कार्यालय और जल शक्ति मंत्रालय, आर.डी. और जी.आर. के राजपत्र अधिकारियों के रिश्तेदार हैं। निविदाकर्ता की ओर से इस शर्त का कोई भी उल्लंघन उसे कार्य प्रदान करने के लिए अयोग्य घोषित करने के लिए उत्तरदायी होगा/The tenderer shall not be permitted to tender for the work if any of his / her near relative is posted in office of Executive Engineer, Wainganga Division, CWC, Nagpur or other CWC offices located as an Accounts Officer / Divisional Accountant or as an Officer in any capacity from the level of Junior Engineer and above. The tenderer shall also intimate the names of persons who are presently working with him/ her and are near relatives to Gazetted officers in any CWC office and Ministry of Jal Shakti, RD & GR. Any breach of this condition on the part of the tenderer would render him / her liable to be disqualified for the award of work.
- 11.0 अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर/ Signing of Contract Agreement: सफल निविदाकार/ठेकेदार सीडब्ल्यूसी के स्वीकारकर्ता प्राधिकारी द्वारा अपनी निविदा की स्वीकृति पर समझौते की लागत का 3% प्रदर्शन गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी डीडी/एफडीआर/बैंक गारंटी के रूप में स्वीकृति पत्र जारी करने और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 7 दिनों के भीतर जमा करेगा। समझौता जिसमें शामिल हैं/The successful Tenderer/Contractor on acceptance of his tender by the accepting authority of CWC shall deposit 3% of agreement cost as Performance Guarantee in the form of DD/FDR/Bank guarantee issued by Nationalized Bank within 7 days from the date of issue of letter of acceptance and sign contract agreement consisting of:-

- (अ) 'निविदा आमंत्रित करने की सूचना', 'सामान्य शर्तें और अनुबंध के खंड', 'विशेष नियम और शर्तें', 'कार्य का दायरा और विनिर्देशों' सिहत सभी दस्तावेज जो निविदा के आमंत्रण के समय जारी किए गए हैं और सभी पत्राचार के साथ-साथ वहां की स्वीकृति/ The 'Notice Inviting Tender', all the documents including 'General Conditions & Clauses of Contract', 'Special Terms & Conditions', 'Scope of Work & Specifications' forming the tender as issued at the time of invitation of tender and acceptance there of together with all correspondence leading thereto.
- (ब) मानकसीपीडब्ल्यूडीफॉर्म-7/8: आइटम दरनिविदाएं और कार्यों के लिए अनुबंध/Standard CPWD Form-7/8: Item Rate Tenders & Contract for Works.

(अधिशासी अभियंता) वैनगंगा मडंल, सीडब्ल्यूसी, नागपुर

बोलीदाताओं के लिए सामान्य अनुदेश /GENERAL INSTRUCTION TO BIDDERS

- 1. बोलियां केवल सी.पी.पी.पी. https:// www. eprocure. gov.in/ eprocure. Tenderer/ Contractor are advised to follow the निर्देशों में ऑनलाइन जमा की जाएंगी, जो टी.सी.आई.एल. पोर्टल के माध्यम से बोलियों को ई-सबिमशन के लिए ठेकेदारों/निविदाकारों को ई-सबिमशन के लिए निर्देश में दिए गए हैं। निविदा सूचना www.eprocure.gov.in और www.cwc.gov.in पर भी उपलब्ध है /Bids shall be submitted online only at CPPP https://www.eprocure. gov.in /eprocure. Tenderer/ Contractor are advised to follow the instructions provided in the 'Instructions to the Contractors/Tenderer for the e-submission of the bids online through TCIL portal. The tender notice is also available at www.eprocure.gov.in and www.cwc.gov.in
- 2. एक ठेकेदार या व्यावसायिक संबंध रखने वाले ठेकेदारों द्वारा एक से अधिक निविदा प्रस्तुत नहीं की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में पिता और उनके पुत्र (पुत्रों) या अन्य निकट संबंधियों, जिनके एक दूसरे के साथ व्यावसायिक संबंध हैं (अर्थात जब एक या अधिक भागीदार/निदेशक समान हों) को अलग-अलग प्रतिस्पर्धियों के रूप में एक ही अनुबंध के लिए निविदा देने की अनुमित नहीं दी जाएगी। इस शर्त का उल्लंघन करने पर दोनों पक्षों की निविदाएं अस्वीकृत की जा सकती हैं/Not more than one tender shall be submitted by one contractor or contractors having a business relationship. Under no circumstances will father and his son(s) or other close relations who have business relationship withone another (i.e when one partner(s)/director(s) are common) be allowed to tender for the same contract as separate competitors. A breach of this condition will render the tenders of both parties liable to rejection.
- 3. निविदाकार जिसने सीपीपीपी वेबसाइट यूआरएल https:// www. eprocure.gov.in /eprocure से टेंडर डाउनलोड किया है, वह किसी भी तरह से डाउन लोडेड प्राइस बिड टेम्प्लेट सहित टेंडर फॉर्म को छेड़छाड़/संशोधित नहीं करेगा। यदि इसमें किसी भी तरह से छेड़छाड़/संशोधित पाया जाता है, तो निविदा पूरी तरह से खारिज कर दी जाएगी और ई.एम.डी. जब्त कर ली जाएगी/Tenderer who has downloaded the tender from the CPPP website URL https://www.eprocure.gov.in/eprocure shall not tamper/modify the tender form including down loaded price bid template in any manner. In case if the same is found to be tampered/modified in any manner, the tender will be completely rejected and EMD would be forfeited.
- 4. इच्छुक निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे सीपीपीपी वेबसाइट यूआरएल https://www.eprocure.gov.in/eprocure और सीडब्ल्यूसी की वेबसाइट www.cwc.gov.in पर जाएं। किसी भी संशोधन के लिए निविदा जमा भी शुद्धिपत्र/ करने की अंतिम तिथि से कम से कम 1 दिन पहले ठीक करे। /Intending tenderers are advised to visit again CPPP website URL https://www.eprocure.gov.in/eprocure. And CWC website www.cwc.gov.in at least 1 days prior to closing date of submission of tender for any corrigendum / amendment.
- 5. निविदा कुंजी कार्यक्रम पत्रक में उल्लिखित नियत/समय के अनुसार बोलियां खोली जाएंगी/ Bids will be opened as per date/time as mentioned in the Tender Key Event Sheet.

6. दस्तावेजों को ऑनलाइन जमा करना/SUBMISSION OF DOCUMENTS ONLINE

(i) वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति, सिविल / फ़ेबरीकेशन /

निर्माण संबंधी कार्य के अनुभव प्रमाण पत्र। जीएसटी पंजीकरण, पैन नंबर, पिछले दो वर्षों का आयकर रिटर्न और निविदा स्वीकृति पत्र होना चाहिए/ Signed and scanned copy of valid registration certificate, experience certificates of Civil/Fabrication/Construction related work, GST registration, PAN No., Income-tax return of previous two years and Tender Acceptance Letter.

- (ii) निविदा दस्तावेज के अनुसार पार्टनरिशप डीड की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई कॉपी, यदि कोई हो /Signed and Scanned copy of Partnership deed if any as per the tender document.
- (iii) किसी भी सरकारी विभाग द्वारा **काली सूची** में नहीं डाले जाने के वचनपत्र की सत्य प्रति हस्ताक्षरित और स्कैन की गई होना चाहिए/ Signed and scanned true copy of undertaking of not being **blacklisted** by any government department.

वित्तीय बोली/Financial Bid:

- 7. ठेकेदार द्वारा निविदा दस्तावेज के अनुसार बोली के साथ बी.ओ.क्यू ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना है/The BOQ are to be furnished online by the Contractor along with bid as per the tender document.
- 8. वित्तीय बोली पर केवल उन्हीं बोलीदाताओं के लिए विचार किया जाएगा जो तकनीकी बोली के एक भाग के रूप में निविदा दस्तावेज के अनुसार पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं/The financial bid will be considered only for those bidders who qualify the eligibility criteria as per the tender document as a part of the technical bid.
- 9. बोलीदाताओं को ऊपर सूचीबद्ध के रूप में कोई अन्य दस्तावेज जमा नहीं करना चाहिए/ The bidder should not submit any other document as listed above.
- 10. पूर्ण बोली के लिए मात्राओं की अनुसूची के साथ तकनीकी कागजात मूल्य निर्धारण की जानकारी के साथ अन्य दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन जमा किया जाना चाहिए जैसा कि ऊपर sI-7 और 8 के तहत परिभाषित किया गया है/For complete bid, technical papers with schedule of quantities with pricing information should be submitted online along with other documents as defined under S.no. 7 & 8 above.
- 11. सफल निविदाकर्ता के साथ निर्धारित प्रपत्र संख्या सीपीडब्ल्यूडी- 7/8 पर अनुबंध तैयार किया जाएगा, जो भारत सरकार के प्रकाशन के रूप में उपलब्ध है। निविदाकर्ता उक्त प्रपत्र के विभिन्न निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार अपनी दरें उद्धृत करेगा जो अनुबंध का भाग होगा/The agreement shall be drawn with the successful tenderer on the prescribed Form No. CPWD- 7/8, which is available as a Government of India Publication. The tenderer shall quote his rates as per various terms and conditions of the said form which will form part of the agreement.
- 12. कार्य करने के लिए अनुमत समय निविदा/कार्य आदेश की स्वीकृति पत्र जारी होने की तारीख से या साइट को सौंपने की पहली तारीख से, जो भी बाद में, चरणबद्ध के अनुसार, यदि कोई हो, 2 महीने होगा। निविदा दस्तावेजों में दर्शाया गया है/The time allowed for carrying out the work will be 2 months from the date of issue of letter of acceptance of tender/work order or from the first date of handing over of the first site, whichever is later, in accordance with the phasing, if any, indicated in the tender documents.

- 13. अग्रिम जमा राशि (ईएमडी)/Earnest Money Deposit (EMD): बोलीदाताओं को निविदा के साथ अनुमानित लागत का 5% अर्थात रु. 27,043/- (सत्ताईस हजार और तैंतालीस रुपये मात्र) जमा करना आवश्यक है, अन्यथा उनके प्रस्ताव सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिए जाएंगे। बयाना राशि एसबीआई में देय "अधिशासी अभियंता, वैनगंगा डिवीजन, केंद्रीय जल आयोग, नागपुर" के पक्ष में जारी बीमा ज़मानत बांड / अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) / टर्म डिपॉजिट रसीद / बैंकर्स चेक के माध्यम से किसी भी वैकल्पिक रूप में जमा की जा सकती है। मुख्य शाखा, नागपुर। ईएमडी के बिना निविदाएं सिरे से खारिज कर दी जाएंगी। / Bidders are required to deposit earnest money @ 5% of estimate cost i.e. Rs.27,043/- (Rupees Twenty Seven Thousand and Forty Three only) along with the tender, failing which their offers will be summarily rejected. Earnest Money can be deposited in any of the alternative forms through Insurance Surety Bond/ Account Payee Demand Draft (DD)/Term Deposit Receipt/Bankers Cheque issued in favour of "Executive Engineer, Wainganga Division, Central Water Commission, Nagpur" payable at SBI Main Branch, Nagpur.The tenders without EMD will be rejected outrightly.
- 14. ठेकेदार को कार्य निष्पादन गारंटी के रूप में कार्य के निविदा मूल्य के 3% के बराबर राशि जमा करने की आवश्यकता होगी, एक अनुसूचित बैंक की कॉल रसीद पर ट्रेजरी चालान रसीद/जमा/अनुसूचित बैंक की सावधि जमा रसीद/टीडीआर/अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट के पक्ष में जारी किया गया है। कार्यकारी अभियंता, वैनगंगा डिवीजन, सीडब्ल्युसी, नागपुर को स्वीकृति पत्र जारी होने के 7 दिनों के भीतर नागपुर में जमा करना होगा। इस अवधि को ठेकेदार के लिखित अनुरोध पर प्रभारी अभियंता द्वारा निर्धारित दिनों की अधिकतम अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। सुरक्षा जमा चालू बिल/अंतिम बिल से कटौती के लिए उत्तरदायी है, जैसा कि मामला हो सकता है @ 5% सुरक्षा जमा की कुल राशि और प्रदर्शन गारंटी अनुबंध मूल्य का 3% प्राप्त करती है। उपरोक्त जमानत राशि एक वर्ष की दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) के सफलतापूर्वक पूरा होने और सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार ही ठेकेदार को वापस की जाएगी। ठेकेदार दोष देयता अवधि (डीएलपी) के दौरान निष्पादित कार्य में किसी भी दोष को दूर करने के लिए जिम्मेदार होगा। दोष देयता अवधि पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से या ठेकेदार को अंतिम भुगतान की तारीख से जो भी पहले हो, से शुरू होगी/ The contractor shall be required to deposit an amount equal to 3% of the tendered value of the work as performance guarantee in the form of Treasury Challan receipt/Deposit at Call receipt of a scheduled bank/Fixed Deposit receipt of a scheduled bank/TDR/Demand Draft of a scheduled bank issued in favour of the Executive Engineer, Wainganga Division, C.W.C., Nagpur payable at Nagpur within 7 days of the issue of letter of acceptance. This period can be further extended by the Engineer-in-charge up to a maximum period of prescribed number of days on written request of the contractor. Security deposit is liable to be deducted from the running bill/Final bill as the case may be @ 5% or more as applicable till total amount of security deposit and performance guarantee achieves 3% of the contract value. The above security deposit will be returned to the contractor only after successful completion of Defect Liability Period (DLP) of one year and as per the procedure mentioned in the CPWD works manual. The contractor will be responsible for removal of any defects cropping up in the work executed during the Defect Liability Period (DLP). Defect Liability Period will start from the date of issue of completion certificate or from the date of final payment to the contractor whichever is earlier.

- 16. निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे साइट और उसके आसपास की जांच करें और जमीन और उप-मिट्टी की प्रकृति (जहां तक व्यावहारिक है), साइट के रूप और प्रकृति, पहुंच के साधन के रूप में अपनी निविदाएं जमा करने से पहले खुद को संतृष्ट करें। साइट, आवास की उन्हें आवश्यकता हो सकती है और, सामान्य तौर पर, क्या वे स्वयं सभी आवश्यक जानकारी एक स्टोरिस्क, आकस्मिकताओं और अन्य परिस्थितियों को प्राप्त करेंगे जो उनकी निविदाओं को प्रभावित या प्रभावित कर सकते हैं। निविदाकर्ता को साइट का पूरा ज्ञान माना जाएगा कि वह इसका निरीक्षण करता है या नहीं और किसी गलतफहमी या अन्यथा के परिणामस्वरूप कोई अतिरिक्त शुल्क की अनुमित नहीं दी जाएगी। निविदाकार अपनी लागत पर सभी सामग्री, उपकरण और संयंत्र, पानी, बिजली का उपयोग, श्रमिकों के लिए सुविधाओं और कार्य को निष्पादित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी सेवाओं की व्यवस्था और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा, जब तक कि अन्यथा विशेष रूप से अनुबंध दस्तावेजों में प्रदान नहीं किया जाता है। एक निविदाकार द्वारा एक निविदा प्रस्तुत करने का तात्पर्य है कि उसने इस अनुबंध और अन्य सभी अनुबंध दस्तावेजों को पढ़ा है और उसे किए जाने वाले कार्य के दायरे और विशिष्टताओं और उन शर्ती और दरों के बारे में स्वयं जागरूक किया है जिन पर स्टोर, उपकरण और संयंत्र आदि हैं। उसे सरकार और स्थानीय परिस्थितियों और कार्य के निष्पादन को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों द्वारा जारी किया जाएगा/Tenderers are advised to inspect and examine the site and it surroundings and satisfy themselves before submitting their tenders as to the nature of the ground and sub-soil (so far is practicable), the form and nature of the site, the means of access to the site, the accommodation they may require and, in general, shall themselves obtain all necessary information as to risks, contingencies and other circumstances which may influence or affect their tenders. A tenderer shall be deemed to have full knowledge of the site whether he inspects it or not and no extra charges consequent on any misunderstanding or otherwise shall be allowed. The tenderer shall be responsible for arranging and maintaining at his own cost all materials, tools and plants, water, electricity access, facilities for workers and all other services required for executing the work unless otherwise specifically provided in the contract documents. Submission of a tender by a tenderer implies that he has read all other contract documents and has made him self aware of the scope and specifications of the work to be done and of conditions and rates at which stores, tools, and plant, etc. will be issued to him by Government and local conditions and other factors having a bearing on the execution of the work.
- 17. भारत के राष्ट्रपित की ओर से सक्षम प्राधिकारी सबसे कम या किसी अन्य निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और बिना किसी कारण बताए प्राप्त किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है या निविदाकर्ता द्वारा दी गई सशर्त छूट सिहत किसी भी शर्त को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को न्यूनतम वैध मूल्य बोली के संदर्भ में खरीद वरीयता की अनुमित देने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है, जहां उद्धृत मूल्य एक निविदा में इस तरह की न्यूनतम कीमत के 10% के भीतर है, अन्य चीजें सरकारी नियमों के अनुसार समान हैं /The competent authority on behalf of President of India does not bind itself to accept the lowest or any other tender and reserves to itself the authority to reject any or all of the tenders received without assigning any reason. All tenders in which any of the prescribed conditions is not fulfilled or any condition including that of conditional rebate is put forth by tenderer shall be summarily rejected. The competent authority also reserves its right to allow to the Central Government

public sector enterprises, a purchase preference with reference to the lowest valid pricebid, where the quoted price is within 10% of such lowest price in a tender, other things being equal as per Government rules.

- 18. सार्वजनिक उद्यम जो खरीद वरीयता का लाभ उठाते हैं, उन्हें लागत में वृद्धि आदि के लिए पर्याप्त दंड के अधीन किया जाना चाहिए/ The Public Enterprises who avail benefits of the purchase preference should be subjected to adequate penalties for cost overruns etc.
- 19. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार करना, निविदा के संबंध में सख्त वर्जित है और ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत निविदाएं जो प्रचार का सहारा लेती हैं, अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होंगी/ Canvassing whether directly or indirectly, in connection with tenders is strictly prohibited and tenders submitted by the contractors who resort to canvassing will be liable to rejection.
- 20. भारत के लिए राष्ट्रपित की ओर से सक्षम प्राधिकारी निविदा के किसी भी हिस्से को पूर्ण रूप से स्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है और निविदाकर्ता उद्धृत दर पर इसे करने के लिए बाध्य होगा/The competent authority on be half of President of India reserves to himself the right of accepting the whole or any part of the tender and the tenderer shall be bound to perform the same at the rate quoted.
- 21.ठेकेदार को संभाग कार्यालय (ठेके देने और निष्पादन के लिए जिम्मेदार) में कार्यों के लिए निविदा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें उसका निकट संबंधी संभागीय लेखाकार के रूप में या अधीक्षण अभियंता और सहायक अभियंता के ग्रेड के बीच किसी भी क्षमता में एक अधिकारी के रूप में तैनात है (दोनों समावेशी)। वह उन व्यक्तियों के नाम भी सूचित करेगा जो उसके साथ किसी भी क्षमता में काम कर रहे हैं या बाद में उसके द्वारा नियोजित हैं और जो केंद्रीय जल आयोग या जल शक्ति मंत्रालय, आरडी और जीआर, सरकार भारत में किसी भी राजपत्र अधिकारी को निकट संबंधी हैं। ठेकेदार द्वारा इस शर्त का उल्लंघन करने पर उसे इस विभाग के ठेकेदारों की अनुमोदित सूची से हटाया जा सकता है/The contractor shall not be permitted to tender for works in the Division Office(responsible for award and execution of contract) in which his near relative is posted as Divisional Accountant or as an officer in any capacity between the grades of Superintending Engineer and Assistant Engineer (both inclusive). He shall also intimate the name of the persons who are working with him in any capacity or are subsequently employed by him and who are near relatives to any Gazette Officer in the Central Water Commission or in the Ministry of Jal Shakti, RD & GR, Govt. of India. Any breach of this condition by the contractor would render him liable to be removed from the approved list of contractors of this department.
- 22. भारत सरकार के किसी इंजीनियरिंग विभाग में इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कर्तव्यों में कार्यरत राजपत्र रैंक के किसी भी अभियंता या अन्य राजपत्र अधिकारी को सरकार की पूर्व अनुमित के बिना सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद दो साल की अविध के लिए ठेकेदार के रूप में काम करने की अनुमित नहीं है। भारत के लिखित रूप में। यदि ठेकेदार या उसका कोई कर्मचारी किसी भी समय ऐसा व्यक्ति पाया जाता है, जिसने निविदा जमा करने या ठेकेदार की सेवा में संलग्न होने से पहले भारत सरकार की अनुमित प्राप्त नहीं की थी, तो यह अनुबंध रद्द किया जा सकता है/No Engineer of gazette rank or other gazette officer employed in Engineering or Administrative duties in an Engineering Department of the Government of India is allowed to work as a contractor for a period of two years after his retirement from the Government service,

without the previous permission of the Government of India in writing. This contract is liable to be cancelled if either the contractor or any of his employees is found any time to be such a person who had not obtained the permission of the Government of India as aforesaid before submission of the tender or engagement in the contractor's service.

- 23. कार्यों के लिए निविदा खुलने की तिथि से साठ दिनों की अवधि के लिए स्वीकृति के लिए वैध रहेगा। यदि कोई निविदाकर्ता अपनी निविदा को उक्त अवधि के लिए या स्वीकृति पत्र के मुद्दों, जो भी पहले हो, या बनाता है निविदा के निबंधन एवं शर्तों में कोई भी संशोधन जो विभाग को स्वीकार्य नहीं है, तो सरकार, बिना किसी अन्य अधिकार या उपाय के पूर्वाग्रह के, बयाना राशि को जब्त करने के लिए अधिकार रहेगा/The tender for the works shall remain open for acceptance for a period of ninety days from the date of opening of the tenders. If any tenderer with draws his tender before the said period or issue of letter of acceptance, whichever is earlier, or makes any modifications in the terms and conditions of the tender which are not acceptable to the department, then the Government shall, without prejudice to any other right or remedy, be at liberty to forfeit the earnest money.
- 24.यह निविदा आमंत्रण सूचना अनुबंध दस्तावेज का एक भाग होगी। सफल निविदाकार/ठेकेदार, स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा अपनी निविदा की स्वीकृति पर, काम के कार्यादेश जारी के 7 दिनों के भीतर, अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा जिसमें निविदा आमंत्रण नोटिस, अतिरिक्त शर्तों, विनिर्देशों और मानक सी.पी.डब्ल्यू.डी. फॉर्म 7/8 सिहत सभी दस्तावेज शामिल होंगे/This Notice Inviting Tender shall form a part of the contract document. The successful tenderer/contractor, on acceptance of his tender by the Accepting Authority, shall, within 7 days of the award of work shall sign the contract agreement consisting of the Notice Inviting Tender, all the documents including additional conditions, specifications and standard CPWD Form7/8.
- 25.सफल निविदाकर्ता के साथ निर्धारित प्रपत्र संख्या सीपीडब्ल्यूडी- 7/8 पर अनुबंध तैयार किया जाएगा, जो भारत सरकार के प्रकाशन के रूप में उपलब्ध है। निविदाकर्ता उक्त प्रपत्र के विभिन्न निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार अपनी दरें उद्धृत करेगा जो अनुबंध का भाग होगा/The agreement shall be drawn with the successful tenderer on the prescribed Form No. CPWD- 7/8, which is available as a Government of India Publication. The tenderer shall quote his rates as per various terms and conditions of the said form which will form part of the agreement.
- 26. कार्य को पूरा करने के लिए अनुमत समय, चरणबद्धता के अनुसार, यदि कोई हो, निविदा/कार्य आदेश की स्वीकृति पत्र जारी होने की तारीख से या साइट को सौंपने की पहली तारीख से, जो भी बाद में हो, 2 महीने होगा। , निविदा दस्तावेजों में दर्शाया गया है/ The time allowed for carrying out the work will be 2 months from the date of issue of letter of acceptance of tender/work order or from the first date of handing over of the site, whichever is later, in accordance with the phasing, if any, indicated in the tender documents.

निविदा घोषणा/TENDER DECLARATION

मैं/हमने निविदा आमंत्रण सूचना, अनुसूची 'ए', 'बी', 'सी', 'डी', 'ई' और 'एफ', लागू विनिर्देश, चित्र और डिजाइन, सामान्य नियम और निर्देश, शर्तों को पढ़ और जांचा है। अनुबंध, अनुबंध के खंड, विशेष शर्तें, दर की अनुसूची और अन्य दस्तावेजों और नियमों के अनुबंध की शर्तों में संदर्भित और काम के लिए निविदा दस्तावेज में अन्य सभी शर्तों मजूर है /I/We have read and examined the Notice InvitingTender, schedule `A', 'B', 'C', 'D', 'E' & F', Specifications applicable, Drawings and Designs, General Rules and Directions, Conditions of Contract, Clauses of Contract, Special conditions, Schedule of rate and other documents and rules referred to in the conditions of the contract of and all other contents in the tender document for the work.

मैं/हम, भारत के राष्ट्रपति कि ओर से निर्दिष्ट कार्य के निष्पादन के लिए अनुसूची 'एफ' में निर्दिष्ट समय के साथ, अर्थात मात्राओं की अनुसूची और सभी प्रकार से विनिर्देशों, डिजाइनों, रेखाचित्रों और लिखित निर्देशों के अनुसार सामान्य नियमों और निर्देशों के नियम -1 में और अनुबंध की शर्तों के खंड 11 में और ऐसी सामग्री के साथ जो इसके लिए और जहां तक लागू हो, ऐसी शर्तों के अनुसार प्रदान की जाती है/I/We hereby declare the tender for the execution of the work specified for the President of India with in the time specified in schedule `F', viz. Schedule of quantities and in accordance in all respects with the specifications, designs, drawings and instructions in writing referred to in Rule -1 of General Rules and Directions and in clause 11 of the conditions of contract and with such materials as are provided for, by, and in respects in accordance with, such conditions so far as applicable.

मैं/हम निविदा जमा करने की नियत तारीख से 60 दिनों के लिए खुला रखने के लिए और इसके नियमों और शर्तों में कोई संशोधन नहीं करने के लिए सहमत हू/ I/We agree to keep the tender open for **60 days** from the due date of submission there of and not to make any modifications in its terms and conditions.

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी डिवीजन के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.९/4/2020-पीपीडी दिनांक 12.11.2020 के अनुसार ईएमडी से छूट दी जाएगी। कंपनी के लेटर हेड पर निविदा दस्तावेज में उल्लिखित प्रारूप। यदि मैं/हम निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो मैं/हम सहमत हैं कि भारत के उक्त राष्ट्रपति या पद पर उनके उत्तराधिकारी बिना किसी अन्य अधिकार या उपाय के पूर्वाग्रह के, उक्त बयाना राशि को जब्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। बिल्कुल। इसके अलावा, यदि मैं/हम निर्दिष्ट के रूप में काम शुरू करने में विफल रहते हैं, तो मैं/हम सहमत हैं कि भारत के राष्ट्रपति या कार्यालय में उनके उत्तराधिकारी कानून में उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना, उक्त बयाना राशि को जब्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे और निष्पादन की गारंटी पूरी तरह से अन्यथा उक्त बयाना राशि उसके द्वारा निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट सभी कार्यों को निष्पादित करने के लिए या उसमें निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार सुरक्षा जमा के लिए रखी जाएगी और इस तरह के विचलन को अधिकतम तक करने के लिए आदेश दिया जा सकता है। अनुसूची 'एफ' में उल्लिखित प्रतिशत और उस सीमा से अधिक की दरों पर निविदा फॉर्म के अनुसार निर्धारित किया जाना ਫੈ/EMD shall be exempted as per Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, Procurement Policy Division O.M.No.F.9/4/2020-PPD dated 12.11.2020. If I/Wefail to furnish the prescribed performance guarantee within the prescribed period, I/We agree that the said President of India or his successors in office shall without prejudice to any other right or remedy, be at liberty to forfeit the said earnest money absolutely. Further, if I/We fail to commence work

as specified, I/We agree that President of India or his successors in office shall without prejudice to any other right or remedy available in law, be at liberty to forfeit the said earnest money and the performance guarantee absolutely otherwise the said earnest money shall be retained by him towards security deposit to execute all the works referred to in the tender documents upon the terms and conditions contained or referred to there in and to carry out such deviations as may be ordered, upto maximum of the percentage mentioned in the schedule`F' and those in excess of that limit at the rates to be determined in accordance with the tender form.

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ/ करते हैं कि मैं/हम निविदा दस्तावेजों, चित्रों और कार्य से जुड़े अन्य अभिलेखों को गुप्त/गोपनीय दस्तावेजों के रूप में मानेंगे और उनसे प्राप्त जानकारी को किसी ऐसे व्यक्ति को संप्रेषित नहीं करेंगे जिसे मैं/हम इसे संप्रेषित करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं या राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक किसी भी तरह से जानकारी का उपयोग करें/I/We hereby declare that I/We shall treat the tender documents, drawings and other records connected with the work as secret/confidential documents and shall not communicate information derived there from to any person to whom I/We may authorize to communicate the same or use the information in any manner prejudicial to the safety of the State.

दिनांक/Dated	
गवाह/Witness:	ठेकेदार के हस्ताक्षर/Signature of Contractor
पता/Address :	

निविदाकर्ता प्रोफ़ाइल/TENDERER PROFILE

1. निविदाकर्ता/फर्म का नाम/Name of theTenderer/firm:
2. निविदा जमा करने वाले व्यक्ति का नाम/Name of the person submitting theTender:
3. फर्म का पता/Address of the firm:
4.टेलीफ़ोन न.एस.टी.डी. कोड के साथ /Tel no.with STD code: (O)(R)(Fax) (मो. MOB)
5. फर्म का पंजीकरण और निगमन विवरण: Registration & incorporation particulars of the firm: i) स्वामित्व/Proprietorship ii) साझेदारी/Partnership iii) प्राइवेट लिमिटेड/Private Limited iv) पब्लिक लिमिटेड/Public Limited (कृपया पंजीकरण के दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें/ Please attachcopies of documents of registration)
6. मालिक/साझेदारों/निदेशकों/का नाम/Name of Proprietor /Partners /Directors
7. निविदाकर्ता का बैंक, उसका पता और उसका चालू खाता संख्या/Tenderer's bank, its address and his current account number
8. पैन नंबर/PAN Number (कृपया पैन की एक प्रति संलग्न करें /Please attach a copy of PAN)
9.जी.एस.टी. न./GST No (कृपया प्रति संलग्न करें/ Please attacha copy)
मैं/हम यहां घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है/I/We here by declare that the information furnished above is true and correct. स्थान/Place: दिनांक/Date:
निविदाकर्ता/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर/SignatureofTenderer/Authorized signatory
निविदाकर्ता का नाम /Name of the Tenderer

सामान्य नियम और निर्देश/GENERAL RULES AND DIRECTIONS

- मद दर निविदाओं में केवल उद्धत दरों पर ही विचार किया जाएगा। उद्धत दरों से कम/अधिक 1) प्रतिशत वाली कोई भी निविदा अस्वीकृत की जा सकती है। ठेकेदार द्वारा मेद दर निविदा में अंकित दरों को अंकों एवं शब्दों में सही-सही भरा जाएगा ताकि अंकों एवं शब्दों में लिखी दरों में कोई विसंगति न हो। हालांकि, यदि कोई विसंगति पाई जाती है, तो ठेकेदार द्वारा निर्धारित राशि के अनुरूप दरों को जब तक अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, को सही माना जाएगा। यदि ठेकेदार द्वारा मद की राशि की गणना नहीं की जाती है या यह अंकों या शब्दों में लिखी गई दरों के अनुरूप नहीं है, तो ठेकेदार द्वारा शब्दों में उद्धृत दरों को सही माना जाएगा। जहां ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरों को अंकों और शब्दों में मिलान किया जाता है, लेकिन राशि की गणना सही ढंग से नहीं की जाती है, ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरों को जब तक अन्यथा न कि राशि प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक इसे सही माना जाएगा/In the Item Rate tenders, only rates quoted shall be considered. Any tender containing percentage below/above the rates quoted is liable to be rejected. Rates quoted by the contractor in item rate tender in figures and words shall be accurately filled in so that there is no discrepancy in the rates written in figures and words. However, if a discrepancy is found, the rates which correspond with the amount worked out by the contractor shall unless otherwise provided be taken as correct. If the amount of item is not worked out by the contractor or it does not correspond with the rates written either in figures or in words, then the rates quoted by the contractor in words shall be taken as correct. Where the rates quoted by the contractor in figures and in words tally but the amount is not worked out correctly, the rates quoted by the contractor will unless otherwise provided be taken as correct and not the amount.
- 2) इस अनुबंध के संबंध में सामग्री पर जीएसटी, खरीद कर, टर्नओवर कर या कोई अन्य कर ठेकेदार द्वारा देय होगा और विभाग ठेकेदार द्वारा भुगतान किए गए पूर्ण कार्य से उत्पन्न होने वाली जीएसटी देयता की प्रतिपूर्ति करेगा/GST, purchase tax, turnover tax or any other tax on materials in respect of this contract shall be payable by the contractor and department will reimburse the GST liability arising out of complete work as paid by the contractor
- **3)** सरकारी नियमों के अनुसार ठेकेदार को भुगतान किए जाने वाले प्रत्येक बिल से आयकर की कटौती की जाएगी/Income tax as per Government rules will be deducted from each bill to be paid to the contractor.
- **4)** ठेकेदार को निविदा फॉर्म में आईटी पैन और कर पंजीकरण संख्या को सही ढंग से उद्धृत करना होगा/The contractor must quote the IT PAN and tax registration number correctly in the tender form.
- 5) कार्य पूर्ण होने पर पूर्व-प्राप्त बिल तीन प्रतियों में इस कार्यालय को अवश्य भेंजे। बिल में राशि को अंकों के साथ-साथ शब्दों में भी लिखा जाना चाहिए। भुगतान ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से किया जाएगा। भौतिक कार्य के 30%, 50% और 70% के पूरा होने के चरणों में ठेकेदार के लिखित अनुरोध पर चल रहे बिलों के खिलाफ अंतिरम भुगतान किया जा सकता है/After completion of works, a pre-receipted bill in triplicate must be sent to this office. The amount must be written in figures as well as in words in the bill. Payment will be made through online payment. Interim payment can be made against running bills on written request of the contractor in stages of completion of 30%, 50% & 70% of the physical work.
- 6) जब तक अन्यथा मात्रा की अनुसूची में प्रदान नहीं किया जाता है, ठेकेदार द्वारा दी गई दरें सभी समावेशी होंगी और भवन की सभी ऊंचाइयों, लिफ्टों, सीसा और गहराई पर लागू होंगी और इस खाते में उन्हें कुछ भी अतिरिक्त देय नहीं होगा/Unless otherwise provided in the Schedule of Quantities the rates tendered by the contractor shall be all inclusive and apply to

- all heights, lifts, leads and depths of the building and nothing extra shall be payable to him on this account.
- 7) जीएसटी का भुगतान प्रतिपूर्ति के आधार पर होगा। एजेंसी कार्यालय से प्रतिपूर्ति के लिए जीएसटी जमा करेगी और चालान आदि जमा करेगी।Payment of GST will be on reimbursement basis. Agency shall deposit GST and submit challan etc. for reimbursement from the office.
- 8) यदि आवश्यक हो तो ठेकेदार बिजली प्राप्त करने की अपनी व्यवस्था स्वयं करेगा और आवश्यक भुगतान सीधे संबंधित विभाग को करेगा/The contractor shall make his own arrangements for obtaining electricity if required and make necessary payments directly to the department concerned.
- 9) इस परियोजना से संबंधित कार्य करने वाली अन्य एजेंसियां भी साथ-साथ कार्यों को अंजाम देंगी और ठेकेदार इसके लिए आवश्यक सुविधाएं वहन करेगा। ठेकेदार ऐसे आवश्यक छेद, उद्घाटन आदि को पाइप, केबल, नाली, क्लैंप, बक्से और पंखे के क्लैंप आदि के लिए हुक आदि के काम में बिछाने / दफनाने के लिए छोड़ देगा, जैसा कि अन्य एजेंसियों के लिए आवश्यक हो, बिजली के तारों / केबलों के लिए नाली होगी। इस तरह से बिछाया जाए कि वे कंक्रीटिंग के लिए पर्याप्त जगह छोड़ दें और संरचनात्मक सदस्यों पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें। इसके लिए अनुबंध दरों से अधिक कुछ भी भुगतान नहीं किया जाएगा/Other agencies doing works related to this project will also simultaneously execute the works and the contractor shall afford necessary facilities for the same. The contractor shall leave such necessary holes, openings etc. for laying/ burying in the work of pipes, cables, conduits, clamps, boxes and hooks for fan clamps etc. as may be required for other agencies, conduit for electrical wiring/cables will be laid in a way that they leave enough space for concreting and do not adversely affect the structural members. Nothing extra over the agreement rates shall be paid for the same.
- 10) सुरक्षा कर्मचारियों आदि द्वारा श्रम, सामग्री आदि के संचालन और आवाजाही पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ऐसे सभी प्रतिबंधों / निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।और इस खाते पर कुछ भी अतिरिक्त देय नहीं होगा।Some restrictions may be imposed by the security staff etc. on the working and movement of labor, materials etc., shall be bound to follow all such restrictions/ instructions and nothing extra shall be payable on this account.
- 11) भवन निर्माण कार्य सभी प्रकार से अनुपालन करते हुए किया जाएगा ,स्थानीय निकाय के प्रासंगिक उप-नियमों की आवश्यकताएं जिसके अधिकार क्षेत्र में कार्य निष्पादित किया जाना है या प्रभारी अभियंता द्वारा निर्देशित किया गया है और इस खाते पर कुछ भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा/The building work will be carried out in the manner complying in all respects with the requirements of relevant Bye-laws of the local body under the jurisdiction of which the work is to be executed or as directed by the Engineer-in-charge and nothing extra will be paid on this account.
- 12) ठेकेदार स्थानीय या सार्वजनिक प्राधिकरण या नगरपालिका के उचित और कानूनी आदेशों और निर्देशों का पालन करेगा और उनके नियमों और विनियमों का पालन करेगा और सभी शुल्क और शुल्क का भुगतान करेने के लिये उत्तरदायी हैं।/The contractor shall comply with proper and legal orders and directions of the local or public authority or municipality and abide by their rules and regulations and pay all fees and charges, which may be liable.
- 13) बेहतर बॉन्ड के लिए कंक्रीटिंग जारी रखने के लिए सतह (या) पर जोड़ा गया कोई भी सीमेंट घोल वस्तुओं में बनाया गया माना जाता है और इस खाते में खपत में अतिरिक्त कुछ या अतिरिक्त सीमेंट भी देय नहीं होना चाहिए /Any cement slurry added over surface (or) for continuation of concreting for better bond is deemed to have been in built in the items and nothing extra should be payable (or) extra cement considered in consumption on this account.

- 14) किसी भी कार्य को करने से पहले संरचनात्मक और वास्तु रेखाचित्रों को हर समय उचित रूप से सहसंबद्ध किया जाना चाहिए। तथापि, निविदा के साथ संलग्न मात्राओं की अनुसूची में दी गई मद में और संबंधित मद से संबंधित वास्तु रेखाचित्रों में किसी भी विसंगति के मामले में, जब तक कि प्रभारी अभियंता द्वारा लिखित रूप में अन्यथा नहीं दिया जाता है, तब तक पूर्व मान्य होगा/The structural and architectural drawings shall at all times be properly correlated before executing any work. However, in case of any discrepancy in the item given in the schedule of quantities appended with the tender and architectural drawings relating to the relevant item, the former shall prevail unless and otherwise given in writing by the Engineer-in-charge.
- 15) ठेकेदार सामग्री की ढुलाई, भंडारण और सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सभी आकस्मिक शुल्क वहन करेगा/The contractor shall bear all incidental charges for carriage, storage, and safe custody of the materials.
- 16) माप रिकॉर्ड करने और चालू खाता बिल तैयार करने के उद्देश्य से, प्रकाशनों में इंगित संक्षिप्त नामकरण 'डीएसआर 2021 और बाजार दर की एक वस्तु का संक्षिप्त नामकरण' स्वीकार किया जाएगा। संक्षिप्त नामकरण अनुबंध और अन्य प्रासंगिक विनिर्देशों में संबंधित मदों के पूर्ण नामकरण के अनुसार सभी सामग्रियों और कार्यों को कवर करने के लिए लिया जाएगा/For the purpose of recording measurements and preparing running account bills, the abbreviated nomenclature indicated in the publications 'Abbreviated nomenclature of an item of DSR-2021& Market Rate' shall be accepted. The abbreviated nomenclature shall be taken to cover all the materials and operations as per the complete nomenclature of the relevant items in the agreement and other relevant specifications.
- 17) उन मदों के मामले में जिनके लिए उपर्युक्त प्रकाशन में संक्षिप्त नामकरण उपलब्ध नहीं है और उन कार्यों के अतिरिक्त और प्रतिस्थापित मदों के मामले में जिनके लिए अनुबंध में संक्षिप्त नामकरण प्रदान नहीं किया गया है, मदों का पूरा नामकरण पुन: प्रस्तुत किया जाएगा। खाता बिल चलाने के लिए माप पुस्तकों और बिल प्रपत्रों में। माप पुस्तका से अंतिम बिल का सार तैयार करने और अंतिम बिल के बिल फॉर्म में भी मदों का पूरा नामकरण अपनाया जाएगा।In the case of items for which abbreviated nomenclature is not available in the above- cited publication and also in the case of extra and substituted items of works for which abbreviated nomenclature is not provided in the agreement the full nomenclature of items shall be reproduced in the measurement books and bill forms for running account bill. The full nomenclature of the items shall be adopted in preparing abstract of final bill from in the measurement book and also in the bill form for the final bill.
- 18) ठेकेदार अपने उत्पाद के लिए सीमेंट आईएसआई प्रमाणन चिह्न के प्रतिष्ठित निर्माताओं से, जिनके नाम को इंजीनियर- प्रभारी। सीमेंट की आपूर्ति 50 किलो मानी जाएगी। निर्माता के नाम और आईएसआई मार्किंग वाले बैग/The contractor shall procure 53 grade Ordinary Portland Cement (OPC) or Portland Pozzolana Cement (PPC) as per BIS as required in the work, from reputed manufacturers of cement ISI certification mark for their product whose name shall be got approved from Engineer-in-charge. Supply of cement shall be taken as 50 kg. Bags bearing manufacture's name and ISI marking.
- **19)** अधिरचना के लिए प्रयुक्त सीमेंट ओपीसी होना चाहिए।/The cement used for the superstructure must be OPC.
- **20)** लकड़ी/इस्पात की शटरिंग की अनुमित होगी।/Wood/steel shuttering shall be permitted.

अनुबंध की शर्तें/CONDITIONS OF CONTRACT

(1) परिभाषाएँ और व्याख्याएँ:/**Definitions & Interpretations**:सेवाओं का अर्थ है निविदा दस्तावेज में पहचानी गई सेवाओं और अनुबंध के अनुसार क्रेता की सुविधा पर प्रदान की जाने वाली सेवाएं / Services mean the services as identified in the tender document and to be provided at the purchaser's facility as per the contract.

अनुबंध का अर्थ है इस दस्तावेज़ में उल्लिखित कार्य के उद्देश्य के लिए क्रेता और ठेकेदार द्वारा किया गया समझौता। इस कार्य के लिए आदान-प्रदान किए गए सभी दस्तावेज, पत्र, पत्राचार अनुबंध का हिस्सा होंगे/ Contract means the agreement reached by the Purchaser and the Contractor for the purpose of the work mentioned in this document. All documents, letters, correspondences exchanged for this work shall be the part of the contract.

अनुबंध मूल्य: ठेकेदार के प्रस्ताव में पहचाने गए कार्य की लागत पूरी तरह से अनुबंध मूल्य में शामिल है। इसमें इस अनुबंध के तहत अनुमत परिवर्तन आदेश के तहत किए गए ऐसे जोड़/कटौती शामिल होंगे।/ Contract Price: The cost of work identified in the Contractor proposal is included in the Contract Price in their entirety. This will include such additions/deductions made under variation order as allowed under this contract.

नोटिस में इस अनुबंध के तहत दिए जाने वाले किसी भी अनुमोदन, सहमित, निर्देश, प्रमाण पत्र और स्पष्टीकरण शामिल माना जाएगा।/ Notices shall be deemed to include any approvals, consents, Instructions, certificates and clarifications to be given under this contract.

क्रेता है: भारत के राष्ट्रपति कि ओर से अधिशासी अभियंता ,वैनगंगा डिवीजन, केंद्रीय जल आयोग, नागपुर -440006 के द्वारा करता है /The Purchaser is: The President of India through Executive Engineer, Wainganga Division, Central Water Commission, Nagpur-440006

ठेकेदार: सफल निविदाकर्ता की एजेंसी ठेकेदार है जिसके साथ क्रेता इस दस्तावेज़ में विस्तृत माल की आपूर्ति के लिए अनुबंध करता है।/ Contractor: The Contractor is the agency of the successful tenderer with whom the purchaser enters into a contract for the supply of goods detailed in this document.

निष्पादन की अवधि वह अवधि है जिसके दौरान ठेकेदार क्रेता को बिना किसी अतिरिक्त लागत के काम करने के लिए उत्तरदायी होता है।/ The Execution Period is the period during which the Contractor is liable to carry out work without any additional cost to the purchaser.

गैर-प्रतिक्रियात्मक निविदा: कोई भी निविदा जो निविदा दस्तावेज में उल्लिखित सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है।/Non-Responsive tender: Any tender not meeting all the requirements mentioned in the tender document.

ई-निविदा: ई-निविदा वेब आधारित निविदा/खरीद प्रक्रिया है जिसमें खरीदार अपनी आवश्यकताओं को ऑनलाइन रखता है और आपूर्तिकर्ता ऑनलाइन बोली लगाते हैं। इस निविदा को सीपीपी ई-निविदा वेब पोर्टल https://eprocure.gov.in के माध्यम से संसाधित किया जाएगा।/E-tendering: e-tendering is web based tendering/ procurement process in which buyer puts its requirements online and suppliers bid online. This tender will be processed through CPP e-tendering web portal of https://eprocure.gov.in.

(2) **कार्य का दायरा:** "अधिशाषी अभियंता, वैनगंगा मंडल, केंद्रीय जल आयोग, नागपुर के अंतर्गत "वैनगंगा मंडल, केंद्रीय जल आयोग, नागपुर के अंतर्गत पेनगंगा उपमंडल, यवतमाल के स्थल कन्हरगाँव, भिश्रर एवं पी जी ब्रिज में विट्रिफाइड टाइल्स उपलब्ध कराना और बिछाना की ई-निविदा"/ E-tender of

Providing & Laying of Vitrified Tiles at site Kanhargaon, Bhishnur & P.G. Bridge under Penganga subdivision under Wainganga Division, CWC, Nagpur.

- (3) अनुबंध के दस्तावेज/Documents of Contract: सभी दस्तावेजों को सहसंबंधी, पूरक और पारस्परिक रूप से व्याख्यात्मक माना जाएगा। व्याख्याओं के लिए अनुबंध को समग्र रूप से पढ़ा जाएगा। सभी पत्राचार, नोटिस आदि अनुबंध का हिस्सा होंगे/All the documents shall be considered as correlative, complementary and mutually explanatory. The contract shall be read as a whole for the interpretations. All correspondence, notices etc. shall form a part of the contract.
- (4) व्याख्याएं/Interpretations: भाषा /Language: इस अनुबंध के प्रयोजन के लिए केवल हिंदी/अंग्रेजी होगी/The language shall be hindi & English only for the purpose of this contract. संदर्भ/Context: अनुबंध के संदर्भ के अनुसार एकवचन और बहुवचन विनिमेय होंगे/ the singular and plural shall be interchangeable as per the context of the contract. निविदा दस्तावेज के हिंदी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण के बीच विसंगतियों के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।/In case of discrepancies found between Hindi version and English version of the tender document, English version shall prevail.

(5) ठेकेदार की जिम्मेदारियां और दायित्व/Contractor's responsibilities and Obligations:

- अ.) ठेकेदार नौकरी की सुरक्षा, बीमा, सीमा शुल्क और आव्रजन उपायों और लागू कानूनों का पालन करेगा और क्रेता को दुर्घटनाओं या जीवन की हानि से उत्पन्न सभी मांगों या जिम्मेदारियों से क्षितिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसका कारण ठेकेदार की लापरवाही है। ठेकेदार ऐसी घटनाओं से उत्पन्न होने वाली सभी क्षितिपूर्ति का भुगतान करेगा और किसी भी तरह से क्रेता को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा/The Contractor will abide by the job safety, insurance, customs and immigration measures prevalent and laws in force and will be liable to indemnify the Purchaser from all demands or responsibilities arising from accidents or loss of life, the cause of which is the Contractor's negligence. The Contractor will pay all indemnities arising from such incidents and will not hold the Purchaser responsible in any manner.
- ब.) ठेकेदार अनुबंध के अनुसार सभी अनुबंधित गतिविधियों को उचित देखभाल और परिश्रम के साथ संचालित करने और अत्याधुनिक तरीकों और आर्थिक सिद्धांतों का उपयोग करने और अनुबंध में निर्दिष्ट प्रदर्शन को प्राप्त करने के लिए सभी उचित साधनों का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है/ The Contractor is responsible to conduct all contracted activities with due care and diligence, in accordance with the Contract and using state-of-the-art methods and economic principles, and exercising all reasonable means to achieve the performance specified in the Contract.
- स.) ठेकेदार क्रेता के साथ मिलकर काम करने और अनुबंध की शर्तों के अनुरूप निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है/The Contractor is obliged to work closely with the Purchaser and abide by directives that are consistent with the terms of the Contract.
- द.) जिस ठेकेदार की निविदा स्वीकार की जाती है, उसे प्रस्तुत करना होगा: The Contractor whose tender is accepted, will be required to furnish: -
- i. निष्पादन सुरक्षा/Performance Guarantee
- ii. सेवा कर पंजीकरण का प्रमाण पत्र /Certificate of Service Tax Registration.
- iii. पंजीकरण प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी/Photo copy of registration certificate.
- iv. पैन की फोटो कॉपी/Photo copy of PAN
- v. जीएसटी पंजीकरण /GST Registration,
- vi. अप-टू-डेट जीएसटी क्लीयरेंस प्रमाणित-बोली दस्तावेजों के साथ /Up-to date GST clearance certified along-with the bid documents

6.) क्रेता की जिम्मेदारियां/Purchaser's responsibilities

- a. क्रेता सभी सूचनाओं की सटीकता सुनिश्चित करेगा/The purchaser will ensure accuracy of all information.
- b. क्रेता कार्य के लिए स्थलों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा /The purchaser will ensure the availability of sites for the work.
- 7.) अनुबंध की अविध/Duration of contract: ठेके के संचालन की अविध कार्य सौंपे जाने के बाद 60 दिन की होगी। अनुबंध देने से पहले क्रेता द्वारा अनुबंध की अविध को बदला/संशोधित किया जा सकता है /The period of operation of the contract shall be 60 days after award of work. The duration of contract may be altered/modified by the purchaser before awarding contract.

8.) गोपनीयता/Confidentiality

- a. ठेकेदार, क्रेता की पूर्व लिखित सहमित के बिना, अनुबंध, या उसके किसी प्रावधान, या उसके संबंध में क्रेता द्वारा या उसकी ओर से प्रस्तुत किए गए किसी विनिर्देश या जानकारी को ठेकेदार द्वारा नियोजित व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को प्रकट नहीं करेगा। अनुबंध का प्रदर्शन। ऐसे किसी भी नियोजित व्यक्ति को प्रकटीकरण विश्वास के साथ किया जाएगा और केवल तभी तक बढ़ाया जाएगा जब तक कि इस तरह के प्रदर्शन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो/The Contractor shall not, without the Purchaser's prior written consent, disclose the Contract, or any provision there of, or any specification or information furnished byor on behalf of the Purchaser in connection therewith, to any person other than a person employed by the Contractor in the performance of the Contract. Disclosure to any such employed person shall be made in confidence and shall extend only so far as may be necessary for purposes of such performance.
- b. अनुबंध के अलावा कोई भी दस्तावेज, क्रेता की संपत्ति रहेगा और उसकी सभी प्रतियां अनुबंध की समाप्ति पर क्रेता को वापस कर दी जाएंगी/Any document, other than the Contract itself, shall remain the property of the Purchaser and all copies thereof shall be returned to the Purchaser on termination of the Contract.
- c. ठेकेदार, क्रेता की पूर्व लिखित सहमित के बिना, अनुबंध के निष्पादन के उद्देश्य को छोड़कर, इस दस्तावेज़ में उल्लिखित किसी भी दस्तावेज़ या जानकारी का उपयोग नहीं करेगा/The Contractor shall not, without the Purchaser's prior written consent, make use of any document or information enumerated in this document except for purpose of performing the Contract.
- d. क्रेता, ठेकेदार की पूर्व लिखित सहमित के बिना, अनुबंध के संबंध में ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी दस्तावेज, डेटा या अन्य जानकारी का खुलासा नहीं करेगा, और ठेकेदार द्वारा अग्रिम रूप से गोपनीय होने के रूप में स्पष्ट रूप से पहचान की गई पार्टियों के लिए, सीधे परियोजना में शामिल नहीं है। (एस) अनुबंध द्वारा कवर किया गया/The Purchaser shall not, without the Contractor's prior written consent, disclose any documents, data or other information furnished by the Contractorin connection with the Contract, and clearly identified in advance by the Contractor as being confidential, to parties not directly involved in the project(s) covered by the Contract.

9. अनुबंध की सामान्य शर्तें/General Conditions of Contract:

- 1) बोलीदाता भारत सरकार और भारत सरकार/राज्य सरकारों द्वारा जारी भ्रष्ट और कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए अपात्रता की घोषणा के अधीन नहीं होंगे/Bidders shall not be under a declaration of ineligibility for corrupt and fraudulent practices issued by Government of India and Government of India/State Governments.
- 2) बिना निर्दिष्ट बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन फॉर्म वाली निविदाओं को अस्वीकार कर दिया जाएगा/Tenders with out specified Bid Security Declaration Form shall be rejected.
- 3) बोलीदाता को किसी भी सरकारी या गैर-सरकारी संस्थानों या सरकारी विभाग के उपक्रम/सार्वजनिक उद्यमों द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया होना चाहिए/The bidder

- should not have been black listed by any Government or non-Government institutions or Government Department undertaking/public enterprises.
- 4) फर्मीं को भारत में स्थायी कार्यालय के साथ भारत में पंजीकृत होना चाहिए/The Firms shall be registered in India with permanent office preferably in India.
- 5) ठेकेदार पेशेवर होना चाहिए और पिछले तीन वर्षों में मानव शक्ति को संभालने का अनुभव होना चाहिए और प्रासंगिक कार्यों के लिए अनुमानित लागत का 50% औसत वार्षिक टर्न-ओवर होना चाहिए।/The contractor should be professionals & having experience in handling manpower in last three years having average annual turn-over of 50 % of the estimated cost for relevant works.
- 6) भारत के राष्ट्रपति की ओर से सक्षम प्राधिकारी सबसे कम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, और बिना किसी कारण बताए प्राप्त किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार या स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। सभी निविदाएं जिनमें निर्धारित शर्तों में से कोई भी पूरी नहीं होती है या किसी भी तरह से अधूरी हैं, अस्वीकार की जा सकती हैं।/The competent authority on behalf of President of India does not bind itself to accept the lowest or any tender, and reserves its right to reject or postponed any or all of the tenders received without the assignment of any reason. All tenders in whom any of the prescribed conditions are not fulfilled or are incomplete in any respect are liable to rejected.
- 7) निविदाओं के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार करना सख्त वर्जित है और ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत की गई निविदाएं जो प्रचार का सहारा लेती हैं, अस्वीकार की जा सकती हैं।/Canvassing whether directly or indirectly, in connection with tenders is strictly prohibited and the tenders submitted by the contractors who resort to canvassing will be liable to rejection.
- 8) कार्यों से संबंधित अन्य दस्तावेजों की प्रतियां उपरोक्त अधिकारी के कार्यालय में निविदाकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी। निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है, कि वे साइट और उसके आसपास का निरीक्षण और जांच करें और अपनी निविदाएं, साइट के रूप और प्रकृति, साइट तक पहुंच के साधनों को जमा करने से पहले खुद को संतुष्ट करें और सामान्य तौर पर जोखिम, आकस्मिकताओं और के बारे में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करें। अन्य परिस्थितियाँ जो उनकी निविदा को प्रभावित या प्रभावित कर सकती हैं। एक निविदा को साइट का पुरा ज्ञान माना जाएगा कि वह इसका निरीक्षण करता है या नहीं और किसी भी गलतफहमी या अन्यथा के परिणामस्वरूप कोई अतिरिक्त शल्क की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का तात्पर्य है कि उसने इस नोटिस और अन्य सभी दस्तावेजों को पढ लिया है और खुद को किए जाने वाले कार्य के दायरे और विशिष्टताओं से अवगत करा दिया है।/Copies of other documents pertaining to the works will be open for inspection by the tenderers at the office of the above mentioned officer. Tenderer are advised to inspect and examine the site and its surrounding and satisfy them selves before submitting their tenders, the form and nature of the site, the means of access to the site and in general shall themselves obtain all necessary information as to risks, contingencies and other circumstances which may influence or affect their tender. A tender shall be deemed to have full knowledge of the site whether he inspects it or not and no extra charges consequent on any misunderstanding or otherwise shall be allowed. Submission of a tender by a tenderer implies that he has read this notice and all other documents and has made himself aware of the scope and specifications of the work to be done.
- 9) इस अनुबंध के तहत केवल सीपीपी (https://eprocure.gov.in) के ई-प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल

के माध्यम से बोली स्वीकार्य है/Bidding only through e-procurement web portal of CPP (https://eprocure.gov.in) is acceptable under this contract.

10) यह कार्यालय द्वारा किसी भी स्तर पर निविदा प्रक्रिया को रद करने के कारण से बोली लगाने वाले को किसी भी वित्तीय या किसी अन्य नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा/This office shall not be liable for any financial or any other lossoccur to bidder due to cancellation of tendering process at any stage by this office.

10.) दंड/Penalty

- a) अनुबंध के अनुसार विभाग को कोई नुकसान होने की स्थिति में देय भुगतान या प्रदर्शन सुरक्षा से उचित राशि की कटौती की जाएगी/Appropriate amount will be deducted from the payments due or Performance Guarantee in case any loss is suffered by the department as per the contract.
- b) यदि ठेकेदार प्रभारी अभियंता की संतुष्टि के अनुसार या समय सीमा के भीतर कार्य को निष्पादित करने में असमर्थ है, तो एजेंसी के भुगतान से एक उपयुक्त जुर्माना राशि काटी जा सकती है। इसके अलावा, प्रदर्शन सुरक्षा को भी जब्त किया जा सकता है/Incase the Contractor is unable to execute the work to the satisfaction of the Engineer-in-charge or with in the time limit, a suitable penalty amount may be deducted from the payment of the Agency. In addition, Performance Guarantee may also to be forfeited.
 - 10. संपत्ति की हानि/Loss of Property:ठेकेदार को क्रेता और उसके कर्मचारियों को मृत्यु, व्यक्तिगत चोट या संपत्ति को नुकसान, अनुबंध के कारण सिस्टम को होने वाले नुकसान के परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी नुकसान, देनदारियों और लागतों से क्षतिपूर्ति करेगा और हानिरहित रखेगा/The Contractor shall in demnify and hold harmless the Purchaser and its employees from any losses, liabilities and costs resulting from the death, personalinjuryorloss to damage to the property, loss to the system arising due to the performance of contract.

11. अप्रत्याशित घटना/Force Majeure

- a. इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "अप्रत्याशित घटना" का अर्थ एजेंसी के नियंत्रण से बाहर की घटना से होगा, न कि लापरवाही के लिए एजेंसी की गलती को शामिल है। इस तरह की घटनाओं में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं, युद्ध या क्रांतियां, आग, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, और माल ढुलाई प्रतिबंध। हालाँकि, कार्य की प्रकृति को देखते हुए वर्षा और बाढ़ को अप्रत्याशित घटना नहीं माना जाएगा/For purposes of this Clause, "Force Majeure" will mean an event beyond the control of the Agency and not in volving the Agency'sfaul to negligence. Such events may include, butarenotrestricted to, warsor revolutions, fires, epidemics, quarantine restrictions, and freight embargoes. However, considering the nature of work rainfall and floods will not be considered as Force Majeure.
- b. यदि अप्रत्याशित घटना की स्थिति उत्पन्न होती है, तो एजेंसी क्रेता को ऐसी स्थिति और उसके कारण के बारे में लिखित रूप में तुरंत सूचित करेगी। जब तक कि क्रेता द्वारा लिखित रूप में अन्यथा निर्देशित नहीं किया जाता है, एजेंसी अनुबंध के तहत इस तरह के दायित्वों को उचित रूप से व्यावहारिक रूप से निष्पादित करना जारी रखेगी, और प्रदर्शन के लिए सभी उचित वैकल्पिक साधनों की तलाश करेगा, जिन्हें रोका नहीं गया है/ Force Majeure situation arises, the Agency shall promptly notify the Purchaser in writing of such condition and the cause thereof. Unless otherwise directed by the Purchaser in writing, the Agency shall continue to perform its obligations under the contract as far as is reasonably practical and shall seek all reasonable alternative means for performance not prevented by the Force Majeure event.
- c. यदि अप्रत्याशित घटना की घटना नब्बे (90) दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिए जारी

रहती है, तो पार्टियां आपसी समझौते से अनुबंध को समाप्त कर सकती हैं, बिना किसी भी पक्ष के अनुबंध के संबंध में किसी भी अन्य देनदारियों को प्रभावित करने के अलावा, भुगतान को प्रभावित करने के अलावा पहले से डिलीवर किए गए उत्पादों या पहले से निष्पादित सेवाओं के करना होता है/If an event of Force Majeure continues for a period of ninety (90) days or more, the parties may by mutual agreement, terminate the Contract without either party incurring any further liabilities towards the other with respect to the Contract, other than to effect payment for Products already delivered or Services already performed.

d. बढ़ी हुई लागत के लिए एजेंसी का कोई दावा, 'अप्रत्याशित घटना' के लिए जिम्मेदार, क्रेता द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।/No claim of the agency for increased costs, attributed to

the 'Force Majeure' event, shall be entertained by the purchaser.

- 12. अनुबंध मूल्य निविदाकर्ता (मूल न्यूनतम मजदूरी के प्रतिशत के संदर्भ में) निविदाकर्ता के अनुबंध के प्रदर्शन के दौरान तय किया जाएगा और किसी भी बदलाव के अधीन नहीं होगा/Contract Price the tenderer (in terms of percentage of basic minimum wage) shall be fixed during the tenderer's performance of the Contract and shall not subject to any variation on
- a. किसी भी खाते द्वारा सेवा शुल्क/Service charges by any account.
- b. मूल्य अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार कीमतें दी जानी चाहिए।The prices should be given as per the format given in price schedule.

c. लागू होने वाले कर देय होंगे /Taxes as applicable shall be payable.

13. भुगतान की शर्तें/Terms of Payment

- a. कार्य पूरा होने के बाद एजेंसी तीन प्रतियों में बिल जमा करेगी। सीडब्ल्यूसी के संबंधित उप-मंडल के प्रभारी अधिकारी द्वारा दिए गए पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ सभी प्रकार से पूर्ण दावा प्रस्तुत करने के बाद पूरा भुगतान जारी किया जाएगा। भौतिक जीएसटी के 30%, 50% और 70% के पूरा होने के चरणों में ठेकेदार के लिखित अनुरोध पर चल रहे बिलों के खिलाफ अंतरिम भुगतान किया जा सकता है, एजेंसी को वित्तीय बोली में एजेंसी द्वारा उद्धृत दर के अनुसार या लागू जीएसटी दर के अनुसार चल रहे बिल में, जो भी कम हो, प्रतिपूर्ति पर किया जा सकता है/The agency will submit the bill in triplicate after the completion of the work. The full payment will be released after submission of claim, complete in all respects along with Completion Certificate given by the Officer In-Charge of the concerned Sub-Divisions of CWC. Interim payment can be made against running bills on written request of the contractor in stages of completion of 30%, 50% & 70% of the physical GSTshall be made to the agency as per therate quoted by the agency in the Financial Bid or in the running Bill as per the applicable GST rate, whichever is lower on reimbursement work.
- b. आयंकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित लागू दरों के अनुसार स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती, इस अनुबंध के तहत किए गए प्रत्येक भुगतान से कार्यकारी अभियंता, वैनगंगा डिवीजन, सीडब्ल्यूसी, नागपुर द्वारा की जाएगी/Deduction of tax at source (TDS) as per applicable rates prescribed under the Income- tax Act, 1961, shall be made by the Executive Engineer, WAINGANGA DIVISION, CWC, Nagpur, from every payment made under this contract.
- c. भुगतान ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जायेगा/The payment may be made through online mode.
- d. भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने के आधार पर भुगतान होगा/Payment of basis on production of proof of payment.
- e. कार्य के लिए सरकारी कर/लेवी/शुल्क, सेवा कर आदि निविदाकार द्वारा वहन किया जाएगा/Govt.Tax/Levy/Duty, Service Tax etc.for the work shall be borne by tenderer.

- 14. कर और शुल्क/Taxes and Duties: ठेकेदार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर लगाए गए सभी मौजूदा और नए कर, लेवी, चुंगी, कस्टम और अन्य शुल्क केवल उद्धृत दरों के भीतर ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे। समय-समय पर प्रचलित सरकारी नियमों के अनुसार स्रोत पर टीडीएस काटा जाएगा/All the existing and newtaxes,levies,octroi, customand other charges levied on the services rendered by the Contractor shall be borne by the Contractor only with in the quoted rates. The TDS shall be deducted at source as per the prevailing Government rules from time to time.
- 15. अग्रिम/Advances :इस अनुबंध के तहत कोई अग्रिम भुगतान देय नहीं है/No advance payment is payable under this contract.
 - 16. दावों का विमोचन/Release of Claims:काम पूरा होने के बाद और अंतिम भुगतान के समय, ठेकेदार इस अनुबंध में विशेष रूप से स्वीकार किए जाने के अलावा इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाले सभी दावों के लिए क्रेता को लिखित रूप से मुक्त करेगा/After completion of work and at the time of final payment the Contractor shall givein writing, releasing the Purchaser for all the claims arising out of this contract other than specifically accepted in this contract.

17. कानून का पालन/Observance of Law

- a) अनुबंध को एक भारतीय अनुबंध के रूप में माना जाएगा और समय-समय पर लागू भारतीय कानूनों के अनुसार संचालित किया जाएगा/The contract shall be considered and operated as an Indian contract and as per Indian laws applicable from time to time.
- b) अनुबंध के पक्ष ऐसे सभी कानूनों के उल्लंघन की कार्रवाई से उत्पन्न होने वाले सभी दावों या देनदारियों के खिलाफ एक दूसरे की रक्षा और क्षतिपूर्ति करेंगे/The parties to the contract shall protect and indemnify each other against all claims or liabilities arising from the action of violation of all such laws.
- c) भारतीय कानूनों के तहत अंतिम अनुबंध की व्याख्या की जाएगी/The resultant contract will be interpreted under Indian laws.

18. अनुबंध की समाप्ति/Termination of Contract

a) क्रेता की सुविधा के लिए For Purchaser's convenience: क्रेता ठेकेदार को 15 दिनों का नोटिस देकर किसी भी समय अनुबंध समाप्त कर सकता है The Purchaser can terminate the contract at any time by giving a notice of 15 days to the Contractor.

ठेकेदार को मुआवजे के लिए किसी भी भुगतान का कोई दावा नहीं होगा या अन्यथा किसी भी लाभ या लाभ के कारण जो भी प्राप्त हो सकता है/The Contractor shall have no claim to any payment for the compensation or otherwise whatsoever on account of any profit or advantage which might have been derived.

b) ठेकेदार की चूक के लिए/For Contractor's Default

- i). क्रेता किसी भी अन्य अधिकार या उपचार के पूर्वाग्रह के बिना निम्नलिखित मामलों में अनुबंध को समाप्त कर सकता है/The Purchaser without prejudice to any other rights or remedies it may possess may terminate the contract in following cases:
 - > यदि ठेकेदार बैंक भ्रष्ट दिवालिया आता है /If the Contractor becomes bankrupt or insolvent.
 - यदि ठेकेदार ने अनुबंध को छोड़ दिया है या अस्वीकार कर दिया है, तो इस अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में लगातार विफल रहा है/ If the Contractor has abandoned or repudiated the contract, persistently failed to carryout its obligations under this contract.

यदि ठेकेदार इस अनुबंध के तहत अपने दायित्वों की उपेक्षा करता है/If the Contractor neglects its obligations under this contract.

यदि ठेकेदार ने कोई गलत दस्तावेज प्रस्तुत किया है/If the contractor has furnished any false document.

ii). क्रेता किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना चूक की प्रकृति और उसके लिए उपाय की आवश्यकता बताते हुए अनुबंध को समाप्त करने के लिए नोटिस जारी कर सकता है। एक निर्दिष्ट कार्य करने के लिए ठेकेदार की विफलता क्रेता द्वारा अनुबंध की समाप्ति के लिए पर्याप्त आधार हो सकती है/The Purchaser may without prejudice to any other right issue a

> notice for termination of the contract stating the nature of default and requiring the remedy for the same. Failure of the Contractor to carry out a specified work may be sufficient grounds for termination of the contract by the purchaser.

- c) ठेकेदार द्वारा समाप्ति/Termination by Contractor: ठेकेदार केवल 15 दिनों के नोटिस के साथ अनुबंध समाप्त कर सकता है/The Contractor can terminate the contract with in 15 days notice only incase:
- (i) ठेकेदार किसी भी कारण से अनुबंध के अपने दायित्वों को क्रेता के लिए जिम्मेदार ठहराने में असमर्थ है /The Contractor is unable to carry out its obligations of the contract for any reason at tributable to the Purchaser.
- (ii) यदि एजेंसी अनुबंध को समाप्त करने के लिए एक महीने का लिखित नोटिस देने में विफल रहती है, तो एक महीने का वेतन आदि और कार्यालय से सेवा प्रदाता को देय किसी भी राशि को जब्त कर लिया जाएगा/If the agency fails to give one month's notice in writing for termination of the Agreement, then one month's wages etc and any amount due to the Service Provider from the office shall be forfeited.

d) एक्-एक समाप्ति/Onevery termination

- I. ठेकेदार आगे का काम बंद कर देगा /The Contractor shall cease further work.
- II. ऐसी परिस्थिति में, केवल क्रेता द्वारा विधिवत मूल्यांकित कार्य के हिस्से के लिए उचित रूप से जिम्मेदार अनुबंध मूल्य क्रेता द्वारा ठेकेदार को देय होगा। इस संबंध में क्रेता का निर्णय अंतिम होगा/Under such circumstance, only the contract price properly attributable to the partof the work duly valued by the Purchaser shall be payable by the Purchaser to the Contractor. The decision of the purchaser shall be final in this respect.

19. परिसमापन हर्जाना/Liquidated Damages

- a. यदि इस कार्यालय को एजेंसी के कर्मचारियों/एजेंटों की लापरवाही, चूक या फॉटन के कारण कोई नुकसान या क्षिति होती है, तो एजेंसी इस कार्यालय को इसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगी/If this office suffers any loss or damage on account of negligence, default or the fton the part of the employees/agents of the agency, then the agency shall be liable to reimburse to this office for the same.
- b. एजेंसी द्वारा लगाए गए किसी भी कर्मचारी द्वारा नुकसान के खिलाफ एजेंसी इस कार्यालय को पूरी तरह से सुरक्षित रखेगी/The agency shall keep this office fully indemnified against the damage by any staff engaged by the Agency.
- c. एजेंसी द्वारा तैनात किसी भी कर्मचारी को काम करने के दौरान हुई किसी भी दुर्घटना या हताहत के लिए, दुर्घटना से उत्पन्न होने वाली जिम्मेदारी एजेंसी द्वारा वहन की जाएगी। जिम्मेदारी एजेंसी के पास रहेगी और यह कार्यालय किसी भी तरह से इसके लिए या ऊपर उल्लिखित किसी अन्य खंड के लिए जिम्मेदार नहीं होगा/For any accident or casualty occurred during the course of working to any staff deployed by the Agency, the liability that will arise out of the accident will be borne by the Agency. The responsibility will remain with the Agency and this office will in no way be responsible for it or any other clause mentioned above.
- d. निविदा दस्तावेज के प्रावधानों के साथ नहीं, ठेकेदार परिसमाप्त नुकसान के लिए विश्वसनीय नहीं होगा, या डिफ़ॉल्ट के लिए समाप्ति के लिए विश्वसनीय नहीं होगा यदि और इस हद तक कि अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में देरी या अन्य विफलता अप्रत्याशित घटना की घटना का परिणाम है/Not with standing the provisions of tender document, the Contractor shall not beliable for liquidated damages, or termination for default if and to theextent thatit's delay in performance or other failure to perform its obligations under the Contract is the result of an event of Force Majeure.

- 20. नोटिस/Notices: अन्यथा कुछ भी नहीं कहा गया है, इस अनुबंध के सभी नोटिस पंजीकृत मेल, स्पीड-पोस्ट, व्यक्तिगत या कूरियर डिलीवरी के माध्यम से लिखित रूप में होंगे। इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज (फैक्स, ईमेल) द्वारा प्रसारण की लिखित रूप में पुष्टि की जाएगी। पते आदि में कोई भी परिवर्तन 10 दिनों के भीतर अन्य पार्टी को सूचित किया जाएगा/Not with standing anything stated otherwise, all notices of this contract shall be in writing through registered mail, speed-post, personal or courier deliveries. The transmission by electronic data exchange (fax, email) shall be reconfirmed in writing. Any change in the address etc. shall be communicated within 10 days to other party.
- 21. विवादों/Disputes: एजेंसी द्वारा प्रदान की गई जनशक्ति द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के संबंध में क्रेता का निर्णय अंतिम होगा; अन्य को केवल विवाद के रूप में संदर्भित किया जाएगा। ठेकेदार क्रेता को लिखित रूप में विवाद के निपटारे के लिए साक्ष्य के साथ अपने इरादे को संबोधित कर सकता है। . काम तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि आपस में सहमित न हो या मध्यस्थ द्वारा आदेश न दिया जाए/The decision of the Purchaser shall be final regarding the quality of services provided by the manpower provided by the agency ;the other as pectsarising shall only be referred as Disputes. The Contractor may address its intention with evidences for the settlement of dispute in writing to the Purchaser. The work shall not stop, unless agreed mutually or ordered by the arbitrator(s
- 22. विवादों का निपटारा/Settlement of Disputes :इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के सभी विवादों का निपटारा पहले एक मध्यस्थ के माध्यम से होगा और उसके साथ असंतोष के बाद ही, (संयुक्त) मध्यस्थ को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार नियुक्त किया जाएगा/The settlement of all the disputes of any kind arising out of this contract shall be first through aMediator and only after dissat is faction with that,the(joint)Arbitrator(s)shall be appointed as per Arbitration & Conciliation Act 1996.

23 Make in India Order

Public Procurement (Preference to Make in India) order no. P-45021/2/2017-PP(BE-II) Dated 16.09.2020 issued by Department of Promotion of Industries and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industries shall be followed to encourage —Make in India|| and promote manufacturing and production of goods and service in India.

a. Make in India Order

Orders issued by the Government of India regarding eligibility to participate and for purchase preference to "Local Suppliers" to encourage 'Make in India' and promote manufacturing and production of goods and services in India, shall apply to this Procurement.

23.2 Categories of Local Suppliers

Bidders/ Contractor are divided into three categories based on Local Content (the total value of the item procured (excluding net domestic indirect taxes) minus the value of imported content in the item (including all customs duties) as a proportion of the total value, in percent):

- 1) 'Class-I local Supplier' with local content equal to or more than prescribed in TIS or 50% whichever is higher.
- 2) 'Class-II local Supplier' with local content more than prescribed in TIS or 20%, whichever is higher, but less than that applicable for Class-I local Supplier.

3) 'Non - Local Supplier' with local content less than that applicable for Class-II local Supplier, in sub-clause above

23.3 Ineligibility based on reciprocity

If so indicated, in TIS: Schedule of Requirements, entities from such countries identified as not allowing Indian companies to participate in their Government procurement, shall not be allowed to participate on reciprocal basis in this tender. The term 'entity' of a country shall have the same meaning as under the FDI Policy of DPIIT as amended from time to time.

23.4 Eligibility to participate

- 1) Minimum local content for eligibility to participate: Only bidders meeting the minimum prescribed local content for the product shall be eligible to participate subject to following conditions. This threshold shall be declared in TIS and/ or Section VI: Schedule of Requirements
- 2) Classes of Local Suppliers eligible to Participate: Based on the Make in India Policy, classes of local/ non-local Suppliers eligible to participate in tender shall be declared in TIS and/ or AITB. If not so declared only Class-I and Class-II local Supplier shall be eligible to participate and not non-local Suppliers.

23.5 Thresholds

- 1) Following thresholds shall be declared in TIS and/ or AITB.
- (a) Minimum local content for Contractor classification: local content percentage prescribed to qualify as Class-I or Class-II local Suppliers for various products.
- (b) Minimum local content for eligibility to participate: Minimum local content percentage prescribed for eligibility for a bid to be considered
- (c) Margin of purchase preference: Bid price quoted by Class-II Local Supplier should be within this percentage from the L1 price quoted by Non-local or Class-II bidders, for being eligible for purchase preference
- 2) If not so declared, default threshold shall be as follows:
- (a) Local content for eligibility for Class-I; Class-II local Suppliers and Non-local Suppliers shall be 50% and above; 20% and above but less than 50%; and less than 20% respectively.
- (b) Minimum local content for eligibility to participate shall be 20%,
- (c) Margin of purchase preference shall be 20%

23.6 Purchase preference to Class-I local Suppliers

- 1) For goods and works where the Stores are divisible by nature:
- (a) Among all qualified bids, the lowest bid shall be termed as L 1. If L 1 is 'Class-I local Supplier', the contract for full quantity shall be awarded to L 1.
- (b) If L 1 bid is not a 'Class-I local Supplier', 50% of the order quantity shall be awarded to L1. Thereafter, the lowest bidder among the 'Class-I local Supplier' shall be invited to match the L1 price for the remaining 50% quantity subject to the Class-I local Supplier's quoted price falling within the margin of purchase preference, and contract for that quantity shall be awarded to such 'Class-I local Supplier' subject to matching the L 1 price. In case such lowest eligible 'Class-I local Supplier' fails to match the L 1 price or accepts less than the offered quantity, the next higher 'Class-I local Supplier' within the margin of purchase preference shall be invited to match the L 1 price for remaining quantity and so on, and contract shall be awarded accordingly. In case some quantity is still left uncovered on Class-I local Suppliers, then such balance quantity shall also be ordered on the L 1 bidder.
- 2) For goods and works where the Stores are not divisible in nature, and in procurement of services where the bid is evaluated on price alone:
- (a) Among all qualified bids, the lowest bid shall be termed as L 1. If L1 is 'Class-I local Supplier', the contract shall be awarded to L 1.
- (b) If L1 is not 'Class-I local Supplier', the lowest bidder among the 'Class-I local Supplier', shall be invited to match the L1 price subject to Class-I local Supplier's

quoted price falling within the margin of purchase preference, and the contract shall be awarded to such 'Class-I local Supplier' subject to matching the L 1 price.

- (c) In case such lowest eligible 'Class-I local Supplier' fails to match the L1 price, the 'Class-I local Supplier' with the next higher bid within the margin of purchase preference shall be invited to match the L1 price and so on and contract shall be awarded accordingly. In case none of the 'Class-I local Supplier' within the margin of purchase preference matches the L1 price, the contract shall be awarded to the L1 bidder.
- 3) Where parallel contracts are to be awarded to multiple bidders: In Bids where parallel contracts are to be awarded to multiple bidders subject to matching of L1 rates or otherwise, the 'Class-I local Supplier' shall get purchase preference over 'Class-II local Supplier' as well as 'Non-local Supplier', as per following procedure:
- (a) In case there is sufficient local capacity and competition for the item to be procured, as notified by the nodal Ministry, only Class I local Suppliers shall be eligible to bid. As such, the multiple Contractors, who would be awarded the contract, should be all and only 'Class I Local Suppliers'.
- (b) In other Bids, whereas mentioned above, 'Class II local Suppliers' or both 'Class II local Suppliers' and 'Nonlocal Suppliers' may also participate in the bidding process along with 'Class I Local Suppliers'. If 'Class I Local Suppliers' qualify for award of contract for at least 50% of the tendered quantity in any tender, the contract shall be awarded to all the qualified bidders as per award criteria stipulated in the tender documents. However, in case 'Class Local Suppliers' do not qualify for award of contract for at least 50% of the tendered quantity as per award criteria, purchase preference should be given to the 'Class I local Supplier' over 'Class II local Suppliers'/ 'Non-local Suppliers' provided that their quoted rate falls within margin preference of the hiahest considered for award of contract. To ensure that the 'Class I Local Suppliers' taken in totality are considered for award of contract for at least 50% of the tendered quantity, first purchase preference has to be given to the lowest among such 'Class-I local Suppliers', subject to its meeting the prescribed criteria for award of contract as also the constraint of maximum quantity that can be sourced from any single Contractor. If the lowest among such 'Class-I local Suppliers', does not qualify for purchase preference because of aforesaid constraints or does not accept the offered quantity, an opportunity shall be given to next higher among such 'Class-I local Supplier', and so on

23.7 Verification of local content and violations:

- 1) The 'Class-I local Supplier'/ 'Class-II local Supplier' at the time of tender, bidding or solicitation shall be required to indicate percentage of local content and provide self-certification that the item offered meets the local content requirement for 'Class-I local Supplier'/ 'Class-II local Supplier', as the case may be. They shall also give details of the location(s) at which the local value addition is made.
- 2) In cases of procurement for a value in excess of Rs. 10 crores, the 'Class-I local Supplier 'Class-II local Supplier' shall be required to provide a certificate from the statutory auditor or cost auditor of the company (in the case of companies) or from a practicing Cost accountant or practicing chartered accountant (in respect of Contractors other than companies) giving the percentage of local content.
- 3) Complaints about Local content declarations may be made through the channels of Procuring Entity. Procuring Entity and Nodal Ministries may prescribe fees for such complaints.
- 4) For False declarations, a bidder or its successors can be debarred for up to two years by following debarment procedures along with such other actions as may be permissible under law. Such lists shall be consolidated and displayed on websites.
- 23.8 Manufacture under license/ technology collaboration agreements with phased

indigenization

- 1) If so, declared in TIS and/ or AITB, foreign companies shall have to enter into a joint venture with an Indian company to participate.
- 2) The Procuring Entity reserves its right, but without being under any obligation to do so, to grant exemption from meeting the stipulated local content to Bidders manufacturing indigenously a product developed abroad under a license from a foreign manufacturer (who holds intellectual property rights) under a technology collaboration agreement/ transfer of technology agreement with clear phasing of increase in local content.

Information to be provided by Bidders regarding Make in India policy

- 1) Self-declaration of their local content (and required certificate, in case of procurements above Rs 10 Crores) and hence their status as Class-I/ Class-II/ Non-local Supplier and also their eligibility to participate as per this clause.
- 2) If TIS and/ or AITB indicates countries identified as not allowing Indian companies to participate in their government procurement, then a declaration that they are not an 'Entity' of such countries (as per criteria of the FDI Policy of DPIIT as amended from time to time) and are therefore eligible to participate in this tender.
- 3) If a Bidder is claiming exemption (as obtained from relevant authorities) from meeting the stipulated local content on account of manufacturing the product in India under a license from a foreign manufacturer with clear phasing of increase in local content, he must provide proof thereof.
- 23.9 Eligible Goods -Origin and Minimum Local Content
 - Unless otherwise stipulated in NIT/ TIS/ ITB, all 'Goods' and related 'Services' to be supplied under the contract shall have their origin in India or other countries and must conform to i) restrictions on certain countries with land-borders with India; ii) minimum local content (Make in India Policy). In case a purchase preference is availed by the bidder as Class-I Local Supplier or as MSE or Start-up enterprise, the Goods must not circumvent the provisions for granting such purchase preference. The term "origin" used in this clause means the place where the goods are mined, grown, produced, or manufactured or from where the incidental Services are arranged and supplied. For purposes of this Clause, the term 'goods' includes commodities, raw material, machinery, equipment, and industrial plants; etc. and 'related services' includes services such as testing, packing, insurance, transportation, installation, transit Insurance, loading/ unloading/ stacking, commissioning, training, and initial warranty/ maintenance etc.

23.10 Short listing of bidders eligible to participate in e Reverse Auction:

- (c) However, if MSE bidders or Class-I Local suppliers under Make in India policy who do not come under above criteria but their prices in financial bids are within the margin of preference of the policy shall be allowed to participate. Such bidders would be over and above the short-list mentioned above.
- 23.11 Provisions incorporated in the Contract, which are beyond the purview of The Procurement Entity or are in pursuance of policies of Government, including but not limited to
 - (i) Provisions regarding local content and Class-I Local suppliers in terms of Make in India policy of the Government
 - (ii) Provisions regarding restrictions on Entities from Countries having land-borders with India in terms of Government's policies in this regard. (iii) Purchase preference policies in regard to MSEs and Start-ups.

23.12 Make in India Status:

Having read and understood the Public Procurement (Preference to Make in India PPP -

- MII) Order, 2017 (as amended and revised till date) and related notifications from the relevant Nodal Ministry/ Department, and solemnly declare the following:
- (a) Self-Certification for category of suppliers:

(provide a certificate from statutory auditors/ cost accountant in case of Tenders above Rs 10 Crore for Class-I or Class-II Local Suppliers)

- 1. Class-I Local Supplier/
- 2. Class-II Local Supplier/
- 3. No-Local Supplier.

(b)We also declare that

- · There is no country whose bidders have been notified as ineligible on reciprocal basis under this order for offered product, or
- · We do not belong to any Country whose bidders are notified as ineligible on reciprocal basis under this order.

23.13 Self-Declaration by Indian Agents of Foreign Principals

- (a) Self-attested documentary evidence about their identity (PAN, Adhar Card, GSTIN registration, proof of address etc), business details (ownership pattern and documents, type of firm, year of establishment, sister concerns etc) to establish that they are a bonafide business as per Indian Laws .
- (b) Agency Agreement covering the precise relationship, services to be rendered, mutual interests in business generally and/ or specifically for the tender; any payment, which the agent or associate receives in India or abroad from the foreign OEM/ principal, whether as commission or as a general retainer fee shall be submitted with Bid Form Financial Bid.

23.14 Declaration by India Agents/ Bidders associating with Foreign Principals

- (a) The name and address of the foreign principals, if any, indicating their nationality as well as their status, i.e., whether manufacturer or agents of manufacturer holding the Letter of Authority of the Principal specifically authorizing the agent to make an offer in India in response to tender either directly or in association with the agents/ Bidders.
- (b) The amount of commission/ remuneration included in the price (s) quoted by the Bidder for agents or associated bidder shall be mentioned in Bid Form -Financial Bid
- (c) Confirmation of the foreign principals of the Bidder that the commission/remuneration, if any, reserved for the Bidder in the quoted price(s), shall be paid by the Procuring Entity in India in equivalent Indian Rupees on satisfactory completion of the Project or supplies of Stores and Spares.

23 मेक इन इंडिया ऑर्डर

23.1 सार्वजिनक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश संख्या। P-45021/2/2017-PP(BE-II) दिनांक 16.09.2020 को उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहित करने और विनिर्माण और उत्पादन को बढावा देने के लिए पालन किया जाएगा। भारत में माल और सेवा।

a. मेक इन इंडिया ऑर्डर

'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहित करने और भारत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए "स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं" को भाग लेने की पात्रता और खरीद वरीयता के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी आदेश इस खरीद पर लागू होंगे।

23.2 स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं की श्रेणियाँ

बोलीदाताओं/ठेकेदारों को स्थानीय सामग्री के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है (खरीदी गई वस्तु का कुल मूल्य (शुद्ध घरेलू अप्रत्यक्ष करों को छोड़कर) कुल मूल्य के अनुपात के रूप में आइटम में आयातित सामग्री का मूल्य (सभी सीमा शुल्क सहित) घटाकर, प्रतिशत में):

- 1) 'वर्ग-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' जिसकी स्थानीय सामग्री टीआईएस में निर्धारित के बराबर या उससे अधिक या 50% जो भी अधिक हो।
- 2) टीआईएस में निर्धारित स्थानीय सामग्री से अधिक या 20%, जो भी अधिक हो, लेकिन कक्षा- I के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के लिए लागू से कम 'वर्ग-द्वितीय स्थानीय आपूर्तिकर्ता'।
- 3) गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता' जिसकी स्थानीय सामग्री कक्षा-II के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के लिए लागू सामग्री से कम हो, ऊपर उप-खंड में

23.3 पारस्परिकता के आधार पर अपात्रता

यदि ऐसा इंगित किया गया है, तो टीआईएस: आवश्यकताओं की अनुसूची में, ऐसे देशों की संस्थाओं को इस निविदा में पारस्परिक आधार पर भाग लेने की अनुमित नहीं दी जाएगी, जिन्हें भारतीय कंपनियों को अपनी सरकारी खरीद में भाग लेने की अनुमित नहीं दी जाएगी। किसी देश की 'इकाई' शब्द का वही अर्थ होगा जो समय-समय पर संशोधित डीपीआईआईटी की एफडीआई नीति के तहत है।

23.4 भाग लेने की पात्रता

- 1) भाग लेने की पात्रता के लिए न्यूनतम स्थानीय सामग्री: उत्पाद के लिए न्यूनतम निर्धारित स्थानीय सामग्री को पूरा करने वाले केवल बोलीदाता निम्नलिखित शर्तों के अधीन भाग लेने के पात्र होंगे। यह सीमा टीआईएस और/या खंड VI में घोषित की जाएगी: आवश्यकताओं की अनुसूची
- 2) भाग लेने के लिए पात्र स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के वर्ग: मेक इन इंडिया नीति के आधार पर, निविदा में भाग लेने के लिए पात्र स्थानीय/गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के वर्ग को टीआईएस और/या एआईटीबी में घोषित किया जाएगा। यदि ऐसा घोषित नहीं किया गया है तो केवल प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के स्थानीय आपूर्तिकर्ता ही भाग लेने के पात्र होंगे न कि गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता।

23.5 **सीमारेखा**

- 1) टीआईएस और/या एआईटीबी में निम्नलिखित सीमाएं घोषित की जाएंगी।
- (ए) ठेकेदार वर्गीकरण के लिए न्यूनतम स्थानीय सामग्री: विभिन्न उत्पादों के लिए कक्षा-I या श्रेणी- II स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए निर्धारित

स्थानीय सामग्री प्रतिशत।

- (बी) भाग लेने के लिए पात्रता के लिए न्यूनतम स्थानीय सामग्री: बोली लगाने के लिए पात्रता के लिए निर्धारित न्यूनतम स्थानीय सामग्री प्रतिशत
- (सी) खरीद वरीयता का मार्जिन: द्वितीय श्रेणी के स्थानीय आपूर्तिकर्ता द्वारा उद्धृत बोली मूल्य, खरीद वरीयता के लिए पात्र होने के लिए गैर-स्थानीय या कक्षा- II बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत एल 1 मूल्य से इस प्रतिशत के भीतर होना चाहिए।
- 2) यदि ऐसा घोषित नहीं किया गया है, तो डिफ़ॉल्ट सीमा निम्नानुसार होगी:
- (ए) कक्षा- I के लिए पात्रता के लिए स्थानीय सामग्री; वर्ग- II स्थानीय आपूर्तिकर्ता और गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता 50% और उससे अधिक होंगे; 20% और अधिक लेकिन 50% से कम; और क्रमशः 20% से कम।
- (बी) भाग लेने की पात्रता के लिए न्यूनतम स्थानीय सामग्री 20% होगी,
- (सी) खरीद वरीयता का मार्जिन 20% होगा

23.6 प्रथम श्रेणी के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को खरीद वरीयता

- 1) माल और कार्यों के लिए जहां स्टोर प्रकृति से विभाज्य हैं:
- (ए) सभी योग्य बोलियों में, सबसे कम बोली को एल 1 कहा जाएगा। यदि एल 1 क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' है, तो पूरी मात्रा का अनुबंध एल 1 को दिया जाएगा।
- (बी) यदि एल 1 बोली 'क्लास- I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' नहीं है, तो ऑर्डर मात्रा का 50% एल 1 को प्रदान किया जाएगा। इसके बाद, 'क्लास-I स्थानीय सप्लायर' के बीच सबसे कम बोली लगाने वाले को शेष 50% मात्रा के लिए L1 मूल्य से मेल खाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जो कि क्लास- I के स्थानीय सप्लायर द्वारा उद्धृत मूल्य खरीद वरीयता के मार्जिन के भीतर आता है, और उसके लिए अनुबंध एल 1 मूल्य से मेल खाने के अधीन ऐसे 'वर्ग- I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को मात्रा प्रदान की जाएगी। यदि ऐसा निम्नतम पात्र 'वर्ग-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' एल 1 मूल्य से मेल खाने में विफल रहता है या प्रस्तावित मात्रा से कम स्वीकार करता है, तो खरीद वरीयता के मार्जिन के भीतर अगले उच्च 'वर्ग-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को एल 1 मूल्य से मेल खाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। शेष मात्रा वगैरह के लिए 1 मूल्य और तद्नुसार ठेका दिया जाएगा। यदि कुछ मात्रा अभी भी क्लास- I के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं पर छोड़ी गई है, तो ऐसी शेष मात्रा एल 1 बोली लगाने वाले को भी ऑर्डर की जाएगी।
- 2) माल और कार्यों के लिए जहां स्टोर प्रकृति में विभाज्य नहीं हैं, और सेवाओं की खरीद में जहां बोली का मूल्यांकन केवल कीमत पर किया जाता है:
- (ए) सभी योग्य बोलियों में, सबसे कम बोली को एल 1 कहा जाएगा। यदि एल 1 क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' है, तो अनुबंध एल 1 को दिया जाएगा।
- (बी) यदि एल1 'क्लास-I लोकल सप्लायर' नहीं है, तो 'क्लास-I लोकल सप्लायर' में सबसे कम बोली लगाने वाले को एल1 कीमत के बराबर होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, बशर्ते कि क्लास-I के स्थानीय सप्लायर के उद्धृत मूल्य के मार्जिन के भीतर आते हों। खरीद वरीयता, और अनुबंध एल 1 मूल्य से मेल खाने के अधीन ऐसे 'वर्ग- I स्थानीय

आपूर्तिकर्ता' को प्रदान किया जाएगा।

- (सी) यदि ऐसा निम्नतम पात्र 'वर्ग-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' एल। मूल्य से मेल खाने में विफल रहता है, तो खरीद वरीयता के मार्जिन के भीतर अगली उच्च बोली वाले 'वर्ग-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को एल 1 मूल्य से मेल खाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। और इसी तरह और अनुबंध तदनुसार प्रदान किया जाएगा। यदि खरीद वरीयता के मार्जिन के भीतर 'वर्ग-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' में से कोई भी एल 1 मूल्य से मेल नहीं खाता है, तो अनुबंध एल 1 बोलीदाता को दिया जाएगा।
- 3) जहां कई बोलीदाताओं को समानांतर अनुबंध दिए जाने हैं: उन बोलियों में जहां कई बोलीदाताओं को समानांतर अनुबंध दिए जाने हैं, जो एल 1 दरों के मिलान के अधीन हैं या अन्यथा, 'क्लास- I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को 'क्लास-' पर खरीद वरीयता मिलेगी। स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के साथ-साथ 'गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता', निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार:
- (ए) यदि नोडल मंत्रालय द्वारा अधिसूचित वस्तु की खरीद के लिए पर्याप्त स्थानीय क्षमता और प्रतिस्पर्धा है, तो केवल प्रथम श्रेणी के स्थानीय आपूर्तिकर्ता ही बोली लगाने के पात्र होंगे। जैसे, कई ठेकेदार, जिन्हें ठेका दिया जाएगा, वे सभी और केवल 'क्लास I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' होने चाहिए।
- (बी) अन्य बोलियों में, जबिक ऊपर उल्लेख किया गया है, 'द्वितीय श्रेणी के स्थानीय आपूर्तिकर्ता' या 'द्वितीय श्रेणी के स्थानीय आपूर्तिकर्ता' और 'गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता' भी 'श्रेणी I के स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के साथ बोली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। यदि 'वर्ग I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' किसी भी निविदा में निविदा मात्रा के कम से कम 50% के लिए अन्बंध के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, तो सभी योग्य बोलीदाताओं को निविदा दस्तावेजों में निर्धारित पुरस्कार मानदंडों के अनुसार अनुबंध प्रदान किया जाएगा। हालांकि, यदि 'वर्ग स्थानीय आपूर्तिकर्ता' पुरस्कार मानदंड के अनुसार निविदा मात्रा के कम से कम 50% के लिए अनुबंध प्रदान करने के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं, तो 'द्वितीय श्रेणी के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं' पर 'वर्ग I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को खरीद वरीयता दी जानी चाहिए। / 'गैर-आपूर्तिकर्ता' स्थानीय बशर्ते कि उनकी उद्धृत अनुबंध के पुरस्कार के लिए मानी जाने वाली उच्चतम बोली लगाने वाले की खरीद वरीयता के मार्जिन के अंतर्गत आती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि समग्र रूप से लिए गए 'श्रेणी I के स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को निविदा मात्रा के कम से कम 50% के लिए ठेका देने के लिए विचार किया जाता है, ऐसे 'वर्ग- I स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं' में सबसे कम को पहली खरीद वरीयता दी जानी चाहिए, विषय अन्बंध प्रदान करने के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के साथ-साथ किसी एकल ठेकेदार से प्राप्त की जा सकने वाली अधिकतम मात्रा की बाध्यता को पूरा करने के लिए। यदि ऐसे 'वर्ग-I स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं' में सबसे कम, उपरोक्त बाधाओं के कारण खरीद वरीयता के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करता है या प्रस्तावित मात्रा को स्वीकार नहीं करता है, तो ऐसे 'वर्ग- I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के बीच अगले उच्चतर को अवसर दिया जाएगा, और जल्द ही

23.7 स्थानीय सामग्री और उल्लंघनों का सत्यापन:

- 1) निविदा, बोली या याचना के समय 'वर्ग-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता'/'वर्ग-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को स्थानीय सामग्री का प्रतिशत इंगित करना होगा और स्व-प्रमाणन प्रदान करना होगा कि प्रस्तावित वस्तु स्थानीय सामग्री की आवश्यकता को पूरा करती है। 'क्लास-I लोकल सप्लायर'/'क्लास-II लोकल सप्लायर', जैसा भी मामला हो, के लिए। वे उस स्थान (स्थानों) का विवरण भी देंगे जहां स्थानीय मुल्यवर्धन किया गया है।
- 2) रुपये से अधिक मूल्य की खरीद के मामलों में। 10 करोड़, 'वर्ग- I स्थानीय आपूर्तिकर्ता 'वर्ग- II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक या लागत लेखा परीक्षक (कंपनियों के मामले में) या एक अभ्यास लागत लेखाकार या चार्टर्ड का अभ्यास करने से एक प्रमाण पत्र प्रदान करने की आवश्यकता होगी स्थानीय सामग्री का प्रतिशत देते हुए लेखाकार (कंपनियों के अलावा अन्य ठेकेदारों के संबंध में)।
- 3) प्रोक्योरिंग एंटिटी के चैनलों के माध्यम से स्थानीय सामग्री घोषणाओं के बारे में शिकायतें की जा सकती हैं। प्रोक्योरिंग एंटिटी और नोडल मंत्रालय ऐसी शिकायतों के लिए फीस निर्धारित कर सकते हैं।
- 4) झूठी घोषणाओं के लिए, एक बोली लगाने वाले या उसके उत्तराधिकारियों को कानून के तहत अनुमत अन्य कार्यों के साथ-साथ डिबारमेंट प्रक्रियाओं का पालन करके दो साल तक के लिए डिबार किया जा सकता है। ऐसी सूचियों को समेकित किया जाएगा और वेबसाइटों पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- 23.8 चरणबद्ध स्वदेशीकरण के साथ लाइसेंस/प्रौद्योगिकी सहयोग समझौतों के तहत निर्माण
 1) यदि ऐसा है, तो टीआईएस और/या एआईटीबी में घोषित, विदेशी कंपनियों को भाग लेने
 के लिए एक भारतीय कंपनी के साथ एक संयुक्त उद्यम में प्रवेश करना होगा।
 - 2) प्रोक्योरिंग एंटिटी अपने अधिकार को सुरक्षित रखती है, लेकिन ऐसा करने के लिए किसी भी दायित्व के बिना, एक विदेशी निर्माता (जो बौद्धिक संपदा अधिकार रखता है) से लाइसेंस के तहत विदेशों में विकसित उत्पाद का निर्माण करने वाले बोलीदाताओं को निर्धारित स्थानीय सामग्री को पूरा करने से छूट प्रदान करता है। एक प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते/स्थानीय सामग्री में वृद्धि के स्पष्ट चरण के साथ प्रौद्योगिकी समझौते के हस्तांतरण के तहत।

मेक इन इंडिया नीति के संबंध में बोलीदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी 1) उनकी स्थानीय सामग्री की स्व-घोषणा (और 10 करोड़ रुपये से अधिक की खरीद के मामले में आवश्यक प्रमाण पत्र) और इसलिए कक्षा- I/वर्ग- II/गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में उनकी स्थिति और इस खंड के अनुसार भाग लेने की उनकी पात्रता भी .

- 2) यदि टीआईएस और/या एआईटीबी भारतीय कंपनियों को उनकी सरकारी खरीद में भाग लेने की अनुमित नहीं देने वाले देशों को इंगित करता है, तो एक घोषणा कि वे ऐसे देशों की 'इकाई' नहीं हैं (डीपीआईआईटी की एफडीआई नीति के मानदंडों के अनुसार संशोधित समय-समय पर) और इसलिए इस निविदा में भाग लेने के लिए पात्र हैं।
- 3) यदि कोई बोलीदाता स्थानीय सामग्री में वृद्धि के स्पष्ट चरण के साथ एक विदेशी

निर्माता से लाइसेंस के तहत भारत में उत्पाद के निर्माण के कारण निर्धारित स्थानीय सामग्री को पूरा करने से छूट (जैसा कि संबंधित अधिकारियों से प्राप्त) का दावा कर रहा है, तो उसे इसका प्रमाण देना होगा।

23.9 योग्य सामान -मूल और न्यूनतम स्थानीय सामग्री

जब तक एनआईटी/टीआईएस/आईटीबी में अन्यथा निर्धारित नहीं किया जाता है, अनुबंध के तहत आपूर्ति की जाने वाली सभी 'वस्तुओं' और संबंधित 'सेवाओं' का मूल भारत या अन्य देशों में होगा और i) भारत के साथ भूमि-सीमा वाले कुछ देशों पर प्रतिबंध के अनुरूप होना चाहिए। ; ii) न्यूनतम स्थानीय सामग्री (मेक इन इंडिया नीति)। यदि बोलीदाता द्वारा क्लास- I स्थानीय आपूर्तिकर्ता या MSE या स्टार्ट-अप उद्यम के रूप में खरीद वरीयता का लाभ उठाया जाता है, तो सामान को ऐसी खरीद वरीयता देने के प्रावधानों को दरिकनार नहीं करना चाहिए। इस खंड में प्रयुक्त शब्द "मूल" का अर्थ उस स्थान से है जहां माल का खनन, उगाया, उत्पादन या निर्माण किया जाता है या जहां से प्रासंगिक सेवाओं की व्यवस्था और आपूर्ति की जाती है। इस खंड के प्रयोजनों के लिए, 'माल' शब्द में वस्तुएं, कच्चा माल, मशीनरी, उपकरण और औद्योगिक संयंत्र शामिल हैं; आदि और 'संबंधित सेवाओं' में परीक्षण, पैकिंग, बीमा, परिवहन, स्थापना, पारगमन बीमा, लीडिंग / अनलोडिंग / स्टैकिंग, कमीशनिंग, प्रशिक्षण और प्रारंभिक वारंटी / रखरखाव आदि जैसी सेवाएं शामिल हैं।

23.10 ई रिवर्स नीलामी में भाग लेने के लिए पात्र बोलीदाताओं की संक्षिप्त सूची:

(सी) हालांकि, अगर मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत एमएसई बोली लगाने वाले या क्लास- I के स्थानीय आपूर्तिकर्ता जो उपरोक्त मानदंडों के तहत नहीं आते हैं, लेकिन वित्तीय बोलियों में उनकी कीमतें पॉलिसी की वरीयता के मार्जिन के भीतर हैं, तो उन्हें भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे बोलीदाता ऊपर उल्लिखित लघु-सूची के अतिरिक्त होंगे।

- 23.11 अनुबंध में शामिल प्रावधान, जो प्रोक्योरमेंट एंटिटी के दायरे से बाहर हैं या सरकार की नीतियों के अनुसरण में हैं, जिनमें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं
 - (i) सरकार की मेक इन इंडिया नीति के संदर्भ में स्थानीय सामग्री और श्रेणी- I स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के संबंध में प्रावधान
 - (ii) इस संबंध में सरकार की नीतियों के संदर्भ में भारत के साथ भूमि-सीमा वाले देशों की संस्थाओं पर प्रतिबंध के संबंध में प्रावधान। (iii) एमएसई और स्टार्ट-अप के संबंध में खरीद वरीयता नीतियां।
- 23.12 मेक इन इंडिया स्थिति:

सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया पीपीपी - एमआईआई) आदेश, 2017 (आज तक संशोधित और संशोधित) और संबंधित नोडल मंत्रालय/विभाग से संबंधित अधिसूचनाओं को पढ़ने और समझने के बाद, और सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित की घोषणा करें:

(ए) आपूर्तिकर्ताओं की श्रेणी के लिए स्व-प्रमाणन:

(वर्ग-I या श्रेणी-II के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के लिए 10 करोड़ रुपये से अधिक की निविदाओं के मामले में वैधानिक लेखा परीक्षकों/लागत लेखाकार से प्रमाण पत्र प्रदान करें)

1. वर्ग-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता/

- 2. श्रेणी-दवितीय स्थानीय आपूर्तिकर्ता /
- 3. नो-लोकल सप्लायर।
- (बी) हम यह भी घोषणा करते हैं कि

ऐसा कोई देश नहीं है जिसके बोलीदाताओं को प्रस्तावित उत्पाद के लिए इस आदेश के तहत पारस्परिक आधार पर अपात्र के रूप में अधिसूचित किया गया हो, या

हम किसी ऐसे देश से संबंधित नहीं हैं जिसके बोलीदाताओं को इस आदेश के तहत पारस्परिक आधार पर अपात्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

23.13 विदेशी प्रधानों के भारतीय एजेंटों द्वारा स्व-घोषणा

(ए) उनकी पहचान (पैन, आधार कार्ड, जीएसटीआईएन पंजीकरण, पते का प्रमाण आदि), व्यवसाय विवरण (स्वामित्व पैटर्न और दस्तावेज, फर्म का प्रकार, स्थापना का वर्ष, बहन की चिंता आदि) के बारे में स्व-सत्यापित दस्तावेजी साक्ष्य यह स्थापित करने के लिए कि वे भारतीय कानूनों के अनुसार एक वास्तविक व्यवसाय हैं।

(बी) एजेंसी समझौते में सटीक संबंध, प्रदान की जाने वाली सेवाएं, व्यापार में पारस्परिक हित - आम तौर पर और/या विशेष रूप से निविदा के लिए; कोई भी भुगतान, जो एजेंट या सहयोगी भारत या विदेश में विदेशी ओईएम/प्रिंसिपल से प्राप्त करता है, चाहे वह कमीशन के रूप में हो या सामान्य रिटेनर शूल्क के रूप में, बोली फॉर्म - वितीय बोली के साथ जमा किया जाएगा।

23.14 विदेशी प्रधानाचार्यों से संबद्ध भारतीय एजेंटों/बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

- (ए) विदेशी प्रधानाचार्यों का नाम और पता, यदि कोई हो, जो उनकी राष्ट्रीयता के साथ-साथ उनकी स्थित को दर्शाता है, अर्थात, निर्माता या निर्माता के एजेंट जिनके पास प्रिंसिपल का प्राधिकरण पत्र है, विशेष रूप से एजेंट को भारत में एक प्रस्ताव देने के लिए अधिकृत करता है निविदा के जवाब में या तो सीधे या एजेंटों / बोलीदाताओं के सहयोग से।
- (बी) एजेंटों या संबद्ध बोलीदाता के लिए बोलीदाता द्वारा उद्धृत मूल्य (मूल्यों) में शामिल कमीशन/पारिश्रमिक की राशि का उल्लेख बोली प्रपत्र-वित्तीय बोली में किया जाएगा
- (सी) बोलीदाता के विदेशी मूलधन की पुष्टि कि कमीशन/पारिश्रमिक, यदि कोई हो, बोलीदाता के लिए उद्धृत मूल्य (ओं) में आरक्षित है, का भुगतान भारत में प्रोक्योरिंग एंटिटी द्वारा समकक्ष भारतीय रुपये में संतोषजनक रूप से पूरा होने पर किया जाएगा। स्टोर और स्पेयर की परियोजना या आपूर्ति।

24 Vulnerability Atlas of India (VAI)

24.1 Vulnerability Atlas of India (VAI) is a comprehensive document which provides existing hazard scenario for the entire country and presents the digitized State/UT -wise hazard, maps with respect to earthquakes, winds and floods for district-wise identification of vulnerable areas. It also includes additional digitized maps for thunderstorms, cyclones and landslides. The main purpose of this Atlas is its use for disaster preparedness and mitigation at policy planning and project formulation stage.

This Atlas is one of its kind single point source for the various stakeholders including policy makers, administrators, municipal commissioners, urban managers, engineers, architects, planners, public etc. to ascertain proneness of any city/location/site to multi-hazard which includes earthquakes, winds, floods thunderstorms, cyclones and landslides, While project formulation, approvals and implementation of various urban housing, buildings and infrastructures schemes, this Atlas provides necessary information for risk analysis and hazard assessment. The Vulnerability Atlas of India has been prepared by Building Materials and Technology Promotion Council under Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India and available at their website www.bmtpc.org. It is mandatory for the bidders to refer Vulnerability Atlas of India for multi-hazard risk assessment and include the relevant hazard proneness specific to project location while planning and designing the project in terms of

- I. Seismic zone (II to V) for earthquakes,
- II. Wind velocity (Basic Wind Velocity: 55, 50,47, 44, 39 & 33 m/s)
- III. Area liable to floods and Probable max. surge height
- IV. Thunderstorms history
- V. Number of cyclonic storms/ severe cyclonic storms and max sustained wind specific to coastal region.
- VI. Landslides incidences with Annual rainfall normal. District wise Probable Max. Precipitation

24 भारत की

सुभेद्यता एटलस (वीएएल)

24.1 भारत का सुभेद्यता एटलस (वीएएल) एक व्यापक दस्तावेज है जो पूरे देश के लिए मौजूदा खतरे का परिदृश्य प्रदान करता है और संवेदनशील क्षेत्रों की जिलेवार पहचान के लिए डिजिटल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार खतरे, भूकंप, हवा और बाढ़ के संबंध में मानचित्र प्रस्तुत करता है। इसमें गरज, चक्रवात और भूस्खलन के लिए अतिरिक्त डिजीटल मानचित्र भी शामिल हैं। इस एटलस का मुख्य उद्देश्य नीति नियोजन और परियोजना निर्माण चरण में आपदा तैयारी और शमन के लिए इसका उपयोग है।

यह एटलस नीति निर्माताओं, प्रशासकों, नगर निगम आयुक्तों, शहरी प्रबंधकों, इंजीनियरों, वास्तुकारों, योजनाकारों, जनता आदि सिहत विभिन्न हितधारकों के लिए अपनी तरह का एक एकल बिंदु स्रोत है, जो किसी भी शहर / स्थान / साइट की बहु-खतरे के लिए प्रवणता का पता लगाने के लिए है। भूकंप, हवाएं, बाढ़, आंधी, चक्रवात और भूस्खलन शामिल हैं, जबिक परियोजना निर्माण, अनुमोदन और विभिन्न शहरी आवास, भवनों और ब्नियादी ढांचे योजनाओं के कार्यान्वयन, यह एटलस जोखिम

विश्लेषण और खतरे के आकलन के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद द्वारा भारत की भेद्यता एटलस तैयार की गई है और उनकी वेबसाइट www.bmtpc.org पर उपलब्ध है। बोली लगाने वालों के लिए भारत के भेद्यता एटलस को संदर्भित करना अनिवार्य है। बहु-जोखिम जोखिम मूल्यांकन और परियोजना की योजना बनाते और डिजाइन करते समय परियोजना स्थान के लिए विशिष्ट प्रासंगिक जोखिम प्रवणता शामिल करें:

- I. भूकंप के लिए भूकंपीय क्षेत्र (II से V),
- II. पवन वेग (मूल पवन वेग: 55, 50, 47, 44, 39 और 33 मी/से)
- III. बाढ़ के लिए उत्तरदायी क्षेत्र और संभावित अधिकतम। उछाल ऊंचाई
- IV. आंधी इतिहास
- V. चक्रवाती तूफानों/गंभीर चक्रवाती तूफानों की संख्या और तटीय क्षेत्र के लिए विशिष्ट अधिकतम निरंतर हवा।
- VI. सामान्य वार्षिक वर्षा के साथ भूस्खलन की घटनाएं
- VII. जिलेवार संभावित मैक्स वर्षण

25. Compensation for delay of work

With maximum rate @ 1% (one percent) per month of delay to be computed on per day basis based on quantum of damage suffered due to stated delay on the part of Contractor. Provided always that the total amount of compensation for delay to be paid under this condition shall not exceed 10 % (ten percent) of the accepted Tendered Value of work or of the accepted Tendered Value of the Sectional 14 part of work as mentioned in Schedule 'F' for which a separate period of completion is originally given. In case no compensation has been decided by the authority in Schedule 'F' during the progress of work, this shall be no waiver of right to levy compensation by the said authority if the work remains incomplete on final justified extended date of completion. If the Engineer in Charge decides to give further extension of time allowing performance of work beyond the justified extended date, the contractor shall be liable to pay compensation for such extended period.

प्रमुख घटनाएं और तिथियां/KEY EVENTS AND DATES

r
ire to be
,
तमाल के पी जना की ई- s at site nga Sub pur"
023 तक पी पोर्टल c.gov.in। दाओं की cure से ed from rs. from re. or able to wnload from
.00 hrs
e work.

12.	निविदा खुलने की तिथि, समय एवं स्थान / Date, time and place of Opening of tender	निविदा की तकनीकी बोली दिनांक:23.09.2023 को 15:00 बजे ऑनलाइन खोली जाएगी। इच्छुक बोलीदाता या उनके प्रतिनिधि जो प्रति बोलीदाता 1 या 2 से अधिक न हों, कार्यकारी अभियंता, वैनगंगा के कार्यालय में उपस्थित हो सकते हैं। डिवीजन, सीडब्ल्यूसी, नागपुर/ Technical Bid of the Tender will be opened online on date:23.09.2023 at 15:00 Hrs. Interested bidder or their representative not more than 1 or 2 per bidder may be present in the office of Executive Engineer, Wainganga Division, CWC, Nagpur.
13.	निष्पादन गारंटी / Performance guarantee	सफल बोलीदाताओं को स्वीकृति पत्र प्राप्त होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर कार्य के निविदा और स्वीकृत मूल्य के 3% के बराबर राशि (सीमा के बिना) प्रदर्शन गारंटी के रूप में जमा करनी होगी। यदि ठेकेदार उक्त निष्पादन गारंटी को विस्तारित अविध सिहत, यदि कोई हो, अविध के भीतर जमा करने में विफल रहता है, तो ठेकेदार द्वारा जमा की गई बयाना राशि ठेकेदार को बिना किसी नोटिस के स्वतः ही जब्त कर ली जाएगी और स्वीकृति को शून्य माना जाएगा और शून्य/ The successful bidders will have to deposit an amount equal to 3% of the tendered and accepted value of the work (without limit) as a performance guarantee within 7 days from the date of receipt of the acceptance letter. In case the contractor fails to deposit the said performance guarantee within the period, including the extended period if any, the Earnest Money deposited by the contractor shall be forfeited automatically without any notice to the contractor and the acceptance would be treated as null and void.
14.	सुरक्षा जमा राशि / Security Deposit	बिल की राशि का 5% हर महीने सुरक्षा जमा के रूप में काटा जाएगा जब तक कि सुरक्षा जमा कार्य के स्वीकृत और स्वीकृत मूल्य के 5% के बराबर राशि तक नहीं पहुंच जाती। / 5% of the billed amount would be deducted every month towards security deposit until the security deposit reaches an amount equal to 5% of the tendered and accepted value of the work.

PERFORMANCE GUARANTEE (CLAUSE-1)

ठेकेदार अनुबंध में कहीं और उल्लेखित अन्य जमा राशि के अलावा, अनुबंध की राशि के 3% (तीन प्रतिशत) की अपरिवर्तनीय प्रदर्शन गारंटी पर अपने अनबंध समझौते के उचित प्रदर्शन के लिए जमा करेगा, (इसके बावजूद और/या किसी भी पूर्वाग्रह के बिना) अनुबंध में अन्य प्रावधान) कार्य आदेश जारी होने के 7 दिनों के भीतर। इस अवधि को प्रभारी अभियंता द्वारा बैंक गारंटी प्राप्त करने में देरी का कारण बताते हुए ठेकेदार के लिखित अनुरोध पर प्रभारी अभियंता की संतुष्टि के लिए अधिकतम 7 दिनों की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। यह गारंटी नकद के रूप में होगी (यदि गारंटी राशि रु.10,000/-से कम है) या किसी अनुसूचित बैंक की कॉल रसीद पर जमा/किसी अनुसूचित बैंक के बैंकर चेक के रूप में होगी।बैंक/किसी अनुसचित बैंक का डिमांड डाफ्ट/किसी अनुसुचित बैंक का भुगतान आदेश (गारंटी के मामले में, राशि 1,00,000/- रुपये से कम है) या सरकारी प्रतिभूतियां या किसी अनुसूचित बैंक या राज्य की सावधि जमा रसीदें या गारंटी बांड इसके साथ संलग्न प्रपत्न के अनुसार बैंक ऑफ इंडिया। यदि केवल बैंक की सावधि जमा रसीद ठेकेदार द्वारा निष्पादन गारंटी के हिस्से के रूप में सरकार को प्रस्तुत की जाती है और बैंक उक्त सावधि जमा रसीद के खिलाफ भुगतान करने में असमर्थ है, तो इससे होनें वाली हानि ठेकेदार और ठेकेदार को होगी। मांग पर सरकार को घाटे को पुरा करने के लिए तत्काल अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करेगा./ The contractor shall submit on irrecoverable PERFORMANCE GUARANTEE of 3% (Three percent) of the tendered amount in addition to other deposits mentioned elsewhere in the contract for his proper performance of the contract agreement, (notwithstanding and/or without prejudice to any other provisions in the contract) within 7 days of issue of work order. This period can be further extended by the Engineer- in-charge up to a maximum period of 7 days on written request of the contractor stating the reason for delays in procuring the Bank Guarantee, to the satisfaction of the Engineer-in-charge. This guarantee shall be in the form of Cash (in case quarantee amount is less than Rs.10,000/-) or Insurance Surety Bonds or Deposit at Call Receipt of any Scheduled Bank / Banker's Cheque of any Scheduled Bank / Demand Draft of any Scheduled Bank / Pay Order of any Scheduled Bank (in case of guarantee, amount is less than Rs.1,00,000/-) or Government Securities or Fixed Deposit Receipts or Guarantee Bonds of any Scheduled Bank or the State Bank of India in accordance with the form annexed hereto. In case a fixed deposit receipt of only Bank is furnished by the contractor to the Government as part of the performance guarantee and the Bank is unable to make payment against the said fixed deposit receipt, the loss caused thereby shall fall on the contractor and the contractor shall forthwith on demand furnish additional security to the Government to make good the deficit.

(II) ठेकेदार द्वारा निर्दिष्ट अविध के भीतर प्रदर्शन गारंटी प्रस्तुत करने में विफलता के मामले में, सरकार केवल अन्य अधिकार या कानून में उपलब्ध उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बयाना राशि को पूरी तरह से जब्त करने के लिए स्वतंत्र है। In the case of failure by the contractor to furnish the performance guarantee within the specified period, Government shall without prejudice to only other right or remedy available in law is at liberty to forfeit the earnest money absolutely.

(III) निष्पादन गारंटी शुरू में पूरा होने की निर्धारित तिथि और उसके बाद 180 दिनों तक वैध होगी। यदि कार्य पूरा करने का समय बढ़ जाता है, तो ठेकेदार को कार्य पूरा करने के लिए इस तरह के बढ़े हुए समय को कवर करने के लिए निष्पादन गारंटी की वैधता बढ़ानी होगी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य के समापन प्रमाण पत्र की रिकॉर्डिंग के बाद, प्रदर्शन गारंटी ठेकेदार को बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी/The Performance Guarantee shall be initially valid up to the stipulated date of completion plus 180 days beyond that. In case the time for completion of work gets enlarged, the contractor shall get the validity of Performance Guarantee extended to cover such enlarged time for completion of work. After recording of the completion certificate for the work by the competent authority, the performance guarantee shall be

returned to the contractor, without any interest.

- (IV) प्रभारी अभियंता, सिवाय उन राशियों के जिसके भारत के राष्ट्रपति अनुबंध के तहत हकदार हैं (संविदा समझौते में केवल अन्य प्रावधानों के बावजूद और / या पूर्वाग्रह के बिना) की घटना के तहत निष्पादन गारंटी का दावा नहीं करेगा /The Engineer-in-charge shall not make a claim under the performance guarantee except for amounts to which the President of India is entitled under the contract (not with standing and / or without prejudice to only other provisions in the contract agreement) in the event of :-
- (a) ठेकेदार द्वारा यहां ऊपर वर्णित प्रदर्शन गारंटी की वैधता बढ़ाने में विफलता, जिस स्थिति में प्रभारी अभियंता प्रदर्शन गारंटी की पूरी राशि का दावा कर सकता है/ Failure by the contractor to extend the validity of the Performance Guarantee as described hereinabove, in which event the Engineer-in-charge may claim the full amount of the Performance Guarantee.
- (b) इंजीनियर-इन द्वारा —चार्ज द्वारा भारत के राष्ट्रपति कि ओर से ठेकेदार को किसी भी देय राशि का भुगतान करने में विफलता, या तो ठेकेदार द्वारा सहमत या अनुबंध के किसी भी खंड/शर्तों के तहत निर्धारित किया गया है, इस आशय के नोटिस की सेवा के 30 दिनों के भीतर करता है/Failure by the contractor to pay President of India any amount due, either as agreed by the contractor or determined under any of the Clauses / Conditions of the Agreement, within 30 days of the service of notice to this effect by Engineer-in-charge.
- (V) अनुबंध के निर्धारित होने या अनुबंध की किसी भी शर्त के प्रावधानों को रद्द करने की स्थिति में, प्रदर्शन गारंटी पूरी तरह से जब्त हो जाएगी और पूरी तरह से भारत के राष्ट्रपति की ओर से निपटान में होगी।
 - In the event of the contract being determined or rescinded provisions of any of the clause condition of the agreement, the Performance Guarantee shall stand forfeited in full and shall be absolutely at the disposal of the President of India.

निष्पादन सुरक्षा बैंक गारंटी बांड का प्रपत्र/ FORM OF PERFORMANCE GUARANTEE BANK GUARANTEE BOND

1. भारत के राष्ट्रपति (बाद में "सरकार" कहा जाता है) के विचार में अनुबंध संख्या के नियमों और शर्तों से सहमत होने के बाद के बीच और [इसके बाद "उक्त ठेकेदार(कों)*
कहा जाएगा) कार्य के लिए (इसके बाद "उक्त" कहा जाता है) समझौता) रुपये के लिए एक
अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी के उत्पादन के लिए सहमत होना। (रुपये
केवल) उक्त समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार अपने
दायित्वों के अनुपालन के लिए ठेकेदार से सुरक्षा / गारंटी के रूप में।हम। (बैंक का नाम
इंगित करें) (इसके बाद "द" के रूप में संदर्भित
बैंक") एतद्दवारा सरकार को भुगतान करने का वचन देता है, जो कि रु. से अधिक नहीं है।सरकार
द्वारा मांगे जाने पर
having agreed to the terms and conditions of Agreement No
dated made between and
[Here in after called "the said contractor(s)*]
irrevocable Bank Guarantee for Rs. (Rupees
Only) as a security / guarantee from the contractor(s) for compliance with his
obligations in accordance with the terms and conditions of the said agreement. We
Bank") hereby undertake to pay to the government on the amount not
exceeding Rs.
(Rupees only) on demand
by the Government.
2. हम (बैंक का नाम इंगित करते हैं) एतद्द्वारा भुगतान करने का
वचन देते हैं इस गारंटी के तहत देय और देय राशि, बिना किसी प्रलोभन के, केवल सरकार की
मांग पर यह कहते हुए कि दावा की गई राशि उक्त ठेकेदार (कों) से देय या देय होने वाली वसूली को
पूरा करने के लिए आवश्यक है। बैंक से की गई ऐसी कोई भी मांग इस गारंटी के तहत बैंक द्वारा देय
और देय राशि के संबंध में निर्णायक होगी। हालांकि, इस गारंटी के तहत हमारी देनदारी रुपये
(केवल रुपये)से अधिक नहीं की राशि तक सीमित होगी।
We(indicate the name of the Bank) do hereby undertake to pay
the amounts due and payable under this Guarantee without any demure, merely on a demand from the government stating that the amount claimed is required
to meet the recoveries due or likely to be due from the said contractor(s). Any
such demand made on the Bank shall be conclusive as regards the amount due
and payable by the bank under this Guarantee. However, our liability under this
guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs.
(Rupees only).
हम, उक्त बैंक सरकार को भगतान करने का वचन देते हैं। किसी भी अदालत या टिब्युनल के
हम, उक्त बैंक सरकार को भुगतान करने का वचन देते हैं। किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में ठेकेदार द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद या विवाद के बावजूद किसी भी पैसे की मांग की गई, इस वर्तमान के तहत दायित्व पूर्ण और स्पष्ट है/We, the said Bank further undertake to pay to the Govt. any money so demanded notwithstanding
हम, उक्त बैंक सरकार को भुगतान करने का वचन देते हैं। किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में ठेकेदार द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद या विवाद के बावजूद किसी भी पैसे की मांग की गई, इस वर्तमान के तहत दायित्व पूर्ण और स्पष्ट है/We, the said

इस बांड के तहत हमारे द्वारा किया गया भुगतान इसके तहत भुगतान के लिए हमारे दायित्व का एक वैध निर्वहन होगा और इस तरह के भुगतान के लिए ठेकेदार का हमारे खिलाफ कोई दावा

3.

absolute and unequivocal.

नहीं होगा/ The payment so made by us under this Bond shall be a valid discharge of our liability for payment thereunder and the contractor(s) shall have no claim against us for making such payment.

	against us for making such payment.
4.	हम
	5. हम
	6. बैंक या ठेकेदार(कों) के संविधान में परिवर्तन के कारण यह गारंटी समाप्त नहीं होगी/This guarantee will not be discharged due to the change in the Constitution of the Bank or the contractor(s).
	7. हम (बैंक का नाम इंगित करें) अंत में सरकार की पूर्व सहमति के बिना इस गारंटी को रद्द नहीं करने का वचन देता है लेखन

में/We.....(Indicate the name of Bank)

lastly undertake not to revoke this guarantee except with the previous consent of the Govt. in writing.

9.	9. यह गारंटी तब तक वैध होगी जब तक कि सरकार द्वारा मांग पर इसे बढ़ाया न जाए।ऊपर उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, इस गारंटी के प्रति हमारी देयता रु
	्उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, इस गारदी के प्रति हुमारी देयता रु
	केवलू और जब तक में दावा नहीं किया जाता है इस गार्टी की समाप्ति की तारीख से छह महीने
	के भातर या दस गारत का समाप्ति का तिस्तारित तिथि के छह महीने के भीतर हमारे पास लेखन
	दर्ज किया जाता है, इस गारुंटी के तहत हमारी सभी देनदारियां समाप्त हो जाएंगी। दिनांकु
	दर्ज किया जाता है, इस गारंटी के तहत हमारी सभी देनदारियां समाप्त हो जाएंगी। दिनांक का दिन के लिए (बैंक का नाम दर्शाते
	हुए)/This guarantee shall be valid up tounless extended on demand
	by Govt.
	Notwithstanding anything mentioned above, our liability against this guarantee is
	restricted to Rs.
	(Rupees) only and unless a
	claim in writing is lodged with us within six months of the date of expiry or the
	extended date of expiry of this guarantee all our liabilities under this guarantee
	shall stand discharged.
	Dated the Day of For

सुरक्षा जमा की वसूली (खंड 1क) /RECOVERY OF SECURITY DEPOSIT (CLAUSE 1A)

जिस व्यक्ति/व्यक्तियों की निविदा (ओं) को स्वीकार किया जा सकता है (बाद में ठेकेदार कहा जाता है) सरकार को अनुबंध के तहत किए गए कार्य के लिए उसे कोई भगतान करने के समय के लिए सुरक्षा जमा की कटौती करने की अनुमित देगा, जो चल रहे से कटौती के लिए उत्तरदायी है बिल @ 5% सुरक्षा जमा की कुल राशि और प्रदर्शन गारंटी अनुबंध मुल्य का 3% प्राप्त करने तक। इस तरह की कटौती सरकार द्वारा सुरक्षा जमा के रूप में की जाएगी और तब तक रखी जाएगी जब तक कि उसने सुरक्षा राशि को नकद में या सावधि जमा रसीदों की सरकारी प्रतिभृतियों के रूप में ऊपर वर्णित दर पर जमा नहीं किया है। यदि किसी बैंक की सावधि जमा रसीद ठेकेदार द्वारा सुरक्षा जमा के हिस्से के रूप में सरकार को प्रस्तुत की जाती है और बैंक उक्त सावधि जमा रसीद के खिलाफ भुगतान करने में असमर्थ है, तो इससे होने वाली हानि ठेकेदार और ठेकेदार को होगी घाटे को पुरा करने के लिए सरकार को मांग पर तत्काल अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करेगा/The person/persons whose tender(s) may be accepted (hereinafter called the contractor) shall permit Government of the time of making any payment to him for work done under the contract to deduct Security deposit, which is liable to be deducted from the running bill @ 5% till total amount of security deposit and performance guarantee achieves 3% of the contract value. Such deductions will be made and held by Government by way of Security Deposit unless he/they has/have deposited the amount of Security at the rate mentioned above in cash or in the form of Government Securities of fixed deposit receipts. In case a fixed deposit receipt of any Bank is furnished by the contractor to the Government as part of the security deposit and the Bank is unable to make payment against the said fixed deposit receipt, the loss caused thereby shall fall on the contractor and the contractor shall forthwith on demand furnish additional security to the Government to make good the deficit.

इस अनुबंध की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा देय सभी मुआवजे या अन्य राशियों को उसकी सुरक्षा जमा के पर्याप्त हिस्से की बिक्री से या उससे उत्पन्न होने वाले ब्याज से, या किसी भी राशि से काटा या भगतान किया जा सकता है। किसी भी कारण से सरकार द्वारा ठेकेदार को देय हो या देय हो सकता है और उपरोक्त किसी भी कटौती या बिक्री के कारण उसकी सुरक्षा जमा कम होने की स्थिति में. ठेकेदार 10 दिनों के भीतर नकद या सावधि जमा में अच्छा कर देगा भारतीय स्टेट बैंक या अनुसूचित बैंकों या सरकारी प्रतिभूतियों (यदि 12 महीने से अधिक के लिए जमा किया गया है) द्वारा प्रस्तुत रसीद, प्रभारी अभियंता के पक्ष में पृष्ठांकित, कोई भी राशि या राशि जो बिक्री से काटी या बढाई जा सकती है उसकी जमानत राशि या उसका कोई भाग। सुरक्षा जमा ठेकेदार के चाल बिलों से ऊपर उल्लिखित दरों पर एकत्र किया जाएगा और निविदा के समय नकद में जमा की गई बयाना राशि को सुरक्षा जमा का एक हिस्सा माना जाएगा/All compensations or the other sums of money payable by the contractor under the terms of this contract may be deducted from, or paid by the sale of a sufficient part of his security deposit or from the interest arising there from, or from any sums which may be due to or may become due to the contractor by Government on any account whatsoever and in the event of his Security Deposit being reduced by reason of any such deductions or sale as aforesaid, the contractor shall within 10 days make good in cash or fixed deposit receipt tendered by the State Bank of India or by Scheduled Banks or Government Securities (if deposited for more than 12 months) endorsed in favor of the Engineer-in- charge, any sum or sums which may have been deducted from, or raised by sale of his security deposit or any part thereof. The security deposit shall be collected from the running bills of the contractor at the rates mentioned above and the Earnest Money if deposited in cash at the time of tenders will be treated a part of the Security Deposit.

नोट-1: प्रतिभूति के रूप में दिए गए सरकारी कागजात बाजार मूल्य से 5 प्रतिशत (पांच प्रतिशत) कम या अंकित मूल्य पर, जो भी कम हो, लिया जाएगा। शासकीय कागज का बाजार मूल्य संभागीय अधिकारी द्वारा ब्याज वसूली के समय निश्चित किया जायेगा तथा यदि आवश्यक हुआ तो शासकीय कागज के मूल्य में कमी की सीमा तक ब्याज की राशि रोक ली जायेगी/NOTE — 1: Government papers tendered as security will be taken at 5% (five percent) below its market price or at its face value, whichever is less. The market price of Government paper would be ascertained by the Divisional Officer at the time of collection of interest and the amount of interest to the extent of deficiency in value of the Government paper will be withheld if necessary.

नोट-2: उपरोक्त नोट 1 और 2 क्लॉज 1 और 1ए दोनों के लिए लागू होंगे/NOTE – 2: Note 1 & 2 above shall be applicable for both Clause 1 & 1A.

अनसची/ SCHEDULES

अनुसूची 'अ' /SCHEDULE 'A': मात्रा की अनुसूची (संलग्न)/Schedule of quantities (enclosed)

अनुसूची 'ब' /SCHEDULE 'B': ठेकेदार को जारी की जाने वाली सामग्री की अनुसूची/Schedule of materials to be issued to the Contractor: -

क्र./Sl. No.	आइटम का विवरण/ Description of item	मात्रा/ Quanti ty	दर 5% भड़ारण शुल्क सहित/ Rates including 5% storage charges	मुद्दे की जगह/ Place of issue
1	2	3	4	5
	नि	रक/Nil		

अनुसूची 'क' /SCHEDULE 'C'

: ठेकेदार को किराए पर लिए जाने वाले उपकरण और संयंत्र /Tools and Plants to be hired to the contractor: -

<u>अनुसूची 'ड'</u> /SCHEDULE 'D'

: (कार्य के लिए विशिष्ट आवशकताओं/दस्तावेजों के लिए अतिरिक्त अनुसूची ,यदि कोई हो)(Extra schedule for specific requirements/document for the work, if any) विस्तृत चित्र सलग्न/ Detailed Drawings: Attached

अन्सूची 'इ' /SCHEDULE 'E'

: अनुबंध की सामान्य शर्तों का संदर्भ/ Reference to General **Conditions of Contract**

कार्य का नाम/Name of Work : "वैनगंगा मंडल, केंद्रीय जल आयोग, नागपुर के अंतर्गत पेनगंगा उपमंडल, यवतमाल के पी जी ब्रिज, कन्हेरगाँव एवं भिश्नर में विटिफाइड टाइल्स उपलब्ध कराना और बिछाना की ई-निविदा"/Etender of Providing & Laying of Vitrified Tiles at site Kanhargaon, Bhishnur & P G Bridge under Penganga Sub Division, Yavatmal under Wainganga Division, CWC, Nagpur"

कार्य की अनुमानित लागत/Estimated cost of work

: रु. 5,40,856/- (रुपये पांच लाख चालीस हजार आठ सौ छप्पन) केवल सभी करों, जीएसटी आदि सहित/

Rs 5,40,856/- (Rupees Five Lakh Forty Thousand Eight Hundred Fifty Six only)

including all the Taxes, GST etc.

अग्रिम राशी /Earnest Money Deposit : निविदा मूल्य का 5% of tendered value

निष्पादन सुरक्षा राशि /Performance Guarantee : निविदा मूल्य का 3% of the quoted and

accepted value

अनुसूची 'फ' /SCHEDULE 'F'

सामान्य नियम और निर्देश /General Rules & Directions:

निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारी /Officer Inviting Tender:अधिशासी अभियंता,वैनगंगा डिवीजन, केंद्रीय जल आयोग,नागपुर/ Executive Engineer, Wainganga Division, Central Water Commission, Nagpur

कार्य की मदों की मात्रा के लिए अधिकतम प्रतिशत:

निष्पादित किया जाना है जिसके आगे दरें खंड

12.2 और 12.3 के अनुसार निर्धारित होनी हैं

/Maximum percentage for quantity of items of work

: नियम के अनुसार/As per rule

to be executed beyond which rates are to be

determined in accordance with Clauses 12.2 & 12.3

परिभाषाएँ/Definitions:

(i) इंजीनियर-इन-चार्ज/Engineer-in-Charge : अधिशासी अभियंता, वैनगंगा डिवीजन,

कंद्रीय जल आयोग, नागपुर/ Executive Engineer, Wainganga Division, Central Water Commission, Nagpur

(ii)	स्वीकृति प्राधिकरण /Accepting Authority	:	अधिशासी अभियंता, वैनगंगा डिवीजन, केंद्रीय जल आयोग,नागपुर Executive Engineer, Wainganga Division, Central Water Commission, Nagpur.
(iii)	दरों की मानक अनुसूची/Standard Schedule of Rates	:	सीपीडब्ल्यूडी डीएसआर 2021/CPWD DSR 2021
(iv)	विभाग /Department	:	केंद्रीय जल आयोग /Central Water Commission

मानक सीपीडब्ल्यूडी अनुबंध फॉर्म सीपीडब्ल्यूडी फॉर्म -7/8 जैसा कि संशोधित और अद्यतन किया गया है/Standard CPWD Contract Form CPWD Form-7/8 as modified and corrected up to date.

खंड1/ Clause 1	(i) प्रदर्शन गारंटी प्रस्तुत करने के लिए अनुमत समय स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से , दिनों में/Time allowed for submission of Performance Guarantee from the date of issue of letter of acceptance, in days	7 दिन / 7 days
	अधिकतम स्वीकार्य विस्तार ऊपर (ii) प्रदान की गई अवधि से परे दिनों में/Maximum allowable extension beyond the period provided above in days	7 दिन / 7 days
खंड2/ Clause 2	खंड 2 के तहत मुआवजा तय करने के लिए प्राधिकरण Authority for fixing compensation Under Clause 2.	अधीक्षण अभियंता (सम), एमसीओ, केंद्रीय जल आयोग, नागपुर /Superintending Engineer(C) , MCO ,Central Water Commission , Nagpur
कार्य के नि	ष्पादन के लिए दिया गया समय / Time	2 महीने / 2 Months
	for execution of work.	
कार्य पूर्ण करने के लिए उचित एवं युक्तियुक्त समय विस्तार देने का प्राधिकार/Authority to give fair and reasonable extension of time for completion of work.		अधिशासी अभियंता, वैनगंगा डिवीजन, केंद्रीय जल आयोग,नागपुर Executive Engineer, Wainganga Division, Central Water Commission, Nagpur.

अखंडता समझौता /INTEGRITY PACT

प्रति /То,		
0	() 0	
विषय /Sub:./ एनआईटी /NIT No	. कार्य के लिए	/for the work

महोदय /Dear Sir,

यह यहां घोषित किया जाता है कि केंद्रीय जल आयोग सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, समानता और प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।/ It is here by declared that Central Water commission is committed to follow the principle of transparency, equity and competitiveness in public procurement.

निवदा आमंत्रित करने का विषय नोटिस (एनआईटी) इस शर्त पर दिए गए प्रस्ताव का निमंत्रण है कि बोलीदाता अखंडता समझौते पर हस्ताक्षर करेगा, जो कि निवदा/बोली दस्तावेजों का एक अभिन्न अंग है, जिसमें विफल होने पर निवदाकर्ता/बोलीदाता निवदा प्रक्रिया से अयोग्य हो जाएंगे। और बोलीदाता की बोली सरसरी तौर पर खारिज कर दी जाएंगी/The subject Notice Inviting Tender (NIT) is an invitation to offer made on the condition that the Bidder will sign the integrity Agreement, which is an integral part of tender/bid documents, failing which the tenderer/bidder will stand disqualified from the tendering process and the bid of the bidder would be summarily rejected.

यह घोषणा सत्यनिष्ठा समझौते का हिस्सा होगी और उस पर हस्ताक्षर करना केंद्रीय जल आयोग की ओर से सत्यनिष्ठा समझौते की स्वीकृति और हस्ताक्षर के रूप में समझा जाएगा।/This declaration shall form part and parcel of the Integrity Agreement and signing of the same shall be deemed as acceptance and signing of the Integrity Agreement on behalf of the Central Water commission.

आपका विश्वासी / Yours faithfully

अधिशाषी अभियंता /Executive Engineer

अखंडता समझौता /INTEGRITY PACT

प्रति /To,

अधिशाषी अभियंता /Executive Engineer वैनगंगा मंडल /WAINGANGA DIVISION, केंद्रीय जल आयोग /Central Water Commission,नागप्र/Nagpur,

हम स्वीकार करते हैं कि केंद्रीय जल आयोग निविदा/बोली दस्तावेज के साथ संलग्न सत्यनिष्ठा समझौते में उल्लिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। /We acknowledge that Central Water commission is committed to follow the principles thereof as enumerated in the Integrity Agreement enclosed with the tender/bid document.

हम सहमत हैं कि निविदा आमंत्रण नोटिस (एनआईटी) इस शर्त पर दिए गए प्रस्ताव का निमंत्रण है कि मैं/हम संलग्न अखंडता समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, जो कि निविदा दस्तावेजों का एक अभिन्न अंग है, ऐसा न करने पर मैं/हम निविदा से अयोग्य घोषित हो जाएंगे। प्रक्रिया। मैं/हम स्वीकार करते हैं कि बोली लगाने को एनआईटी की इस शर्त की बिना शर्त और पूर्ण स्वीकृति के रूप में माना जाएगा।/We agree that the Notice Inviting Tender (NIT) is an invitation to offer made on the condition that I/We will sign the enclosed integrity Agreement, which is an integral part of tender documents, failing which I/We will stand disqualified from the tendering process. I/We acknowledge that THE MAKING OF THE BID SHALL BE REGARDED AS AN UNCONDITIONAL AND ABSOLUTE ACCEPTANCE of this condition of the NIT.

हम सत्यनिष्ठा समझौते के साथ स्वीकृति और अनुपालन की पुष्टि करते हैं और आगे सहमत हैं कि उक्त सत्यनिष्ठा समझौते का निष्पादन मुख्य अनुबंध से अलग और अलग होगा, जो सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निविदा/बोली को अंतिम रूप से स्वीकार किए जाने पर अस्तित्व में आएगा। मैं/हम सत्यनिष्ठा समझौते की अवधि को स्वीकार करते हैं और स्वीकार करते हैं, जो संलग्न सत्यनिष्ठा समझौते के अनुच्छेद 1 के अनुरूप होगा/We confirm acceptance and compliance with the Integrity Agreement in letter and spirit and further agree that execution of the said Integrity Agreement shall be separate and distinct from the main contract, which will come into existence when tender/bid is finally accepted by CPWD. I/We acknowledge and accept the duration of the Integrity Agreement, which shall be in the line with Article 1 of the enclosed Integrity Agreement.

हम स्वीकार करते हैं कि निविदा/बोली जमा करते समय सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करने और स्वीकार करने में मेरी/हमारी विफलता की स्थिति में, केंद्रीय जल आयोग के पास निविदाकर्ता/बोलीदाता को अयोग्य घोषित करने और निविदा/बोली को अस्वीकार करने का अयोग्य, पूर्ण और निरंकुश अधिकार होगा। निविदा/बोली के नियमों और शर्तों के अनुसार।/We acknowledge that in the event of my/our failure to sign and accept the Integrity Agreement, while submitting the tender/bid, Central Water commission shall have unqualified, absolute and unfettered right to disqualify the tenderer/bidder and reject the tender/bid is accordance with terms and conditions

of the tender/ bid.
आपका विश्वासी /Yours faithfully
(बोलीदाता के विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) /(Duly authorized signatory of the Bidder) समझौता/INTEGRITY AGREEMENT यह सत्यिनिष्ठा समझौता यहां किया गया है /This Integrity Agreement is made at इस पर /on this के दिन /Day of 20
भध्य/BETWEEN भारत के राष्ट्रपति ने अधिशाषी अभियंता, वैनगंगा मंडल , नागपुर, केंद्रीय जल आयोग, नागपुर के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया, (बाद में 'प्रिंसिपल / मालिक' के रूप में संदर्भित, जो अभिव्यक्ति जब तक अर्थ या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और अनुमत प्रदान करना शामिल हैं)/President of India represented through Executive Engineer, Wainganga Division, Nagpur Central Water Commission, Nagpur, (Hereinafter referred as the 'Principal/Owner', which expression shall unless repugnant to the meaning or context hereof include its successors and permitted assigns)
ਰਪਾ/AND
(व्यक्ति/फर्म/कंपनी का नाम और पता)/(Name and Address of the Individual/fim/Company)
के माध्यम से/Through(यहाँ के द्वारा अनुशंसित)/(Here in after referred) (विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का विवरण) /(Details of duly authorized signatory) "बोलीदाता/ठेकेदार" के रूप में और कौन सी अभिव्यक्ति, जब तक कि अर्थ या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल हैं)/To as the "Bidder/Contractor" and which expression shall unless repugnant to the meaning or context hereof include its successors and permitted assigns)
प्रस्तावना/Preamble जबिक प्रिंसिपल / मालिक ने निविदा (एनआईटी संख्या) (इसके बाद "निविदा / बोली" के रूप में संदर्भित) जारी की है और निर्धारित संगठनात्मक प्रक्रिया के तहत, अनुबंध के लिए अनुबंध करने का इरादा रखता है
WHEREAS the Principal / Owner has floated the Tender (NIT No) (hereinafter referred to as "Tender/Bid") and intends to award, under laid down organizational procedure, contract for
(कार्य का नाम) /(Name of work)
इसके बाद "अनुबंध" के रूप में जाना जाता है/Hereinafter referred to as the "Contract".
और जबिक प्रधान/स्वामी भूमि के सभी प्रासंगिक कानूनों, नियमों, विनियमों, संसाधनों के आर्थिक उपयोग और इसके बोलीदाताओं और ठेकेदार (कों) के साथ अपने संबंध में निष्पक्षता/पारदर्शिता के पूर्ण अनुपालन को महत्व देते हैं/AND WHEREAS the Principal/Owner values full compliance with all relevant laws of the land, rules, regulations, economic use of resources and of fairness/transparency in its relation with its Bidder(s) and Contractor(s).

और जबिक पूर्वीक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों पक्ष इस सत्यनिष्ठा समझौते (इसके बाद "अखंडता संधि" या "संधि" के रूप में संदर्भित) में प्रवेश करने के लिए सहमत हुए हैं, जिसके नियमों और शर्तों को भी इसके अभिन्न अहम हिस्से के रूप में पढ़ा जाएगा और पार्टियों के बीच निविदा / बोली दस्तावेज और अनुबंध/AND WHEREAS to meet the purpose aforesaid both the parties have agreed to enter into this Integrity Agreement (hereinafter referred to as "Integrity Pact" or "Pact"), the terms and conditions of which shall also be read as integral part and parcel of the Tender/Bid documents and Contract between the parties.

अब, इसलिए, इस संधि में निहित पारस्परिक प्रसंविदाओं पर विचार करते हुए, पक्ष इस प्रकार सहमत हैं और यह समझौता निम्नानुसार गवाह है/NOW, THEREFORE, in consideration of mutual covenants contained in this Pact, the parties hereby agree as follows and this Pact witnesses as under:

अनुच्छेद 1: प्रधान/स्वामी की प्रतिबद्धता/Article 1: Commitment of the Principal/Owner

- (1) प्रधान/मालिक भ्रष्टाचार को रोकने और निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए आवश्यक सभी उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं/The Principal/Owner commits itself to take all measures necessary to prevent corruption and to observe the following principles:
- (a) प्रधान/ मालिक का कोई भी कर्मचारी, व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के माध्यम से, निविदा, या अनुबंध के निष्पादन के संबंध में, स्वयं या तीसरे व्यक्ति के लिए कोई वादा नहीं लेगा या स्वीकार नहीं करेगा, कोई भी भौतिक या अभौतिक लाभ जिसके लिए व्यक्ति कानूनी रूप से हकदार नहीं है/No employee of the Principal/Owner, personally or through any of his/her family members, will in connection with the Tender, or the execution of the Contract, demand, take a promise for or accept, for self or third person, any material or immaterial benefit which the person is not legally entitled to.
- (b) प्रधान /मालिक, निविदा प्रक्रिया के दौरान, सभी बोलीदाताओं के साथ समानता और तर्क के साथ व्यवहार करेंगे। प्रधान /मालिक, विशेष रूप से, निविदा प्रक्रिया से पहले और उसके दौरान, सभी बोलीदाताओं को एक ही जानकारी प्रदान करेंगे और किसी भी बोलीदाता (ओं) को गोपनीय / अतिरिक्त जानकारी प्रदान नहीं करेंगे जिसके माध्यम से बोलीदाता निविदा प्रक्रिया या अनुबंध निष्पादन के संबंध में लाभ प्राप्त कर सके/The Principal/Owner will, during the Tender process, treat all Bidder(s) with equity and reason. The Principal/Owner will, in particular, before and during the Tender process, provide to all Bidder(s) the same information and will not provide to any Bidder(s) confidential / additional information through which the Bidder(s) could obtain an advantage in relation to the Tender process or the Contract execution.
- (c) .प्रधान / मालिक किसी भी व्यक्ति को निविदा प्रक्रिया से बाहर करने का प्रयास करेंगे, जिसका आचरण अतीत में पक्षपातपूर्ण प्रकृति का रहा है/The Principal/Owner shall Endeavour to exclude from the Tender process any person, whose conduct in the past has been of biased nature.
- (2) यदि प्रधान/स्वामी अपने किसी कर्मचारी के आचरण के बारे में जानकारी प्राप्त करता है जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी)/भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (पीसी अधिनियम) के तहत एक आपराधिक अपराध है या यहां के सिद्धांतों का उल्लंघन है उल्लेख किया गया है या यदि इस संबंध में कोई वास्तविक संदेह है, तो प्रधान/मालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी को सूचित करेंगे और इसके अलावा अपनी आंतरिक निर्धारित नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर सकते हैं/If the Principal/Owner obtains information on the conduct of any of its employees which is a criminal offence under the Indian Penal code (IPC)/Prevention of Corruption Act, 1988 (PC Act) or is in violation of the principles herein mentioned or if there be a substantive suspicion in this regard, the Principal/Owner will inform the Chief Vigilance Officer and in addition can also

initiate disciplinary actions as per its internal laid down policies and procedures.

अनुच्छेद 2: बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(ओं) की प्रतिबद्धता/Article 2: Commitment of the Bidder(s)/Contractor(s)

- (1) यह आवश्यक है कि प्रत्येक बोलीदाता/ठेकेदार (उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंटों सहित) उच्चतम नैतिक मानकों का पालन करें, और सरकार/विभाग को धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार या जबरदस्ती या मिलीभगत के सभी संदिग्ध कृत्यों की रिपोर्ट करें, जिसके बारे में उसने निविदा प्रक्रिया के दौरान और एक अनुबंध की बातचीत या पुरस्कार के दौरान ज्ञान या जागरूक हो जाता है/It is required that each Bidder/Contractor (including their respective officers, employees and agents) adhere to the highest ethical standards, and report to the Government / Department all suspected acts of fraud or corruption or Coercion or Collusion of which it has knowledge or becomes aware, during the tendering process and throughout the negotiation or award of a contract.
- (2) बोलीदाता/ठेकेदार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आवश्यक सभी उपाय करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करते हैं। वह निविदा प्रक्रिया में भाग लेने और अनुबंध निष्पादन के दौरान निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करता है/The Bidder(s)/Contractor(s) commit himself to take all measures necessary to prevent corruption. He commits himself to observe the following principles during his participation in the Tender process and during the Contract execution:
- (a) बोलीदाता/ठेकेदार, सीधे या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से, निविदा प्रक्रिया या अनुबंध के निष्पादन में शामिल किसी भी प्रधान /मालिक के कर्मचारियों को या किसी तीसरे व्यक्ति को प्रस्ताव, वादा या प्रस्ताव निविदा प्रक्रिया के दौरान या अनुबंध के निष्पादन के दौरान किसी भी प्रकार के किसी भी लाभ के बदले में प्राप्त करने के लिए कोई भी सामग्री या अन्य लाभ नहीं देंगे जिसके लिए वह कानूनी रूप से हकदार नहीं है/The Bidder(s)/Contractor(s) will not, directly or through any other person or firm, offer, promise or give to any of the Principal/Owner's employees involved in the Tender process or execution of the Contract or to any third person any material or other benefit which he/she is not legally entitled to, in order to obtain in exchange any advantage of any kind whatsoever during the Tender process or during the execution of the Contract.
- (b) बोलीदाता/ठेकेदार अन्य बोलीदाताओं के साथ किसी भी अज्ञात समझौते या समझ में प्रवेश नहीं करेंगे, चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक। यह विशेष रूप से कीमतों, विनिर्देशों, प्रमाणपत्रों, सहायक अनुबंधों, बोलियों को जमा करने या प्रस्तुत न करने या प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रतिबंधित करने या बोली प्रक्रिया में कार्टेलाइज़ करने के लिए किसी भी अन्य कार्रवाई पर लागू होता है/The Bidder(s)/Contractor(s) will not enter with other Bidder(s) into any undisclosed agreement or understanding, whether formal or informal. This applies in particular to prices, specifications, certifications, subsidiary contracts, submission or non-submission of bids or any other actions to restrict competitiveness or to cartelize in the bidding process.
- (c) बोलीदाता/ठेकेदार संबंधित आईपीसी/पीसी अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं करेंगे। इसके अलावा, बोलीदाता/अनुबंध अनुचित तरीके से, (प्रतिस्पर्धा या व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य के लिए) का उपयोग नहीं करेंगे, या व्यापार संबंध के हिस्से के रूप में प्रिंसिपल/मालिक द्वारा प्रदान की गई किसी भी जानकारी या दस्तावेजों को दूसरों को नहीं देंगे, इलेक्ट्रॉनिक रूप से निहित या प्रसारित जानकारी सहित योजनाओं, तकनीकी प्रस्तावों और व्यावसायिक विवरणों के संबंध में/The Bidder(s)/Contractor(s) will not commit any offence under the relevant IPC/PC Act. Further the Bidder(s)/ Contract(s) will not use improperly, (for the purpose of competition or personal gain), or pass on to others, any information or documents provided by the Principal/Owner as part of the business relationship, regarding plans, technical proposals and business details, including information contained or

transmitted electronically.

- (d) विदेशी मूल के बोलीदाताओं/ठेकेदारों को भारत में एजेंटों/प्रतिनिधियों के नाम और पते, यदि कोई हों, का खुलासा करना होगा। इसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीयता के बोलीदाता/ठेकेदार विदेशी एजेंटों/प्रतिनिधियों, यदि कोई हों, के नाम और पते का खुलासा करेंगे। या तो विदेशी प्रिंसिपल या विदेशी प्रिंसिपल की ओर से भारतीय एजेंट सीधे निविदा में बोली लगा सकता है लेकिन दोनों नहीं। इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां एक एजेंट एक निर्माता की ओर से एक निविदा में भाग लेता है, उसे उसी आइटम के लिए बाद के/समानांतर निविदा में पहले निर्माता के साथ दूसरे निर्माता की ओर से बोली लगाने की अनुमित नहीं दी जाएगी/The Bidder(s)/Contractor(s) of foreign origin shall disclose the names and addresses of agents/ representatives in India, if any. Similarly Bidder(s)/Contractor(s) of Indian Nationality shall disclose names and addresses of foreign agents/representatives, if any. Either the Indian agent on behalf of the foreign principal or the foreign principal directly could bid in a tender but not both. Further, in cases where an agent participate in a tender on behalf of one manufacturer, he shall not be allowed to quote on behalf of another manufacturer along with the first manufacturer in a subsequent/parallel tender for the same item.
- (e) बोलीदाता/ठेकेदार, अपनी बोली प्रस्तुत करते समय, अपने द्वारा किए गए किसी भी और सभी भुगतानों का खुलासा करेंगे, अनुबंध के पुरस्कार के संबंध में एजेंटों, दलालों या किसी अन्य मध्यस्थों के लिए प्रतिबद्ध हैं या करने का इरादा रखते हैं/The Bidder(s)/Contractor(s) will, when presenting his bid, disclose any and all payments he has made, is committed to or intends to make to agents, brokers or any other intermediaries in connection with the award of the Contract.
- (3) बोलीदाता/ठेकेदार किसी तीसरे व्यक्ति को ऊपर उल्लिखित अपराध करने या ऐसे अपराधों के लिए सहायक होने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे/The Bidder(s)/Contractor(s) will not instigate third persons to commit offences outlined above or be accessory to such offences.
- (4) बोलीदाता/ठेकेदार, सीधे या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से कपटपूर्ण व्यवहार में लिप्त नहीं होंगे, जिसका अर्थ है कि जानबूझकर गलत बयानी या तथ्यों की चूक या नकली / जाली दस्तावेज जमा करना ताकि सार्वजनिक अधिकारी को प्रेरित किया जा सके। दूसरों के न्यायोचित हित को नुकसान पहुंचाकर या अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से और/या सरकारी हितों की हानि के लिए खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के उद्देश्य से उस पर निर्भर रहना/The Bidder(s)/Contractor(s) will not, directly or through any other person or firm indulge in fraudulent practice means a willful misrepresentation or omission of facts or submission of fake/forged documents in order to induce public official to act in reliance thereof, with the purpose of obtaining unjust advantage by or causing damage to justified interest of others and/or to influence the procurement process to the detriment of the Government interests.
- (5) बोलीदाता/ठेकेदार, सीधे या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से जबरदस्ती प्रथाओं का उपयोग नहीं करेंगे (मतलब कुछ प्राप्त करने का कार्य, कार्रवाई के लिए मजबूर करना या डराने, धमकी या उपयोग के माध्यम से निर्णय को प्रभावित करना) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बल, जहां संभावित या वास्तविक चोट किसी व्यक्ति, उसकी प्रतिष्ठा या संपत्ति पर निविदा प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को प्रभावित करने के लिए हो सकती है)/The Bidder(s)/Contractor(s) will not, directly or through any other person or firm use Coercive Practices (means the act of obtaining something, compelling an action or influencing a decision through intimidation, threat or the use of force directly or indirectly, where potential or actual injury may befall upon a person, his/ her reputation or property to influence their participation in the tendering process).

अनुच्छेद 3: उल्लंघन के परिणाम/Article 3: Consequences of Breach

कानून या अनुबंध या इसकी स्थापित नीतियों और निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत प्रिंसिपल / मालिक को उपलब्ध किसी भी अधिकार के पूर्वाग्रह के बिना, बोलीदाता द्वारा इस अखंडता समझौते के उल्लंघन के मामले में प्रिंसिपल / मालिक के पास निम्नलिखित अधिकार होंगे)/ठेकेदार(रों) और बोलीदाता/ठेकेदार स्वीकार करता है और प्रधान/स्वामी के पूर्ण अधिकार का सम्मान करने और उसे बनाए रखने का वचन देता है/Without prejudice to any rights that may be available to the Principal/Owner under law or the Contract or its established policies and laid down procedures, the Principal/Owner shall have the following rights in case of breach of this Integrity Pact by the Bidder(s)/Contractor(s) and the Bidder/ Contractor accepts and undertakes to respect and uphold the Principal/Owner's absolute right:

- (1) यदि बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(ठेकेदारों) ने या तो पुरस्कार देने से पहले या अनुबंध के निष्पादन के दौरान उपरोक्त अनुच्छेद 2 के उल्लंघन के माध्यम से या किसी अन्य रूप में, जैसे कि उसकी विश्वसनीयता या विश्वसनीयता को प्रश्न में रखने के लिए, उल्लंघन किया है, प्रधानांचार्य / मालिक के पास ठेकेदार को 14 दिनों का नोटिस देने के बाद, बोली लगाने वाले/ठेकेदारों को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित करने या अनुबंध को समाप्त/निधीरित करने का अधिकार होगा, यदि पहले से ही निष्पादित किया गया है या भविष्य के अनुबंध पुरस्कार प्रक्रियाओं से बोलीदाता/ठेकेदार को बाहर कर सकता है। . बहिष्करण का अधिरोपण और अवधि उल्लंघन की गंभीरता से निर्धारित की जाएगी और प्रधान / मालिक द्वारा निर्धारित की जाएगी। ऐसा बहिष्करण हमेशा के लिए या सीमित अवधि के लिए हो सकता है जैसा कि प्रिंसिपल / मालिक द्वारा तय किया गया हो/If the Bidder(s)/Contractor(s), either before award or during execution of Contract has committed a transgression through a violation of Article 2 above or in any other form, such as to put his reliability or credibility in question, the Principal/Owner after giving 14 days notice to the contractor shall have powers to disqualify the Bidder(s)/Contractor(s) from the Tender process or terminate/determine the Contract, if already executed or exclude the Bidder/Contractor from future contract award processes. The imposition and duration of the exclusion will be determined by the severity of transgression and determined by the Principal/Owner. Such exclusion may be forever or for a limited period as decided by the Principal/Owner.
- (2) ईएमडी/प्रदर्शन गारंटी/सुरक्षा जमा की जब्ती: यदि प्रिंसिपल/मालिक ने अनुबंध देने से पहले बोलीदाता(ओं) को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया है या अनुबंध को समाप्त/निर्धारित कर दिया है या अनुबंध को समाप्त/निर्धारित करने का अधिकार अर्जित कर लिया है। अनुच्छेद 3(1) के अनुसार, प्रिंसिपल/मालिक किसी भी कानूनी अधिकार का प्रयोग करने के अलावा, जो प्रिंसिपल/मालिक को अर्जित हो सकता है, अपनी राय में बोलीदाता की बयाना राशि, प्रदर्शन गारंटी और सुरक्षा जमा की पूरी राशि को जब्त कर सकता है। /ठेकेदार/Forfeiture of EMD/Performance Guarantee/Security Deposit: If the Principal/Owner has disqualified the Bidder(s)from the Tender process prior to the award of the Contract or terminated/determined the Contract or has accrued the right to terminate/determine the Contract according to Article 3(1), the Principal/Owner apart from exercising any legal rights that may have accrued to the Principal/Owner, may in its considered opinion forfeit the entire amount of Earnest Money Deposit, Performance Guarantee and Security Deposit of the Bidder/Contractor.
- (3) आपराधिक दायित्व: यदि प्रधान/मालिक को किसी बोलीदाता या ठेकेदार, या किसी कर्मचारी या प्रतिनिधि या किसी बोलीदाता या ठेकेदार के सहयोगी के आचरण का ज्ञान प्राप्त होता है, जो आईपीसी अधिनियम के अर्थ के भीतर भ्रष्टाचार का गठन करता है, या यदि प्रिंसिपल/मालिक ने

इस संबंध में पर्याप्त संदेह होने पर, प्रिंसिपल/मालिक आगे की जांच के लिए कानून लागू करने वाली एजेंसियों को इसकी सूचना देंगे/Criminal Liability: If the Principal/Owner obtains knowledge of conduct of a Bidder or Contractor, or of an employee or a representative or an associate of a Bidder or Contractor which constitutes corruption within the meaning of IPC Act, or if the Principal/Owner has substantive suspicion in this regard, the Principal/Owner will inform the same to law enforcing agencies for further investigation.

अनुच्छेद 4: पिछला अपराध/Article 4: Previous Transgression

- (1) बोलीदाता घोषणा करता है कि पिछले 5 वर्षों में किसी भी अन्य कंपनी के साथ किसी भी देश में भ्रष्टाचार विरोधी दृष्टिकोण या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या भारत में किसी भी अन्य केंद्रीय / राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ कोई पिछला उल्लंघन नहीं हुआ है, जो उसके निविदा प्रक्रिया से बहिष्कार को उचित ठहरा सकता है। The Bidder declares that no previous transgressions occurred in the last 5 years with any other Company in any country confirming to the anticorruption approach or with Central Government or State Government or any other Central/State Public Sector Enterprises in India that could justify his exclusion from the Tender process.
- (2) यदि बोलीदाता इस विषय पर गलत बयान देता है, तो उसे निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जा सकता है या प्रिंसिपल/मालिक द्वारा उचित समझे जाने पर बोली लगाने वाले/ठेकेदार की व्यावसायिक लेनदेन/छुट्टी सूची पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्रवाई की जा सकती है/If the Bidder makes incorrect statement on this subject, he can be disqualified from the Tender process or action can be taken for banning of business dealings/ holiday listing of the Bidder/Contractor as deemed fit by the Principal/ Owner.
- (3) यदि बोलीदाता/ठेकेदार यह साबित कर सकता है कि उसने अपने द्वारा हुए नुकसान का सहारा लिया है/उसकी भरपाई कर ली है और एक उपयुक्त भ्रष्टाचार निवारण प्रणाली स्थापित कर ली है, तो प्रधान/मालिक अपने विवेक से, समय से पहले बहिष्कार को रद्द कर सकते हैं/If the Bidder/Contractor can prove that he has resorted / recouped the damage caused by him and has installed a suitable corruption prevention system, the Principal/Owner may, at its own discretion, revoke the exclusion prematurely.

अनुच्छेद 5: सभी बोलीदाताओं/ठेकेदारों/उपठेकेदारों के साथ समान व्यवहार/Article 5: Equal Treatment of all Bidders/Contractors/Subcontractors

- (1) बोलीदाता/ठेकेदार सभी उप-ठेकेदारों से इस सत्यिनिष्ठा समझौते के अनुरूप प्रतिबद्धता की मांग करने का वचन देते हैं। बोलीदाता/ठेकेदार अपने किसी भी उप-ठेकेदार/उप-विक्रेता द्वारा इस समझौते/संधि में निर्धारित सिद्धांतों के किसी भी उल्लंघन के लिए जिम्मेदार होंगे/The Bidder(s)/Contractor(s) undertake(s) to demand from all subcontractors a commitment in conformity with this Integrity Pact. The Bidder/Contractor shall be responsible for any violation(s) of the principles laid down in this agreement/Pact by any of its Subcontractors/sub-vendors.
- (2) प्रधान/मालिक सभी बोलीदाताओं और ठेकेदारों के साथ समान शर्तों पर समझौते करेंगे/The Principal/Owner will enter into Pacts on identical terms as this one with all Bidders and Contractors.
- (3) प्रधान /मालिक निविदा के साथ प्रधान/स्वामी और बोलीदाता के बीच विधिवत हस्ताक्षरित समझौते को जमा नहीं करने वाले बोलीदाताओं को अयोग्य घोषित कर देगा या निविदा प्रक्रिया के किसी भी चरण में इसके प्रावधानों का उल्लंघन करेगा/The Principal/Owner will disqualify Bidders, who do not submit, the duly signed Pact between the Principal/ Owner and the bidder, along with the Tender or violate its provisions at any stage of the Tender process, from the Tender process.

अनुच्छेद 6- संधि की अवधि/Article 6- Duration of the Pact

यह समझौता तब शुरू होता है जब दोनों पक्षों ने कानूनी रूप से इस पर हस्ताक्षर किए हैं। यह संविदाकार/विक्रेता के लिए अनुबंध के तहत काम पूरा होने के 12 महीने बाद या दोष देयता अविध के जारी रहने तक, जो भी अधिक हो और अन्य सभी बोलीदाताओं के लिए, अनुबंध प्रदान किए जाने तक समाप्त हो जाता है। यदि समय के दौरान कोई दावा किया जाता है / दर्ज किया जाता है, तो यह बाध्यकारी होगा और उपरोक्त निर्देष्ट समझौते के समाप्त होने के बावजूद वैध रहेगा, जब तक कि इसे सक्षम प्राधिकारी, केंद्रीय जल आयोग द्वारा निर्वहन/निर्धारित नहीं किया जाता है/This Pact begins when both the parties have legally signed it. It expires for the Contractor/Vendor 12 months after the completion of work under the contract or till the continuation of defect liability period, whichever is more and for all other bidders, till the Contract has been awarded. If any claim is made/lodged during the time, the same shall be binding and continue to be valid despite the lapse of this Pacts as specified above, unless it is discharged/determined by the Competent Authority, Central Water commission.

अनुच्छेद ७- अन्य प्रावधान/Article ७- Other Provisions

- (1) यह समझौता भारतीय कानून के अधीन है, प्रदर्शन का स्थान और अधिकार क्षेत्र, प्राचार्य/मालिक के डिवीजन-2 का मुख्यालय है, जिसने निविदा जारी की है/This Pact is subject to Indian Law, place of performance and jurisdiction is the Headquarters of the Division- 2 of the Principal/Owner, who has floated the Tender.
- (2) परिवर्तन और पूरक लिखित रूप में किए जाने की आवश्यकता है। पक्ष समझौते नहीं किए गए हैं/Changes and supplements need to be made in writing. Side agreements have not been made.
- (3) यदि ठेकेदार एक साझेदारी या एक संघ है, तो इस समझौते पर सभी भागीदारों द्वारा या सभी भागीदारों और कंसोर्टियम सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक या एक से अधिक भागीदार द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। कंपनी के मामले में, बोर्ड के संकल्प द्वारा विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए /If the Contractor is a partnership or a consortium, this Pact must be signed by all the partners or by one or more partner holding power of attorney signed by all partners and consortium members. In case of a Company, the Pact must be signed by a representative duly authorized by board resolution.
- (4) क्या इस संधि के एक या कई प्रावधान अमान्य हो जाने चाहिए; इस समझौते का शेष वैध रहता है। इस मामले में, पार्टियां अपने मूल इरादों के लिए एक समझौते पर आने का प्रयास करेंगी/Should one or several provisions of this Pact turn out to be invalid; the remainder of this Pact remains valid. In this case, the parties will strive to come to an agreement to their original intensions.
- (5) यह सहमत नियम और शर्त है कि इस अखंडता समझौते/संधि की शर्तों के संबंध में पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या मतभेद, मालिक/प्राचार्य द्वारा इस ईमानदारी के अनुसार की गई कोई भी कार्रवाई समझौता/संधि या उसकी व्याख्या मध्यस्थता के अधीन नहीं होगी/It is agreed term and condition that any dispute or difference arising between the parties with regard to the terms of this Integrity Agreement/Pact, any action taken by the Owner/Principal in accordance with this Integrity

Agreement/ Pact or interpretation thereof shall not be subject to arbitration.

अनुच्छेद 8- कानूनी और पूर्व अधिकार/Article 8- LEGAL AND PRIOR RIGHTS

पार्टियों के सभी अधिकार और उपचार अनुबंध और/या कानून के तहत ऐसे पक्षों से संबंधित अन्य सभी कानूनी अधिकारों और उपचारों के अतिरिक्त होंगे और उन्हें संचयी माना जाएगा और पूर्वोक्त ऐसे कानूनी अधिकारों और उपचारों का विकल्प नहीं होगा। . संक्षिप्तता के लिए, दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं कि इस सत्यनिष्ठा संधि के तहत कवर किए गए किसी भी प्रावधान के संबंध में

निविदा/संपर्क दस्तावेजों पर इस सत्यिनिष्ठा संधि की प्राथिमकता होगी। इस बात के गवाह में कि पार्टियों ने निम्नलिखित गवाहों की उपस्थित में ऊपर उल्लिखित स्थान और तारीख पर इस सत्यिनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और निष्पादित किया है/All rights and remedies of the parties hereto shall be in addition to all the other legal rights and remedies belonging to such parties under the Contract and/or law and the same shall be deemed to be cumulative and not alternative to such legal rights and remedies aforesaid. For the sake of brevity, both the Parties agree that this Integrity Pact will have precedence over the Tender/Contact documents with regard any of the provisions covered under this Integrity Pact. IN WITNESS WHERE OF the parties have signed and executed this Integrity Pact at the place and date first above mentioned in the presence of following witnesses:

(प्रधान/स्वामी के लिए और उनकी ओर से) (For and on behalf of Principal/Owner)
 (बोलीदाता/ठेकेदार के लिए और उनकी ओर से) /(For and on behalf of Bidder/Contractor)
ग 1	ावाह/WITNESSES:
2	हस्ताक्षर, नाम और पता)/(signature, name and address) 2 हस्ताक्षर, नाम और पता)/(signature, name and address)
स्थान	T/Place:

दिनांक/Dated:

सीपीपी पोर्टल पर ई-निविदा पर बोलीदाताओं को महत्वपूर्ण सूचना /IMPORTANT NOTICE TO BIDDERS ON e-TENDERING on CPP PORTAL

सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम ने अपनी वेब साइट https://eprocure.gov.in के माध्यम से ई-बोली जमा करने की निविदा प्रणाली को सफलतापूर्वक शुरू किया है, विभिन्न विभागों की निविदाएं अपलोड की गई हैं, उनकी बोलियां जमा की गई हैं और उन्हें ऑनलाइन खोल दिया गया है/GOVERNMENT E-PROCUREMENT SYSTEM has successfully rolled out the e-bid submission Tendering System through its web site https://eprocure.gov.inTenders of various Departments have been uploaded, their bids submitted and the same have been opened online.

सरकारी विभागों की वेब साइट में प्रकाशित विभिन्न निविदाओं के लिए बोलियां उपरोक्त वेब साइट के साथ नामांकन करके ऑनलाइन जमा की जा सकती हैं/Bids for various tenders published in the web site of Government Departments can be submitted online by enrolling with the abovementioned web site.

बोलीदाता वेबसाइट https://eprocure.gov.in पर "ऑनलाइन बोलीदाता नामांकन" विकल्प का उपयोग करके अपना नामांकन करा सकते हैं। इस समय यह नामांकन निःशुल्क है। कंपनी के नाम पर स्मार्ट कार्ड/ई-टोकन के रूप में एक वैध तृतीय श्रेणी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) का कब्ज़ा इस वेब साइट के माध्यम से पंजीकरण और बोली जमा करने की गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक पूर्विपक्षा है। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र अधिकृत प्रमाणीकरण एजेंसियों से प्राप्त किया जा सकता है, जिसका विवरण "डीएससी के बारे में जानकारी" लिंक के तहत वेबसाइट https://eprocure.gov.in पर उपलब्ध है/The bidders can enroll themselves on the website https://eprocure.gov.in using the option "Online Bidder Enrolment". This enrolment is free at this point of time. Possession of a Valid Class III Digital Signature Certificate (DSC) in the form of smart card/e-token in the Company's name is a prerequisite for registration and participating in the bid submission activities through this web site. Digital Signature Certificates can be obtained from the authorized certifying agencies, details of which are available in the web site https://eprocure.gov.in under the link "Information about DSC".

वेबसाइट में ऑनलाइन बोली प्रक्रिया में नामांकन और भागीदारी पर विस्तृत दिशानिर्देशों के साथ उपयोगकर्ता नियमावली भी है। उपयोगकर्ता मैनुअल को तैयार संदर्भ के लिए डाउनलोड किया जा सकता है। विक्रेता एनआईसी के सहयोग से सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम द्वारा समय-समय पर आयोजित ई-निविदा प्रणाली पर प्रशिक्षण / परिचित कार्यक्रम में भी भाग ले सकते हैं/The web site also has user manuals with detailed guidelines on enrolment and participation in the online bidding process. The user manuals can be downloaded for ready reference. Vendors can also attend the training/familiarization program on the e-tendering system conducted periodically by the GOVERNMENT E- PROCUREMENT SYSTEM in association with NIC.

ई-निविदा प्रणाली के लाभ/Advantages of E-Tendering System

बोलीदाता उन निविदाओं की स्थिति देख सकेंगे जिनके लिए उन्होंने विभिन्न चरणों में उद्धरण प्रस्तुत किए हैं और उन्हें ई-मेल द्वारा स्थिति के बारे में भी सूचित किया जाएगा। "उत्पाद श्रेणी" विकल्प के माध्यम से उत्पाद श्रेणी निर्दिष्ट करने वाले बोलीदाताओं के लिए, चयनित उत्पाद श्रेणी के तहत प्रकाशित सभी निविदाओं की जानकारी ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी/The bidders will be able to see the status of the tenders for which they have submitted quotes in different stages and would also be informed of the status by E-Mail. For the bidders who have specify the Product Category through "Product Category" option, information of all the tenders published under the

selected product category will be sent by E- Mail.

कृपया ध्यान दें कि सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम के सभी विभाग चरणबद्ध तरीके से धीरे-धीरे ई-निविदा प्रणाली पर स्विच कर रहे हैं। भविष्य में सभी निविदाएं केवल ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से जारी की जाएंगी और केवल पंजीकृत विक्रेताओं को ही निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमित दी जाएगी/Please note that all the departments of GOVERNMENT E-PROCUREMENT SYSTEM are gradually switching over to e-Tendering system in a phased manner. All the tenders in future will be issued only through the e-Tendering system and only registered vendors will be allowed to participate in the tendering process.

ऑनलाइन बोली जमा करने के निर्देश/Instructions for Online Bid Submission

बोलीदाताओं को वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों का उपयोग करते हुए सीपीपी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बोलियों की सॉफ्ट कॉपी जमा करनी होगी। नीचे दिए गए निर्देश बोलीदाताओं को सीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण करने में सहायता करने, आवश्यकताओं के अनुसार अपनी बोलियां तैयार करने और सीपीपी पोर्टल पर अपनी बोलियां ऑनलाइन जमा करने के लिए हैं/The bidders are required to submit soft copies of their bids electronically on the CPP Portal, using valid Digital Signature Certificates. The instructions given below are meant to assist the bidders in registering on the CPP Portal, prepare their bids in accordance with the requirements and submitting their bids online on the CPP Portal.

सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन बोलियां जमा करने के लिए उपयोगी अधिक जानकारी यहां प्राप्त की जा सकती है: https://eprocure.gov.in/eprocure/app /More information useful for submitting online bids on the CPP Portal may be obtained at: https://eprocure.gov.in/eprocure/app.

पंजीकरण/ REGISTRATION

1) सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (यूआरएल: https://eprocure.gov.in/eprocure/app) पर एनरोल करने के लिए बोलीदाताओं को सीपीपी पोर्टल पर "ऑनलाइन बिडर एनरोलमेंट" लिंक पर क्लिक करना होगा, जो नि:शुल्क है/Bidders are required to enroll on the e-Procurement module of the Central Public Procurement Portal (URL: https://eprocure.gov.in/eprocure/app) by clicking on the link "Online bidder Enrollment" on the CPP Portal which is free of charge.

2) नामांकन प्रक्रिया के भाग के रूप में, बोलीदाताओं को एक विशिष्ट उपयोगकर्ता नाम चुनना होगा और अपने खातों के लिए एक पासवर्ड निर्दिष्ट करना होगा /As part of the enrolment process, the bidders will be required to choose a unique user name and assign a

password for their accounts.

3) बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में अपना वैध ईमेल पता और मोबाइल नंबर दर्ज करें। इनका उपयोग सीपीपी पोर्टल से किसी भी संचार के लिए किया जाएगा /Bidders are advised to register their valid email address and mobile numbers as part of the registration process. These would be used for any communication from the CPP Portal.

4) नामांकन के बाद, बोलीदाताओं को सीसीए इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रमाणन प्राधिकरण द्वारा जारी अपने वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (हस्ताक्षर कुंजी उपयोग के साथ तृतीय श्रेणी के प्रमाण पत्र) पंजीकृत करने की आवश्यकता होगी (उदाहरण के लिए सिफी / एनकोड/ई मुद्रा आदि), उनके प्रोफाइल के साथ/Upon enrolment, the bidders will be required to register their valid Digital Signature Certificate (Class III Certificates with signing key usage) issued by any Certifying Authority recognized by CCA India (e.g. Sify/ nCode/e

Mudhra etc.), with their profile.

5) बोलीदाता द्वारा केवल एक वैध डीएससी पंजीकृत किया जाना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि वे अपने डीएससी को दूसरों को उधार नहीं देते हैं जिससे दुरुपयोग हो सकता है /Only one valid DSC should be registered by a bidder. Please note that the bidders are responsible to ensure that they do not lend their DSC's to others which may lead to misuse.

इसके बाद बोलीदाता अपना यूजर आईडी/पासवर्ड और डीएससी/ई-टोकन का पासवर्ड दर्ज करके सुरक्षित लाग-इन के माध्यम से साइट पर लाग इन करता है/Bidder then logs in to the site through the secured log-in by entering their user ID / password and the password of

the DSC/ e-Token.

निविदा दस्तावेजों की खोज/SEARCHING FOR TENDER DOCUMENTS

- 1) सीपीपी पोर्टल में विभिन्न खोज विकल्प बनाए गए हैं, जिससे बोली लगाने वालों को सक्रिय निविदाओं को कई मापदंडों द्वारा खोजने में सुविधा हो। इन मापदंडों में निविदा आईडी, संगठन का नाम, स्थान, तिथि, मूल्य आदि शामिल हो सकते हैं। निविदाओं के लिए उन्नत खोज का एक विकल्प भी है, जिसमें बोली लगाने वाले कई खोज मापदंडों को जोड़ सकते हैं जैसे संगठन का नाम, अनुबंध का रूप, स्थान, दिनांक, अन्य कीवर्ड आदि सीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित एक निविदा की खोज के लिए/There are various search options built in the CPP Portal, to facilitate bidders to search active tenders by several parameters. These parameters could include Tender ID, Organization Name, Location, Date, Value, etc. There is also an option of advanced search for tenders, wherein the bidders may combine a number of search parameters such as Organization Name, Form of Contract, Location, Date, Other keywords etc. to search for a tender published on the CPP Portal.
- 2) एक बार जब बोलीदाताओं ने उन निविदाओं का चयन कर लिया जिनमें वे रुचि रखते हैं, तो वे आवश्यक दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं/ निविदा कार्यक्रम। इन निविदाओं को संबंधित 'माई टेंडर्स' फोल्डर में ले जाया जा सकता है। यह सीपीपी पोर्टल को निविदा दस्तावेज के लिए कोई शुद्धिपत्र जारी होने की स्थिति में एसएमएस / ई-मेल के माध्यम से बोलीदाताओं को सूचित करने में सक्षम करेगा।Once the bidders have selected the tenders they are interested in, they may download the required documents/ tender schedules. These tenders can be moved to the respective 'My Tenders' folder. This would enable the CPP Portal to intimate the bidders through SMS / e-mail in case there is any corrigendum issued to the tender document.
- 3) यदि वे हेल्पडेस्क से कोई स्पष्टीकरण/सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो बोलीदाता को प्रत्येक निविदा को दी गई विशिष्ट निविदा आईडी को नोट करना चाहिए/The bidder should make a note of the unique Tender ID assigned to each tender, in case they want toobtain any clarification / help from the Helpdesk.

बोलियों की तैयारी/PREPARATION OF BIDS

- 1) बोलीदाता को अपनी बोली जमा करने से पहले निविदा दस्तावेज पर प्रकाशित किसी भी शुद्धिपत्र को ध्यान में रखना चाहिए/Bidder should take into account any corrigendum published on the tender document before submitting their bids.
- 2) बोली के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों को समझने के लिए कृपया निविदा विज्ञापन और निविदा दस्तावेज को ध्यान से देखें। कृपया उन कवरों की संख्या पर ध्यान दें जिनमें बोली दस्तावेज जमा किए जाने हैं, दस्तावेजों की संख्या - जिसमें प्रस्तुत किए जाने वाले प्रत्येक

दस्तावेज के नाम और सामग्री शामिल हैं। इनमें से किसी भी विचलन के कारण बोली को अस्वीकार किया जा सकता है/Please go through the tender advertisement and the tender document carefully to understand the documents required to be submitted as part of the bid. Please note the number of covers in which the bid documents have to be submitted, the number of documents - including the names and content of each of the document that need to be submitted. Any deviations from these may lead to rejection of the bid.

- 3) बोलीदाता, निविदा दस्तावेज/अनुसूची में दर्शाए गए अनुसार प्रस्तुत किए जाने वाले बोली दस्तावेजों को अग्रिम और आम तौर कर पीडीएफ/एक्सएलएस/आरएआर/डीडब्ल्यएफ/जेपीजी प्रारूपों में हो सकते हैं। बोली दस्तावेजों को 100 डीपीआई के साथ ब्लैक एंड व्हाइट विकल्प के साथ स्कैन किया जा सकता है जो स्कैन किए गए दस्तावेज़ के आकार को कम करने में मदद करता है/Bidder, in advance, should get ready the bid documents to be submitted as indicated in the tender document / schedule and generally, they can be in PDF / XLS / RAR / DWF/JPG formats. Bid documents may be scanned with 100 dpi with black and white option which helps in reducing size of the scanned document.
- 4) मानक दस्तावेजों के एक ही सेट को अपलोड करने में आवश्यक समय और प्रयास से बचने के लिए, जिन्हें प्रत्येक बोली के एक भाग के रूप में प्रस्तत करने की आवश्यकता होती है, ऐसे मानक दस्तावेजों (जैसे पैन कार्ड की प्रति, वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक प्रमाण पत्र आदि) को अपलोड करने का प्रावधान किया गया है। बोलीदाताओं को प्रदान किया गया। बोलीदाता ऐसे दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए उनके लिए उपलब्ध "माई स्पेस" या "अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज" क्षेत्र का उपयोग कर सकते हैं। बोली जमा करते समय इन दस्तावेजों को सीधे "माई स्पेस" क्षेत्र से जमा किया जा सकता है, और बार-बार अपलोड़ करने की आवश्यकता नहीं है। इससे जमा करने की प्रक्रिया को रोकने के लिए आवश्यक समय में कमी आएगी/To avoid the time and effort required in uploading the same set of standard documents which are required to be submitted as a part of every bid, a provision of uploading such standard documents (e.g. PAN card copy, annual reports, auditor certificates etc.) has been provided to the bidders. Bidders can use "My Space" or "Other Important Documents" area available to them to upload such documents. These documents may be directly submitted from the "My Space" area while submitting a bid, and need not be uploaded again and again. This will lead to a reduction in the time required forbid submission process.

नोट: My Documents स्थान केवल अपलोड करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बोलीदाताओं को दिया गया एक भंडार है। यदि बोलीदाता ने अपने दस्तावेज़ मेरे दस्तावेज़ गति में अपलोड किए हैं, तो यह स्वचालित रूप से यह सनिश्चित नहीं करता है कि ये दस्तावेज तकनीकी बोली का हिस्सा हैं/Note: My Documents space is only a repository given to the Bidders to ease the uploading process. If Bidder has uploaded his Documents in My Documents pace, this does not automatically ensure these Documents being part of Technical Bid.

बोलियां जमा करना/SUBMISSION OF BIDS

1. बोलीदाता को बोली जमा करने के लिए काफी पहले ही साइट पर लॉग इन कर लेना चाहिए ताकि वे समय पर यानी बोली जमा करने के समय पर या उससे पहले बोली अपलोड कर सकें। अन्य मुद्दों के कारण किसी भी देरी के लिए बोलीदाता जिम्मेदार होगा/Bidder should log into the site well in advance for bid submission so that they can upload the bid in time i.e. on or before the bid submission time. Bidder will be responsible for any delay due to other issues. 2. बोलीदाता को निविद् दस्तावेज में दर्शाए गए अनुसार एक-एक करके आवश्यक बोली दस्तावेजों पर

डिजिटल हस्ताक्षर और अपलोड करना होगा/The bidder has to digitally sign and upload the

required bid documents one by one as indicated in the tender document.

- 3. निविदा कुंजी इवेंट शीट में उल्लिखित अनुसार ईएमडी जमा की जाएगी / EMD shall be submitted as mentioned in the Tender Key Event Sheet.
- 4. बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे नोट करें कि वे आवश्यक रूप से प्रदान किए गए प्रारूप में अपनी वित्तीय बोलियां जमा करें और कोई अन्य प्रारूप स्वीकार्य नहीं है। यदि मूल्य बोली को निविदा दस्तावेज के साथ मानक बीओक्यू प्रारूप के रूप में दिया गया है, तो उसे डाउनलोड किया जाना है और सभी बोलीदाताओं द्वारा भरा जाना है। बोलीदाताओं को बीओक्यू फ़ाइल डाउनलोड करनी होगी, इसे खोलना होगा और सफेद रंग (अस्रक्षित) सेल को उनके संबंधित वित्तीय उद्धरण और अन्य विवरण (जैसे बोलीदाता का नाम) के साथ परा करना होगा। कोई अन्य सेल नहीं बदला जाना चाहिए। एक बार विवरण पूरा हो जाने के बाद, बोलीदाता को फ़ाइल नाम बदले बिना इसे सहेजना चाहिए और इसे ऑनलाइन जमा करना चाहिए। यदि बोलीदाता द्वारा बीओक्यू फ़ाइल को संशोधित पाया जाता है, तो बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा/Bidders are requested to note that they should necessarily submit their financial bids in the format provided and no other format is acceptable. If the price bid has been given as a standard BoQ format with the tender document, then the same is to be downloaded and to be filled by all the bidders. Bidders are required to download the BoQ file, open it and complete the white colored (unprotected) cells with their respective financial quotes and other details (such as name of the bidder). No other cells should be changed. Once the details have been completed, the bidder should save it and submit it online, without changing the filename. If the BoQ file is found to be modified by the bidder, the bid will be rejected.
- 5. सर्वर समय (जो बोलीदाताओं के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होता है) को बोलीदाताओं द्वारा बोली जमा करने, बोलियों को खोलने आदि की समय सीमा को संदर्भित करने के लिए मानक समय के रूप में माना जाएगा। बोलीदाताओं को बोली जमा करने के दौरान इस समय का पालन करना चाहिए/The server time (which is displayed on the bidders' dashboard) will be considered as the standard time for referencing the deadlines for submission of the bids by the bidders, opening of bids etc. The bidders should follow this time during bid submission.
- 6. बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे सभी दस्तावेजों को डेटा की इन क्रेसी सुनिश्चित करने के लिए पीके आई एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करके एन्क्रिप्ट किया जाएगा। दर्ज किए गए डेटा को अनिधकृत व्यक्तियों द्वारा बोली खुलने के समय तक नहीं देखा जा सकता है। सुरक्षित सॉकेट लेयर 128-बिट एन्क्रिप्शन तकनीक को कम करने के लिए बोलियों की गोपनीयता बनाए रखी जाती है। संवेदनशील क्षेत्रों का डेटा भंडारण एन्क्रिप्शन किया जाता है। कोई भी बोली दस्तावेज़ जो सर्वर पर अपलोड किया जाता है, सिस्टम द्वारा उत्पन्न सममित कुंजी का उपयोग करके सममित एन्क्रिप्शन के अधीन होता है। इसके अलावा यह कुंजी खरीदारों/बोली खोलने वाले की सार्वजनिक कुंजी का उपयोग करके असममित एन्क्रिप्शन के अधीन है। कुल मिलाकर, अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज अधिकृत बोली खोलने वालों द्वारा निविदा खोलने के बाद ही पढ़ने योग्य हो जाते हैं। All the documents being submitted by the bidders would be encrypted using PKI encryption techniques to ensure the secrecy of the data. The data entered cannot be viewed by unauthorized persons until the time of bid opening. The confidentiality of the bids is maintain reducing the secured Socket Layer 128-bit encryption technology. Data storage encryption of sensitive fields is done. Any bid document that is uploaded to the server is subjected to symmetric encryption using a system generated symmetric key. Further this key is subjected to asymmetric encryption using buyers/bid opener's public keys. Overall, the uploaded tender documents become readable only after the tender opening by the authorized bid openers.
- 7. अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज अधिकृत बोली खोलने वालों द्वारा निविदा खोलने के बाद ही पढ़ने योग्य हो जाते हैं/The uploaded tender documents become readable only after the tender

opening by the authorized bid openers.

- 8. अपलोड़ किए गए निविदा दस्तावेज अधिकृत बोली खोलने वालों द्वारा निविदा खोलने के बाद ही पढ़ने योग्य हो जाते हैं/The uploaded tender documents become readable only after the tender opening by the authorized bid openers.
- 9. पोर्टल एक सफल बोली जमा करने का संदेश देगा और बोली संख्या के साथ एक बोली सारांश प्रदर्शित किया जाएगा। और अन्य सभी प्रासंगिक विवरणों के साथ बोली जमा करने की तिथि और समय/The portal will give a successful bid submission message & a bid summary will be displayed with the bid no. and the date & time of submission of the bid with all other relevant details.
- 10. बोली सारांश मुद्रित किया जाना चाहिए और बोली जमा करने की पावती के रूप में रखा जाना चाहिए। इस पावती का उपयोग किसी भी बोली खोलने की बैठक के लिए प्रवेश पास के रूप में किया जा सकता है/The bid summary has to be printed and kept as an acknowledgement of the submission of the bid. This acknowledgement maybe used as an entry passes for any bid opening meetings.

बोलीदाताओं को सहायता/ASSISTANCE TO BIDDERS

- 1) निविदा दस्तावेज और उसमें निहित नियमों और शर्तों से संबंधित किसी भी प्रश्न को निविदा के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या निविदा में इंगित संबंधित संपर्क व्यक्ति को संबोधित किया जाना चाहिए।/Any queries relating to the tender document and the terms and conditions contained therein should be addressed to the Tender Inviting Authority for a tender or the relevant contact person indicated in the tender.
- 2) ऑनलाइन बोली जमा करने की प्रक्रिया से संबंधित कोई भी प्रश्न या सामान्य रूप से सीपीपी पोर्टल से संबंधित प्रश्नों को 24x7 सीपीपी पोर्टल हेल्पडेस्क को निर्देशित किया जा सकता है।/Any queries relating to the process of online bid submission or queries relating to CPP Portal in general may be directed to the 24x7 CPP Portal Helpdesk.

छह महत्वपूर्ण बोलीदाताओं के लिए क्या करें और क्या न करें/SIX CRITICAL DO'S AND DON'TS FOR BIDDERS

विशेष रूप से, आपूर्तिकर्ता संगठनों के लिए, निम्नलिखित 'बोली लगाने वालों के लिए छह प्रमुख निर्देश' का दृढ़ता से पालन किया जाना चाहिए/Specifically, for Supplier organizations, the following 'SIX KEY INSTRUCTIONS for BIDDERS' must be assiduously adhered to:

- 1. ईटीएस पर अपनी पहली निविदा जमा करने की समय सीमा से काफी पहले व्यक्तिगत डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी या डीसी) प्राप्त करें/Obtain individual Digital Signing Certificate (DSC or DC) well in advance of your first tender submission deadline on ETS.
- 2. अपनी पहली निविदा के लिए महत्वपूर्ण समय-सीमा से पहले अपने संगठन को ईटीएस पर पंजीकृत करें 'निविदा दस्तावेजों की खरीद की तारीख और बंद होने का समय' और 'बोलियों की प्राप्ति की अंतिम तिथि और समय'। कृपया ध्यान दें कि सेवा प्रदाता द्वारा आपके पंजीकरण की स्वीकृति के बाद भी, एक निविदा का जवाब देने के लिए आपको अपने संगठन से संबंधित गतिविधियों को पूरा करने के लिए भी समय की आवश्यकता होगी, जैसे कि उपयोगकर्ताओं का निर्माण, उन्हें भूमिकाएं सौंपना आदि/Register your organization on ETS well in advance of the important deadlines for your first tender on ETS viz 'Date and Time of Closure of Procurement of Tender Documents' and 'Last Date and Time of Receipt of Bids'. Please note that even after acceptance of your registration by the Service Provider, to respond to a tender you will also require time to complete activities related to your organization, such as the creation of users, assigning roles to them, etc.

- 3. ईटीएस पर निविदा जमा करने की समय सीमा से पहले अपने संगठन के संबंधित अधिकारियों को ईटीएस पर प्रशिक्षित करें।/Get your organization's concerned executives trained on ETS well in advance of tender submission deadline on ETS.
- 4. ईटीएस पर निविदा जमा करने की समय सीमा से पहले अपनी बोलियां जमा करें (इंटरनेट टाइमआउट, ब्रेकडाउन, आदि के कारण अंतिम मिनट की समस्याएं हो सकती हैं) /Submit your bids well in advance of tender submission deadline on ETS (There could be last- minute problems due to internet timeout, breakdown, etc)
- 5. यह प्रत्येक बोलीदाता की जिम्मेदारी है कि वह बोली लगाने वाले द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक बोली-भाग के लिए पास वाक्यांश को याद रखे और सुरक्षित रूप से संग्रहीत करे। बोली जमा करने की समय सीमा समाप्त होने से पहले पास वाक्यांश भूल जाने की स्थिति में, बोलीदाता को बोली-सबिमशन अवलोकन पृष्ठ से 'पिछले सबिमशन को रद्द करने' की सुविधा प्रदान की जाती है और नए पास-वाक्यांश के साथ नए सिरे से शुरुआत की जाती है/It is the responsibility of each bidder to remember and securely store the Pass Phrase for each Bid- Part submitted by that bidder. In the event of a bidder forgetting the Pass Phrase before the expiry of deadline for Bid-Submission, facility is provided to the bidder to 'Annul Previous Submission' from the Bid- Submission Overview page and start afresh with new Pass-Phrase(s).
- 6. ईटीएस ऑनलाइन पब्लिक टेंडर ओपनिंग इवेंट (टीओई) के दौरान आपकी बोली को एक उद्घाटन के लिए उपलब्ध कराएगा, 'केवल अगर' आपकी स्थिति समग्र बोली-प्रस्तुतीकरण 'पूर्ण' है। आपके रिकॉर्ड के लिए, आप कर सकते हैं फाइनल सबिमशन रसीद' की एक कॉपी जेनरेट और सेव करें। यह रसीद 'बोली-सबिमशन अवलोकन पृष्ठ' से तभी जनरेट की जा सकती है, जब 'समग्र बोली-प्रस्तुतीकरण से संबंधित स्थिति' 'पूर्ण' हो/ ETS will make your bid available for an opening during the Online Public Tender Opening Event(TOE) 'ONLY IF' your 'Status pertaining Overall Bid-Submission' is 'Complete'. For your record, you can generate and save a copy of 'Final Submission Receipt'. This receipt can be generated from 'Bid-Submission Overview Page' only if the 'Status pertaining overall Bid-Submission' is 'Complete'.

NOTE:

जबिक ऊपर उल्लिखित पहले तीन निर्देश ईटीएस के पहली बार उपयोगकर्ताओं के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक हैं, चौथा, पांचवां और छठा निर्देश हर समय प्रासंगिक हैं। अच्छे कॉन्फ़िगरेशन के साथ बोलीदाता के एंड कंप्यूटर सिस्टम पर न्यूनतम आवश्यकताएं (न्यूनतम पीआईवी, 1 जीबी रैम, सर्विस पैक 3 के साथ विंडोज एक्सपी) ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर 6.0 या डिजिटल सर्टिफिकेट (एस) से ऊपर।While the first three instructions mentioned above are especially relevant to first-time users of ETS, the fourth, fifth and sixth instructions are relevant at all times. Minimum Requirements at Bidder's End Computer System with good configuration (Min PIV, 1GBRAM, WindowsXPwithServicePack3) Broadband connectivity Microsoft Internet Explorer 6.0 or above Digital Certificate(s)

भारत सरकार/Government Of India केंद्रीय जल आयोग/Central Water Commission CPWD FORM 7/8

CIRCLE: S.E.(C), MCO, CWC, Nagpur

मंडल/DIVISION : वैनगंगा मंडल/ Wainganga Division,

केंद्रीय जल आयोग/ Central Water Commission ,नागपुर/Nagpur

मद दर निविदा और कार्यों के लिए अनुबंध/ ITEM RATE TENDER AND CONTRACT FOR WORKS

- (A) "वैनगंगा मंडल, केंद्रीय जल आयोग, नागपुर के अंतर्गत पेनगंगा उपमंडल, यवतमाल के पी जी ब्रिज, कन्हेरगाँव एवं भिश्चर में विट्रिफाइड टाइल्स उपलब्ध कराना और बिछाना की ई-निवदा"हेतु। काम का नाम और लिफाफा पर लिखी देय तिथि के साथ पैन नंबर और उसकी पात्रता के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य आनलाईन जमा करें/ E-tender of providing & laying of vitrified tiles at site Kanhargaon, Bhishnur & P G Bridge under Penganga subdivision under Wainganga Division Nagpur" The Tenders to be submitted online by 12.00hrs on 31.03.2023 to Executive Engineer, Wainganga Division, CWC, Nagpur in sealed envelope containing with the name of work and due date written on the envelope along with, PAN No. and documentary evidence in support of his eligibility.
- (i) निविदाएं दिनांक:31.03.2023 को 14.00 बजे निविदाकारों या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएंगी, जो कार्यकारी अभियंता, वैनगंगा डिवीजन, सीडब्ल्यूसी, नागपुर के कार्यालय में अपने स्वयं के खर्च पर उपस्थित होना चाहते हैं/The tenders will be opened at 14.00 hrs on date:31.03.2023 in the presence of tenderers or their representatives who may wish to be present at their own cost in the office of the Executive Engineer, Wainganga Division, CWC, Nagpur.

जारी के लिए किए/Issued to

(ठेकेदार)/Contractor)

दस्तावेज जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर/Signature of officer issuing the documents पद/Designation अधिषासी अभियंता /Executive Engineer जारी करने की तिथि/Date of issue

निविदा/Tender

मैंने/हमने निविदा आमंत्रण नोटिस, लागू विनिर्देशों, आरेखण, सामान्य नियम और निर्देश, अनुबंध की शर्तें, अनुबंध के खंड और कार्य के लिए निविदा दस्तावेजों में अन्य सभी सामग्री को पढ़ा और जांचा है/I/We have read and examined the notice inviting tender, Specifications applicable, Drawings, General Rules and Directions, Conditions of Contract, Clauses of contract and all other contents in the tender documents for the work.

मैं/हम एतद्द्वारा कार्यकारी अभियंता, वैनगंगा डिवीजन, सीडब्ल्यूसी, नागपुर के लिए निर्दिष्ट कार्य के निष्पादन के लिए मात्रा की अनुसूची में निर्दिष्ट समय के भीतर और विनिर्देशों के अनुसार, ड्राइंग यदि कोई हो और लिखित में सामान्य नियमों में संदर्भित निर्देशों के अनुसार निवदा करता हूं/करते हैं। , विशेष नियम और अनुबंध के नियम और शर्तें/I/We hereby tender for the execution of the work specified for the Executive Engineer, Wainganga Division, CWC, Nagpur within the time specified in schedule of quantities and in accordance with the specifications, drawings if any and instructions in writing referred to in general rules, special rules and terms and conditions of contract.

मैं/हम निविदा जमा करने की नियत तारीख से 120 दिनों के लिए खुला रखने और इसकी दरों, नियमों और शर्तों आदि में संशोधन नहीं करने के लिए सहमत हैं। I/We agree to keep the tender open for 120 days from the due date of submission thereof and not to make the modifications in its rates, terms and conditions etc

निविदा राशि का 5% एतद्ववारा अनुसूचित बैंक के सावधि जमा रसीद (एफडीआर) के रूप में कार्यपालक अभियंता, वैनगंगा डिवीजन, सीडब्ल्यूसी, नागपुर के पक्ष में पी.जी. के रूप में नागपुर में देय है, यदि मैं/ हम, निर्दिष्ट कार्य शुरू करने में विफल; मैं/हम सहमत हैं कि उक्त कार्यपालक अभियंता, वैनगंगा डिवीजन, सीडब्ल्यूसी, नागपुर या कार्यालय में उनके उत्तराधिकारी किसी भी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जब्त करने की स्वतंत्रता प्रदर्शन गारंटी पूरी तरह से अन्यथा होगी निविदा दस्तावेजों में निर्दिष्ट सभी कार्यों को निष्पादित करने के लिए या उसमें संदर्भित नियमों और शर्तों पर और इस तरह के विचलन को परा करने के लिए जो अनुसूची एफ में उल्लिखित अधिकतम प्रतिशत तक आदेश दिया जा सकता है/ A sum of 5 % of tender amount is hereby forwarded in form of Fixed Deposit receipt (FDR) of Scheduled Bank in favour of Executive Engineer, Wainganga Division, CWC, Nagpur payable at Nagpur as performance guarantee, if I/We, fail to commence the work specified; I/We agree that the said Executive Engineer, Wainganga Division, CWC, Nagpur or his successors in office shall without prejudice to any other right or remedy, liberty to forfeit the performance guarantee absolutely otherwise the said shall be retained by him towards security deposit to execute all the works referred to in the tender documents upon the terms and conditions contained or referred to therein and to carry out such deviations as may be ordered up to maximum of the percentage mentioned in schedule.

इसके अलावा मैं/हम सहमत हैं कि निष्पादन गारंटी को जब्त करने के मामले में, मुझे/हम कार्य की पुनर्निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा/ Further I/We agree that in case of forfeiture of performance guarantee as aforesaid, I/We shall be debarred for participation in the retendering process of the work मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ/ करते हैं कि मैं/हम निविदा दस्तावेज़ों, आरेखणों और कार्य से जुड़े अन्य अभिलेखों को गुप्त/गोपनीय दस्तावेज़ों के रूप में मानेंगे और मैं/हम/हम हैं/हैं, के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को जानकारी/प्राप्त जानकारी का संचार नहीं करेंगे/करेंगे। इसे संप्रेषित करने या किसी भी तरीके से सूचना का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है जो की सुरक्षा के प्रतिकूल है विभाग/ I/We hereby declare that I/We shall treat the tender documents, drawings and other records connected with the work as secret/confidential documents and shall not communicate information/derived there from to any person other than to whom I/We am/are authorized to communicate the same or use the information in any

manner prejudicial to the safety of the Department. दिनांक / Date

ठेकेदार के हस्ताक्षर /Signature of Contractor साक्षी /Witness डाक का पता /Postal Address पता/Address पेशा/ Occupation

फॉर्म 3/ Form 3 निविदा स्वीकृति पत्र/TENDER ACCEPTANCE LETTER

(कंपनी के लेटर हेड पर दिया जाना है /To be given on Company Letter Head)

दिनांक /Date:

प्रति /To,

अधिशाशी अभियंता/The Executive Engineer

वैनगंगा मंडल/ Wainganga division

केंद्रीय जल आयोग/ Central Water Commission ,नागपुर/Nagpur

विषय /Sub: निविदा के नियम एवं शर्तों की स्वीकृति।/Acceptance of Terms & Conditions of Tender.

निविदा संदर्भ संख्या /Tender Reference No:

निविदा का नाम सेवाएं / Name of Tender / Services: "वैनगंगा मंडल, केंद्रीय जल आयोग, नागपुर के अंतर्गत पेनगंगा उपमंडल, यवतमाल के पी जी ब्रिज, कन्हेरगाँव एवं भिश्नुर में विट्रिफाइड टाइल्स उपलब्ध कराना और बिछाना की ई-निविदा"

हेतु। / E-tender of Providing & Laying of Vitrified Tiles at site Kanhargaon, Bhishnur & P G Bridge under Penganga Sub Division, Yavatmal under Wainganga Division, CWC, Nagpur" श्रीमान/ Dear Sir,

1. मैंने/हमने उपरोक्त उल्लिखित 'निविदा/कार्य' के लिए वेब साइट (साइटों) से निविदा दस्तावेज डाउनलोड किए हैं:I/ We have downloaded the tender document(s) for the above mentioned 'Tender/Work' from the web site(s) namely:

_______ आपके विज्ञापन

के अनुसार, उपर्युक्त वेबसाइट (वेबसाइटों) में दिया गया है।/as per your advertisement, given in the above mentioned website(s).

- 2. . मैं/हम एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने उपर्युक्त कार्य के निविदा दस्तावेज (अनुलग्नक (अनुबंधों), अनुसूची (ओं) आदि जैसे सभी दस्तावेजों सिहत) को पढ़ लिया है, जो अनुबंध समझौते का हिस्सा हैं और मैं/हम करेंगे इसमें निहित नियमों/शर्तों/उपबंधों का पालन करते हैं/ I / We hereby certify that I / we have read the tender document of above mentioned work (including all documents like annexure(s), schedule(s), etc.,), which form part of the contract agreement and I / we shall abide hereby the terms / conditions / clauses contained therein.
- 3. . इस स्वीकृति पत्र को प्रस्तुत करते समय आपके प्रभाग/संगठन द्वारा समय-समय पर जारी शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, को भी ध्यान में रखा गया है/The corrigendum(s) issued from time to time by your Division/organization, if any, too have also been taken into consideration, while submitting this acceptance letter.
- 4. . मैं/हम एतद्द्वारा उपर्युक्त निविदा दस्तावेज(दस्तावेजों)/शुद्धिपत्र(दस्तावेजों) की निविदा शर्तों को पूर्ण रूप से/पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। I / We hereby unconditionally accept the tender conditions of above mentioned tender document(s) / corrigendum(s) in its totality / entirely.
- 5. . यदि इस निविदा के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन पाया जाता है, तो आपका डिवीजन/संगठन इस निविदा/बोली को पूरी तरह से जब्त करने सहित पूरी तरह से रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा और हमारे पास संतुष्टि में डिवीजन के खिलाफ कोई दावा/अधिकार नहीं होगा। यह स्थिति/ In case any provisions of this tender are found violated, your Division/ organisation shall be at liberty to reject this tender/bid including the forfeiture of the full said earnest money deposit absolutely and we shall not have any claim/right against Division in satisfaction of this condition.

आपका विश्वासी,/Yours Faithfully,

(अधिकारिक मुहर के साथ बोलीदाता के हस्ताक्षर / Signature of the Bidder, with Official Seal)